जेण्डर, सशक्तीकरण नेतृत्व व बदलाव के मुद्‌दों पर पंचायती राज प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु सहजकर्ताओं में लिए प्रशिक्षण मैन्युअल

निर्माण द्वारा

विशाखा महिला शिक्षा एवं शोध समिति

आर्थिक सहयोग

प्लान इंडिया

निर्मित द्वारा

भरत

सहयोग

शबनम

विशाखा महिला शिक्षा एवं शोध समिति
एफ–1–71, उदय नगर बी, किसान धर्म कांटे के पास,
गोपालपुरा बाईपास
न्यू सांगानेर रोड, जयपुर, राजस्थान–302019
टेलीफोन नंबर –0141.2786526

आर्थिक सहयोग व प्रकाशक

प्लान इंडिया, दिल्ली

वर्ष

2013

आभार

पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षक मैन्युअल प्लान इण्डिया के लिए निर्मित किया गया है। इस मैन्युअल को प्राथमिक तौर पर प्लान की सहभागी संस्थाएं अपने कार्यक्षेत्र में इस्तेमाल करेंगी। पंचायती राज सदस्यों की क्षमतावर्धन में प्रशिक्षण और नियमित प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण औजार है।

पंचायती राज व्यवस्था, प्रजातन्त्र की व्यवस्था है। हमारी अपनी व्यवस्था है। इस व्यवस्था को नेतृत्व देने वाले व्यक्ति स्वयं को समझे और जेण्डर दृष्टि से विकास, नेतृत्व, समता, सशक्तीकरण, ताकत, वित्त आदि मुद्‌दों को देख पाए, ऐसा प्रयत्न किया गया है।

इस मैन्युअल के निर्माण की प्राथमिक कड़ी है एन्जेण्डर्ड कार्यक्रम को देख रही लिली विश्वनाथन एवं रूचि चौधरी। आप दोनों के प्रयत्न से यह मैन्युअल अस्तित्व में आया, हम आपके आभारी है। समुदाय स्तर पर SBMA, उत्तराखण्ड व सेवा मंदिर उदयपुर के उन सभी कार्यकर्ताओं के प्रति धन्यवाद है, जो इस मैन्युअल का इस्तेमाल कर इसे जीवन्त बनायेंगे। उनके बिना यह मैन्युअल बेजान ही रहता।

अतः इस मैन्युअल में बतौर सामग्री, प्लान इण्डिया के लिए विशाखा द्वारा निर्मित 'सहजकर्ताओं व युवाओं के लिए जेण्डर एवं जीवन कौशल पर प्रशिक्षण मैन्युअल' में से कुछ सत्रों को जस का तस लिया गया है, उम्मीद करते है यह कार्य में सुगमता देगा। आखिर में उन सभी अतरंग मित्रों और कार्य के साथियों के प्रति आभार जिन्होंने इस कार्य के दौरान निरन्तर ऊर्जा प्रदान की, साथ दिया।

सधन्यवाद
भरत

अनुक्रमणिका

क्र.स.	विषय/सत्र	पृष्ठ संख्या
	मैन्युअल के बारे में	5
1.	आापसी पहचान व दोस्ती	6
	सत्र 1 : परिचय एवं सहजता झिझक खोलने हेतु गतिविधियां	7–8
2.	प्रशिक्षण पूर्व एवं पश्चात आकलन	9–12
3.	हमारा संस्थागत परिपेक्ष्य–	13
	सत्र 2 : आपसी पहचान व दोस्ती : काम की जगहो को समझना	16
4.	जेंडर, सामाजीकरण व मानव विकास	17
	सत्र 3 : पहचान कौन (छवियां व मूल्य)	22–25
	सत्र 4 : जेण्डर व लिंग	29–30
	सत्र 5 : हमारा सामाजीकरण	32–35
	सत्र 6 : समाज, सामाजिक व्यवस्था व मानव विकास की यात्रा	40–42
	सत्र 7 : पितृसत्ता	46–47
	सत्र 8 : जेण्डर व उसका दैनिक जीवन पर असर	49–50
5.	हिंसा की समझ व रोकथाम	51–52
	सत्र 9 : हिंसा की समझ	57–59
	सत्र 10 : हिंसा का फैलाव और असर	60–62
	सत्र 11 : हिंसा की रोकथाम व सामुदायिक कार्यवाही	66–67
	सत्र 12 : महिला हिंसा रोकथाम में पंचायती राज सदस्यों की भूमिका	68–70
6.	सशक्तीकरण	71
	सत्र 13 : ताकत और गैर बराबरी	72–74
	सत्र 14 : सशक्तीकरण और जरूरत	78–79
7.	नेतृत्व और समूह निर्माण	80
	सत्र 15 : हम सब लीडर है।	83–84
	सत्र 16 : निर्णय लेने का कौशल	85–88
	सत्र 17 : असहमति जताने का कौशल	89–90
	सत्र 18 : समूह निर्माण की प्रक्रियाएं और जेण्डर	91–92
	सत्र 19 : औपचारिक जानकारियों तक पहुंच और उनका इस्तेमाल	93–94
8.	जेण्डर, विकास एवं बदलाव	95
	सत्र 20 : बदलाव के अर्थ व आवश्यकताएं	99–100
	सत्र 21 : बदलाव का आधार, दिशा और गति	101–102
	सत्र 22 : विकास का अर्थ और स्वरूप	103–104
	सत्र 23 : जेण्डर की दृष्टि में विकास (जेंडर बजटिंग)	105–107
	सत्र 24 : महिला सशक्तीकरण में पचायतीराज प्रतिनिधियों की भूमिका	108–110

मैन्युअल के बारे में

हम सब जानते है कि क्षमता निर्माण के लिए निरन्तर प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रशिक्षण के लिए जितना महत्वपूर्ण है उसकी विषय वस्तु उतनी ही महत्वपूर्ण है प्रशिक्षण की प्रक्रिया। प्रक्रिया ही वह साधन है जो विषय वस्तु को स्वीकार करने लायक बनाती है। इस मैन्युअल में विषय वस्तु एवं प्रक्रिया दोनों को समाहित किया गया है।

यह मैन्युअल पंचायती राज सदस्यों को अपने बारे में, अपनी सोच और नजरिये के बारे में, अपने अन्दर के कौशल के बारे में सोचने व समझ बनाने के लिए प्रेरित करता है।

इस मैन्युअल में जेण्डर व जेण्डर दृष्टि से हिंसा की समझ, हिंसा रोकथाम में पंचायती राज सदस्यों की भूमिका, सशक्तीरण, नेतृत्व, बदलाव एवं विकास पर समझ निर्णय का प्रयास किया गया है।

मैन्युअल में मोटे तौर पर तीन प्रकार की सामग्री है। पहली सामग्री विषय की समझ के बारे में है, जो दो से लेकर 9 अध्यायों के अन्तर्गत लिखी गई है। यह मोटे तौर पर व्यापक समझ विकसित करने के लिए लिखी गई है। दूसरे तरह की सामग्री सत्र एक से सत्र 23 में है, जो मोटे विषयों को उपबिन्दुओं और विरोध उद्देश्यों के संदर्भ में सत्र संचालन को बताती है। तीसरी तरह की सामग्री, संदर्भ सामग्री के रूप में है। संदर्भ सामग्री विषय विशेष की जानकारी को तथ्यपरख तरीके से विस्तारित समझ को निर्मित करती है।

यह मैन्युअल प्राथमिक समझ निर्माण के लिए विकसित किया गया है। जिसे सहभागी मिलकर विस्तार दे पाएगे।

मैन्युअल की सामग्री और सत्रों का क्रम सुविधा के लिए निश्चित किया गया है। प्रत्येक अध्याय अपने आप में स्वतंत्र अध्याय है जिसे सहजकर्ता जरूरत अनुसार इस्तेमाल कर सकते है।

यह मैन्युअल एक प्रक्रिया है, परिणाम नहीं। सहजकर्ता इसे अन्तिम सामग्री की तरह से उपयोग नहीं करेंगे ऐसा विश्वास है।

आपसी पहचान व दोस्ती

1

खुद को देखने, खुद की मानसिकता को समझने का कार्य मन के गहरे स्तर से जुडा है। इसमें एक–दूसरे से मदद की जरूरत होती है। ऐसी मदद जहां निष्पक्षता और तय अवधारणाओं से बाहर आकर सहभागी एक–दूसरे का साथ दे पाए। ऐसा हौसला दे पाएं कि मंजिल के अलग–अलग पडावों में हम एक–दूसरे के साथ है। ऐसा साथ, जो हमें बांधता न हो बल्कि आजादी के साथ सहयोग और सुरक्षा दोनों देता हो। इसकी शुरूआत भर हम इस प्रशिक्षण के दौरान कर पायेंगे।

आपसी पहचान की शुरूआत हम नाम, गांव और काम से जरूर करेगे, लेकिन धीरे–धीरे इन पहचानों पर भी सवाल करेगे। ये पहचान किसने दी पर भी बात करेंगे। इसलिए अभी हमारा मकसद दोस्ती और सहजता का माहौल बनाना है। खुद को पहचानने पर जोर देना है। बाहरी वातावरण में हमे कैसे देखा जाता है यह अभी हमारा सरोकार नही है।

एक तैयारी हमें हमेशा रखनी होगी कि इस प्रक्रिया में एक अवधारणा बनेगी और किसी समय वह टूटेगी। दूसरी बनेगी और वह भी टूट सकती है। माने हम एक सीढी से दूसरी सीढी पर जायेगे। पहली सीढी को हर बार छोडना पडेगा।

हां, एक महत्वपूर्ण बात कि ये दोस्तिया सिर्फ प्रशिक्षुओं के बीच नही है बल्कि यह दोस्तियां सभी सहभागियों के बीच है जिनमें सहजकर्ता और प्रशिक्षणार्थी का भेद न रहे।

सत्र 1 : आपसी पहचान व दोस्ती : परिचय व सहजता

उद्देश्य	कार्यविधि:
• सहभागियों की आपस में झिझक दूर करना। • एक दूसरे को जानना। • स्वयं के बारे में बात करने के लिए माहौल निर्मित करना।	▪ सभी सहभागियों का आपस में परिचय करना (नाम, गांव व एक खूबी) ▪ सभी सहभागी अपने बारे में एक बात (खूबी) सबको बताएंगे। (सहजकर्ता इन खूबियों को महिला व पुरुष वर्ग के हिसाब से आगामी बातचीत में संदर्भ के लिए चार्ट पेपर पर लिख कर रख लें) **झिझक दूर करने के खेल** खेल 1 : छुपे रूस्तम इस खेल में सभी सहभागियों के पास एक शीट (सहयोग सामग्री 1–जान) होगी जिसमें कुछ सवाल होंगे जिनके जवाब प्रत्येक सहभागी को पूरे समूह में ढूंढने होंगे।
सामग्री: सहयोग साम्रगी 1–जान, सहयोग सामग्री 2–पहचान की एक–एक प्रति	
समय: 90 मिनिट	

सहयोग सामग्री 1 : जान

- सबसे ज्यादा भाषा जानने वाले लोगों के नाम
- घुड़सवारी किसको आती है।
- सिनेमा हाल में पिक्चर सबसे ज्यादा किसने देखी।
- सामाजिक क्षे. में 7 साल से अधिक का कार्यानुभव रखने वाला व्यक्ति।
- राज्य स्तरीय खेल में भाग लेने वाले व्यक्ति।
- तैराकी किन–किनको आती है।
- जो गाना गाते हैं।
- पशु का दूध निकालना किन–किन को आता है।

नोट : जरुरत और स्थितियों क अनुसार आप नये सवाल जोड़ लें।

खेल 2 : वर्गीकरण

इस खेल में संगीत या तालियों की धुन पर सहभागी पूरे कमरे में चारों तरफ घूमते रहेंगे। संगीत रुकते ही खिलाने वाला व्यक्ति एक निर्देश (सहयोग सामग्री 2–पहचान) देगा। सहभागी उसके अनुसार क्रिया करेंगे। फिर संगीत शुरू होगा लोग चलते रहेगे।

खेल 3 : कितने भई कितने

इस खेल में गोले में सभी सहभागी ताली बजाकर चलेंगे। खेल खिलाने वाला एक व्यक्ति बीच में होगा और पूछेगा 'कितने भई कितने'। गोले में चल रहे व्यक्ति कहेंगे :आप कहें जितने'। फिर बीच वाला व्यक्ति एक संख्या बोलेगा। बोली गई संख्या के हिसाब से सभी सहभागियों को समूह बनाने होंगे। बचे हुए सहभागी खेल से बाहर हो जाएंगे। खेल का क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा।

सहयोग सामग्री 2 : पहचान

- 30 साल की उम्र के व्यक्ति।
- स्नातक से अधिक शैक्षिक योग्यता।
- विवाहित व्यक्ति।
- जिनकी मां नौकरी करती है।
- जिनके बेटियां हैं।
- जिन्होने पहले वाराणसी देखा है।
- जो कभी किसी बड़े अधिकारी से मिले हैं।
- जिन महिलाओं ने अकेले यात्रा की है।
- जिन्होने अपनी मर्जी से शादी की है।
- जो दो पहिया वाहन चालना जानते हैं।
- जो लोग खाना बनाना जानते है।
- जिन्होंने कभी आम चुनाव में वोट दिया है।

2

प्रशिक्षण पूर्व आंकलन

हम सब प्रशिक्षण के पांच दिनों में अलग–अलग तरह की प्रक्रियाओं से गुजरेंगे। भावनात्मक एवं तार्किक रूप से कई तरह के विचार हमें प्रभावित करेंगे। हमारी समझ का दायरा फैलेगा। हम अपनी समझ और अपने व्यवहार के बीच दूरियों को समझ पाएंगे। यह सब एक अतरंग और आन्तरिक प्रक्रिया होगी। इस प्रक्रिया को मापने के लिए हमारे पास कोई मशीन नहीं है। लेकिन इस समझ की जानकारी बतौर सहजकर्ता हमारे लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी स्वयं सहभागी के लिए।

इन प्रक्रियाओं को मापना अभी भी हमारे लिए संभव नहीं है किन्तु इसके असर और समझ को कुछ सवालों के माध्यम से जानने की कोशिश हम इस आंकलन से करेंगे। यह आंकलन प्रशिक्षण से पहले और प्रशिक्षण समाप्ति पर होगा। दोनों ही फार्म को संभाल कर रखा जाएगा, ताकि उसे एकजाई कर प्रशिक्षण के असर को समझा जा सके।

आंकलन के लिए दो तीन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है जैसे –

- आंकलन पूर्व एवं दौरान भय का माहौल ने बने, दोस्ती का माहौल बने।
- आंकलन के दौरान सहभागी हीन भावना की बजाय अपने बारे में समझने के लिए प्रेरित हो।
- प्रपत्र भरने का कार्य समय आधारित अवश्य है किन्तु कोई सहभागी एक–दो मिनट अधिक भी लगायें तो कोई असहजता नहीं होनी चाहिए।

इस प्रकार हम एक मोटा आंकलन कर पाएंगे कि प्रशिक्षण की दिशा और उसका असर ठीक तरफ बढ़ रहा है। किस तरह की क्षमताएं, कौशल और समझ विकसित करने की आवश्यकता है। इन अनुभवों और समझ को अगले प्रशिक्षणों में शामिल किया जा सकता है।

सहभागियों का प्रशिक्षण पूर्व/पश्चात् आंकलन

प्रशिक्षण पूर्व	
प्रशिक्षण पश्चात्	

दिनांक :

नाम :... गांव :... पद..

खण्ड/ तहसीलः... जन्म दिनांक /उम्रः.. वर्तमान पद पर कब से कार्यरत है ....

शैक्षिक स्थितिः.. लिंगः महिला / पुरुष

धर्म : ☐हिन्दू ☐ईसाई ☐ मुस्लिम ☐ सिक्ख ☐ अन्य

सामाजिक श्रेणी स्थिति ☐ अनुसूचित जनजाति ☐ अनूसूचित जाति
☐ पिछड़ा वर्ग ☐ अन्य पिछड़ा वर्ग ☐ अन्य (कृपया लिखें)

नीचे दिए गए सवालो के जबाव में जो विकल्प आपको सबसे ठीक लगता है उस पर टिक(✓) का निशान लगाएं ।

1. लडकियां मोबाईल पर बात करके बिगड़ जाती है (अ) पूर्ण सहमत (ब) पूर्णतः असहमत (स) मालूम नहीं (द) थोड़ा सहमत (य) इनमें से कोई नहीं	**8 पुरुषों को बाहर के व महिलाओं को घर के काम करने चाहिए** (अ) पूर्ण सहमत (ब) पूर्णतः असहमत (स) मालूम नहीं (द) थोड़ा सहमत (य) इनमें से कोई नहीं
लड़को को रोना नहीं चाहिए क्योकि ये लड़कियों का काम है (अ) पूर्ण सहमत (ब) पूर्णतः असहमत (स) मालूम नहीं (द) थोड़ा सहमत (य) इनमें से कोई नहीं	**9. लड़कियां चुगली ज्यादा करती है लड़के नहीं** (अ) पूर्ण सहमत (ब) पूर्णतः असहमत (स) मालूम नहीं (द) थोड़ा सहमत (य) इनमें से कोई नहीं
3. जेण्डर व सेक्स (लिंग) दोनों का मतलब एक ही है (अ) पूर्ण सहमत (ब) पूर्णतः असहमत (स) मालूम नहीं (द) थोड़ा सहमत (य) इनमें से कोई नहीं	**10. इनमें से कौनसी बात हिंसा नही है–** (अ) श्याम ने राम को मारा (ब) मोहन ने मीरा को गाली बोली (स) मधु चाहती है कि सीमा उसकी बात जरुर माने (द) मीना, अंजु को खाने पर बुलाने की जिद्द बार–बार कर रही है। (य) जानकी सबके सामने नाचना नहीं चाह रही थी, मगर मास्टर जी किसी भी तरीके से मान नहीं रहे थे।
4. एक महिला गैरसेण की सड़क पर नजरें नीची करके चलती है और जयपुर की सड़क पर भी नजरें नीची करके चलती है इसका कारण है– (अ) उसकी नजर (ब) उसके माता पिता (स) कम जानकारी (द) उसमें अक्ल की कमी (य) समाजीकरण (र) उसमें कम ताकत	**11. जेण्डर आधारित हिंसा होती है** (अ) लड़को के साथ (ब) लड़कियों के साथ (स) दोनों के साथ (द) किन्नरों के साथ (य) सबके साथ (र) पति और पत्नी के साथ
5. मां के अन्दर ममता होती है। (अ) जन्म से (ब) मां बनने पर (स) समाज के सोचने समझाने के तरीके के कारण (द)शादी करने पर (य) लड़का होने पर (र) इनमें से कोई नही	**12. हिंसा की घटनाएं नहीं होती है–** (अ) बाजार, सिनेमाहॉल और रास्तों में (ब) स्कूल, धार्मिक स्थान और पीहर में (स) घर, पीहर और अस्पताल में (द) पुलिस थाना, काम की जगह और पंचायत में (य) घर में (र) ऐसी कोई जगह नहीं
6 लड़के और लड़कियां दोनो बराबर नहीं हैं क्योंकि – (अ) लड़के मजबूत होते हैं (ब) लड़कियां लड़को से ज्यादा समझदार होती हैं (स) लड़कियों को लड़को की बात माननी होती है। (द) ये सिर्फ सोचने की बात है दोनों में कोई फर्क नही है। (य) लड़के घर की शान है लड़कियों को पराये घर जाना है। (र) लड़कियां बात बात पर रोती हैं और लड़के रोते नही है।	**13. महिलाओं को चाहिए कि वे अपने साथ होने वाल जबरदस्ती या हिंसा की बात को** (अ) अपने तक ही रखे (ब) अपने विश्वास के व्यक्तियों को बताए (स) किसी को न बताए (द) भूल जाए (य) याद रखे और आगे से सावधानी बरते (र) आगे न बढाए क्योंकि जबरदस्ती होती ही नही है।
7. इनमें से कौनसा काम महिलाएं नहीं कर सकती (अ) चार पहिया वाहन चलाना (ब) हवाई जहाज चलाना (स) कमान्डो बनना (द)घुड़सवारी (य) बीज की बुवाई / खेती (र) सभी काम कर सकती है।	**13. महिलाए / लड़कियां छेड़खानी या यौन उत्पीड़न को पसंद करती है–** (अ) पूर्ण सहमत (ब) पूर्णतः असहमत (स) मालूम नहीं (द) थोड़ा सहमत (य) इनमें से कोई नहीं

14. हिंसा को सहन न करके , हिंसा की घटनाओं को बांटना और मिलकर मुकाबला करना, हिंसा रोकने का उपाय है– (अ) पूर्ण सहमत (ब) पूर्णतः असहमत (स) मालूम नहीं (द) थोड़ा सहमत (य) इनमें से कोई नहीं	**20. महिला अच्छी लीडर हो सकती है।** (अ) पूर्ण सहमत (ब) पूर्णतः असहमत (स) मालूम नहीं (द) थोड़ा सहमत (य) इनमें से कोई नही
15. हिंसा में हम व्यक्ति के अवसर, सम्भावना , खुशी, शरीर, सम्मान को नष्ट करने की कोशिश करते है– (अ) पूर्ण सहमत (ब) पूर्णतः असहमत (स) मालूम नहीं (द) थोड़ा सहमत (य) इनमें से कोई नहीं	**21. क्या आपने पहले कभी समता व न्याय आधारित समाज की बात सुनी है।** हां नहीं थोड़ा सुना है।
16. समूह में कार्य करने के लिए जरूरी है– (अ) एक दूसरे से प्रतियोगता करना (ब) एक दूसरे की कमियों को पहचान कर दूर करना (स)एक दूसरे की कमियों और ताकतों को पहचान कर इस्तेमाल करना (द) एक दूसरे के बीच दूरी बना रखना (य) उपरोक्त सभी (र) इनमें से कोई भी नही	**22. अवसर और सहयोग मिले तो किशोर और किशारियों की संम्भावना बराबर रुप से खुल जाती है–** (अ) पूर्ण सहमत (ब) पूर्णतः असहमत (स) मालूम नहीं (द) थोड़ा सहमत (य) इनमें से कोई नहीं
17. निर्णय लेने पर कौनसी प्रक्रिया घटती है– (अ) झटपट निर्णय लेना (ब) सोच समझ कर निर्णय लेना (स) समस्या को पहचानना, उनका विश्लेषण और उपयुक्त विकल्प (द) विकल्पों में से छांट कर निर्णय लेना (य) इनमें से कोई नही (र) पता नही	**23. बदलाव हमारे करने से ही होता है हम चाहें तो बदलाव नहीं होगा।** (अ) पूर्ण सहमत (ब) पूर्णतः असहमत (स) मालूम नहीं (द) थोड़ा सहमत (य) इनमें से कोई नहीं
18. 'हम सब में लीडर होता है' ***इस बात से आप–*** (अ) पूर्ण सहमत (ब) पूर्णतः असहमत (स) मालूम नहीं (द) थोड़ा सहमत (य) इनमें से कोई नहीं	**24. खुद को समझना सशक्तीकरण की पहली सीढी है–** (अ) पूर्ण सहमत (ब) पूर्णतः असहमत (स) मालूम नहीं (द) थोड़ा सहमत (य) इनमें से कोई नहीं
19. बैक में खाता खोलने के लिये जरूरी है। (अ) फोटो और पासपोट (ब) फोटा, निवास सबूत (स) निवास सबूत ओर पैसा (द) निवास सबूत, फोटो, फोटा पहचान पत्र, पैसा (य) निवास व परिचय पहचान पत्र, फोटो, पैसा व व्यक्ति का परिचय (र) पता नही	

3

हमारा संस्थागत परिपेक्ष्य

हम सब अलग–अलग जगहों से यहां आए हैं, हमारे मन में अलग–अलग जिज्ञासाएं है। अलग–अलग विचार है, मगर एक विचार हम सब के बीच है और वह विचार है साथ काम करने का, साथ मिलकर अपने गांव, अपनी पंचायत की तस्वीर बदलने का।

यह तस्वीर कैसी हो, क्यों बदली जाए ? क्या इसे मैं बदल सकती हूँ ? जैसे कई सवाल है जो साथ–साथ मन में उठ रहे है। इन सवालों पर जाने से पहले क्या हम थोड़ा समय खुद को, खुद के मन को, काम की जगहों को, वहां की ताकतों और कमजोरियों को समझने के लिए नहीं लगाना चाहेंगे ?

इस प्रशिक्षण में संभवत वार्ड पंच, सरपंच, पार्षद, प्रधान सामाजिक कार्याकर्ता और विकास के मुद्दों से जुड़े कई व्यक्ति आए होंगे। क्या हम उनके काम और उनके कार्यालय के बारे में कुछ जानकारी रखते है ?

हमारे कार्य और हमारी संस्था के वे कौनसे सरोकार, मकसद और प्रतिबद्धताएं हैं, जिनकी जानकारी हम सब के पास होना जरूरी है।

इसी मकसद से हमारी जान–पहचान, हमारी दोस्तियां मजबूत हो, हम एक दूसरे की मदद कर पाएं, इस अध्याय में हम काम और काम की जगहों को समझने का प्रयत्न करेंगे।

प्रयत्न करेंगे कि हम ग्राम पंचायत, हमारी संस्था के साथ–साथ प्लान इण्डिया के कार्यों और उनकी प्राथमिकताओं को भी समझ पाएं। प्लान संस्था हमारा सहभागी कैसे है, इसे देख पाए। इसी मकसद से हम सभी सहभागियों की बातचीतों में प्लान की नीति और प्रतिबद्धताओं की बातचीत भी करेंगे।

सुझाव : सम्भव हो तो इस सत्र के दौरान प्लान इण्डिया व आपकी अपनी संस्था अपने उद्देश्यों, गतिविधियों को बताएं/अपने यहां की जेण्डर नीति को देखें। बातचीत में मदद के लिए परियोजना समन्वयक की मदद ले।

संदर्भ सामग्री सत्र 2 : आपसी पहचान व दोस्ती : काम की जगहों को समझना

प्लान की जेण्डर नीति में घोषित प्रतिबद्धताएं

प्लान का विश्वास है कि बदलाव के लिये जेण्डर समता को केन्द्र में रखना होगा। तभी संसार का प्रत्येक लडका, लडकी, अपनी सम्पूर्ण संभावनों के साथ ऐसे पला बढ़ा होगा जहां सभी एक दुसरे के अधिकारों और सम्मान का ध्यान रखते हो।

प्लान मानती है कि लडको और लडकियों की परवरिश उन पर होने वाली हिंसा उनको मिलने वाले अवसरों को जेण्डर सम्बंधी वास्तविकताऐं प्रभावित करती है। उनकी सम्पूर्ण सभावनाओं को रोकती हैं इसीलिये प्लान अपने गहनतम मुद्दे बाल अधिकार के साथ साथ जेण्डर समता को भी केन्द्र में रखना चाहती है। प्लान ने जेण्डर समता के लिए अपनी प्रतिबद्धता विभिन्न दस्तावेजों और कार्यक्रमों के माध्यम से दर्शाई है। संस्था की जेण्डर नीति एवं CCCD अप्रोच है। दस्तावेज संस्था की जेण्डर नीति को विस्तृत रूप से मैन्युअल में बतौर संदर्भ सामग्री दी गई। यह नीति मौटे तौर पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन हेतु संविदा (CEDAW), UNCRC, बीजिंग सम्मलेन (1995), कायरो सम्मलेन (1994) तथा संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्रशताब्दिक विकासात्मक उददेश्य (UN-MDG Declaration) से प्रभावित है।

सिद्धांत	प्रतिबद्धता
(क) बच्चे प्लान कार्यक्रमों के केन्द्र में हैं	**1.** प्लान संस्था बच्चों के अधिकारो को बढावा देने के लिए जेंडर भेदभाव, रुढ़िवादिता तथा पुरुषों व महिलाओं और लड़कों व लड़कियों के बीच असमान शक्ति संबंधों का मुकाबला करेगा और उन्हें चुनौती देगी
(ख) प्लान के कार्यक्रम मानवाधिकारों के मानकों और सिद्धान्तों से निर्देशित होते हैं।	**2.**प्लान जेंडर समानता की मानव तथा बाल अधिकार के रूप में पैरवी (जन–समर्थन) करेगा व उसको बढावा देगा । **3.** प्लान सभी तरह की जेंडर आधारित हिंसा और उन सभी रिवाजों/चलनों को समाप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करेगा जो कि बच्चों की गरिमा को ठेस पंहुचाते है तथा उनकी शारीरिक व मानसिक क्षति से सुरक्षा प्राप्त करने में उनके अधिकारों को कमजोर करते हैं।
(ग) प्लान के कार्यक्रम सामाजिक	**4.** प्लान उन कार्यक्रमों और साझेदारियों का निर्माण करेगा जो विविधता को सम्मान और सांस्कृतिक भिन्नताओं के

समावेश भेदभाव रहित वातावरण को बढावा देतें है।	प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करता हो। प्लान उन चलनों/रिवाजों का विरोध करेगा जो कि जेंडर आधारित भेदभाव, पूर्वधारणाओं या असमानता से उपजे हैं। 5. प्लान जेंडर आधारित बहिष्कार और भेदभाव के कारणों को संबोधित करने के लिए सामाजिक परिवर्तन की दीर्घकालिक रणनीतियों का क्रियान्वयन करेगा।
(घ) जेंडर समानता प्लान के सभी कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है	6.प्लान यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कार्यक्रमों में जेंडर समानता को बढावा देने वाले जेंडर विश्लेषण और कार्यवाईयों को शामिल किया जाए। 7. प्लान जेंडर गेप को समाप्त करने के लिए लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी बच्चों को अपने अधिकारों पाने के लिए समान अवसर प्राप्त हो सके। 8. प्लान जेंडर न्याय को बढावा देने के लिए जेंडर संबंधी रुढ़िवादी सोच और जेंडर भेदभाव के अन्य मूल कारणों को चुनौती देते हुए लिए पुरुषों और बच्चों के साथ काम करेगा।
(ङ)प्लान के कार्यक्रम, बच्चों की मुक्त रूप से और सार्थक सहभागिता को बढ़ावा देते हैं।	9. प्लान लड़कों और लड़कियों के जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी समान व सार्थक सहभागिता सुनिश्चित करेगा।
(च) प्लान बच्चों के अधिकारों के पक्ष में अपने प्रयास करने के प्रति जवाबदेह है।	10. प्लान अपनी अंदरुनी संस्थात्मक संस्कृति में जेंडर समानता को पनपने देने के लिए एक समर्थकारी माहौल पैदा करेगा। 11. प्लान उन जोखिमों का विश्लेषण करेगा जो जेंडर न्याय दिलाने में उत्पन्न हो सकते हैं । लड़कों व लड़कियों को सभी सम्भवित नुकसान से बचाने के लिए आवष्यक कदम उठायेगा। 12.प्लान जेंडर समानता की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए मानव, तकनीकी और वित्तीय संसाधनों को जुटायेगा और उन्हें मुहैया कराएगा।

सत्र 2 : आपसी पहचान व दोस्ती : काम की जगहों को समझना

उद्देश्य :	कार्यविधिः
इस सत्र के अन्त तक सहभागी – • अपने काम की जगहों और परियोजना का परिचय दे पायेंगे। • काम की जगहों को समझ पायेंगे। काम की जगहों को लेकर क्या महसूस करते है, बता पायेंगे।	**सहजकर्ता के लिये नोट** ➢ प्लान इंडिया के के बारे में पूछे यदि किसी सहभागी ने पहले से सुन रखा हो तो बताने के लिए कहें अगर कोई नही जानता हो तो संदर्भ सामग्री का इस्तेमाल करते हुए प्लान का उद्देश्य, फैलाव, भागीदारी के आधार व जेंडर नीति के तहत छः सिद्धान्त और 12 प्रतिबद्धताओं की बात करें। प्लान इंडिया व एनजेंडर्ड कार्यक्रम के लिए बने चार्ट को प्रशिक्षण कक्ष में लगाएं। • सभी सहभागी गोले में बैठकर एक बार अपना नाम एवं कार्य की जगह बतायेंगे। • कार्य के प्रकार आधार पर छोटे समूह बनाए जाए यानि एक संस्था, एक ऑफिस, एक पंचायत अथवा एक ही प्रकार का काम करने वाले एक समूह में आयेंगे। • अगर सभी एक जैसा काम करते हैं तो 5–6 व्यक्तियों का एक समूह अर्थात् 30 व्यक्तियों को 6 समूहों में बांटे। • सुविधा के लिए एक क्रम तय करके पहले राउण्ड में सभी अपनी संस्था के कार्यो के बारे में बतायेंगे। संस्था का कोई प्रस्तुतीकरण हो तो वह भी दिखाया जा सकता है। जैसे एन्जेण्डर्ड कार्यक्रम व प्लान की जेण्डर नीति का पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण। • दूसरे राउण्ड में वे वहां काम करके कैसा महसूस करते है, बतायेंगे। • अपनी संस्था की, काम के अनुभव में कुछ अच्छी या अच्छी न लगने वाली घटनाओं को भी बता सकते है। • बाद में काम की जगह की सकारात्मक बातों को चार्ट पर लिख कर लगाएं। • प्रशिक्षण में अगले 5 दिनों में क्या बातचीत करेंगे, के साथ सत्र समाप्त करेंगे। प्रशिक्षण की विषयवस्तु को अनुक्रमणिका में लिखा गया है।
सामग्रीः चार्ट, मार्कर, प्लान प्रतिबद्धताओं की प्रतिलिपि, संस्था के कामकाज पर प्रस्तुतीकरण आदि	
समयः 120 मिनिट	

4

जेण्डर, लिंग व समाजीकरण और उसका हमारे जीवन पर असर

पिछले करीब एक– डेढ दशक में जेंडर आधारित भेदभाव और उसमें असर को बारीकी से देखने की कोशिश की गई है। लिंग आधारित भेदभाव हमारी सामाजिक संरचना में रचा बसा है। जिसका क्रूर रूप हम महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा के रूप में भी देखते हैं। हमारे दैनिक व्यवहारों में जेंडर आधारित भेदभाव इस कदर घुल मिल गया है कि बहुत बार उसकी पहचान भेदभाव के रूप में नहीं होती है। जरूरी है कि हम उन स्थितियों को पहचाने जहां यह भेदभाव अपनी जड़े जमाता है। जन्म से लेकर वयस्क होने तक बालक–बालिकाएं समान रूप से इस भेदभाव से प्रभावित होते है। पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था में पुरूष वर्चस्व की श्रेष्ठता को सहज स्वीकृति प्राप्त है। यह श्रेष्ठता बचपन से ही स्थापित होती चली जाती है। बालिकाएं अपने आस–पास के वातावरण और परिवार में स्त्रियों को पुरूषों से हीन पाकर अपने आप उसी सोच में खुद को ढ़ाल लेती है। इस सबके साथ धर्म, राजनीति, सामाजिक परम्पराएं मान्यताएं भी व्यवस्था के स्त्री विरोधी चरित्र को अधिक उभारते हैं, जाने–अनजाने स्त्रियां खुद भी यह मान लेती है कि वे पुरूषों से कमतर हैं। इसी स्थिति को वे अपना जैविक गुण मान लेती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि कैसे सदियों से पोषित एक खास किस्म की अवधारणा स्त्रियों के संदर्भ में प्राकृतिक मान ली जाती है। ऐसी अनेक छवियां है जो बाकायदा सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से गढ़ी गई है। इन छवियों को प्राकृतिक मानकर स्त्रियां इनके खिलाफ कोई सवाल खड़े नही कर पाती है।

प्रस्तुत अध्याय में हम जेंडर आधारित भेदभाव के विभिन्न रूपों को गतिविधियों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। भेदभाव के उन मूलभूत कारणों को समझ कर ही समानता की दिशा में कुछ ठोस काम किया जा सकेगा।

संदर्भ सामग्री : विभिन्न परिभाषाएं

सामुदायिक कार्य

इसमें सामाजिक प्रसंगों और सेवाओं का सामूहिक संगठन शामिल हैं जैसे समूहों और संगठनों में भागीदारी, सामुदाय के सुधार की योजनाएँ, उत्सव और समारोह। यहाँ श्रम का एक जेन्डर बटवारा काम करता है जिसमें महिलाएँ और लड़कियाँ अपने पुनरुत्पादन की भूमिका के विस्तार के तौर पर स्वैच्छिक रूप से ऐसी गतिविधियाँ ले लेती हैं जैसे पानी, स्वास्थ्य, बच्चों की देख–रेख आदि के संसाधनों को जुटाना और उनको बनाए रखना। आदमियों का झुकाव इस तरफ ज्यादा रहता है कि वे सामुदायिक स्तर पर संसाधनों के प्रबन्ध और राजनैतिक तथा नेतृत्वकारी भूमिकाओं में ज्यादा शरीफ रहें।

जेन्डर

मोटे तौर पर कहें तो किसी व्यक्ति की जेन्डर–पहचान तो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उनके जन्म के बाद गढ़ी जाती है। लेकिन उसका लिंग जन्म से पहले ही जैविक रूप से तय हो चुका होता है। हालांकि जेन्डर–अधीनता तो सर्वव्यापी है। लेकिन मर्दों और औरतों को क्या करना चाहिए, उन्हें कैसा दिखना चाहिये और कैसा व्यवहार करना चाहिए – ऐसे विचार अलग–अलग समाजों में अलग–अलग होते हैं। 'जेन्डर' शब्द का उपयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया जाता है कि मर्दों और औरतों की जेन्डर–पहचानें और भूमिकाएं जैविक रूप से तय नहीं होती है।

किसी व्यक्ति के लिंग और उसकी जेन्डर–पहचान के बीच का आपसी रिश्ता बहुल जटिल हो सकता है। उदाहरण के लिए, केरल के सांखानेरी की युवा महिलाओं को, युवा पुरूषों की तुलना में, एच.आइ.वी. – एड्स की चपेट में आने का ज्यादा खतरा है और इसका कारण उनकी शारीरिक–रचनागत कोमलता के अलावा मर्दों और औरतों के बीच के असमान सत्ता–सम्बन्ध भी हैं।

जेन्डर–जागरूक और जेन्डर–जागरूकता

एक जेन्डर–जागरूक स्टाफ सदस्य या कार्यक्रम अपने कामों में जेन्डर–अन्तरों का इस तरह से ख्याल रखता है कि जेन्डर न्याय–निष्पक्षता को आगे बढ़ाया जा सके।

जेन्डर–समानता

जेन्डर–दृष्टि से समानता वाली दुनिया में, मर्दों और औरतों, लड़कों और लड़कियों के पास जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अधिकार, जिम्मेदारियाँ और अवसर होंगे। इसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा, एक रोजगार, सामाजिक भागीदारी, 'घर और आश्रितों की देखभाल और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी शामिल है। ऐसे समाज में जहाँ दोनों जेन्डर बराबर होंगे, वहाँ मर्द और औरत, दोनों की ही पहचान होगी, आदर होगा और कीमत होगी। एक दूसरी नजर से कहें तो जेन्डर–समानता का अर्थ है जेन्डर–भेदभाव की अनुपस्थिति/समाप्ति।

जेन्डर न्याय–निष्पक्षता

इसका अर्थ है मर्दों और औरतों के बीच में, लड़कों और लड़कियों के बीच में – संसाधनों, लाभों और जिम्मेदारियों के बंटवारे में न्याय। इस अवधारणा के अनुसार लड़कों और लड़कियों के बीच में एवं मर्दों और औरतों के बीच में सत्ता–सम्बन्ध गैर–बराबरी से भरे हैं। और ऐसी गैर–बराबरियों का सामना करना होगा। जेन्डर–समानता की तरफ बढ़ने की राह में, अब जेन्डर–न्याय–निष्पक्षता को एक जरूरी कदम माना जाता है।

स्त्री अधिकार

'स्त्री अधिकार' का शब्द उन नैसर्गिक स्वतन्त्रताओं से है, जो हर उम्र की लड़कियों और औरतों के पास होती है। हो सकता है वो किसी खास समाज में कानून, परम्पराओं या व्यवहार के जरिए संस्थाबद्ध कर दी गई हो, उपेक्षित की जाती हों या दबा दी जाती हों। इन स्वतन्त्रताओं को एकत्रित करके एक अलग समूह बना दिया गया है और उसे मान अधिकारों के ज्यादा व्यापक अर्थ और समूह से अलग पहचान दी गई है क्योंकि ये प्रायः उन स्वतन्त्रताओं से भिन्न होती हैं जो मर्दों और लड़कों के लिए होती हैं और उनके द्वारा स्वभावतः प्रयोग की जाती है। और इसलिए भी, क्योंकि इस मुद्दे पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का दावा है कि महिलाओं और लड़कियों द्वारा इन अधिकारों का उपयोग किए जाने के खिलाफ एक अन्तर्निहित/ऐतिहासिक और परम्परागत पक्षपात और भेदभाव है। स्त्री अधिकारों से जो मुद्दे आम तौर पर जोड़े जाते हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं (ध्यान रखें यह पूरी सूची नहीं है) – अपने शरीर की अखंडता/अक्षतता और स्वायत्तता का अधिकार, वोट का अधिकार, सार्वानिक पद–भार संभालने, काम/नौकरी करने, उचित वेतन या समान वेतन पाने, सम्पत्ति की मालिक बनने, शिक्षित होने, कानूनी करारनामे करने और धार्मिक, वैवाहिक और अभिभावक होने के अधिकार।

जेन्डर–भेदभाव

सीडा (स्त्रियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने की घोषणा) ने स्त्रियों के खिलाफ भेदभाव को इस तरह से परिभाषित किया है :–

'स्त्रियों और पुरूषों की समानता के आधार पर और इस बात से निरपेक्ष कि वे शादीशुदा हैं या नहीं, स्त्रियों द्वारा मानव अधिकारों और राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक या अन्य किसी भी क्षेत्र की बुनियादी स्वतंत्रताओं का उपयोग करने, प्रयोग करने और सम्मान करने की प्रक्रिया को धीमी करने या खत्म करने का मकसद या असर रखने वाले हर प्रकार के प्रतिबन्ध, बहिष्कार या अलग करने को जेन्डर भेदभाव माना जाएगा ––– जो लिंग के आधार किया जाता हो–'

श्रम का जेन्डर विभाजन

इसका मतलब काम के उस बटवारे से है जो पुरूषों के काम और स्त्रियों के काम के बीच में होता है। इसमें बाजार में खाना बेचने और बस चलानें जैसे पैसा कमाने या वेतन पाने वाले काम, तथा 'घर में खाना बनाने और बच्चों की देखभाल करने जैसे पैसा नहीं कमाने और वेतन नहीं पाने वाले काम शामिल हैं।

देखभाल सम्बन्धी काम, उत्पादक काम, सार्वानिक और सामुदायिक कामों के विभिन्न तरह के मिश्रण सम्भव हैं, जिसमें कि मर्द और औरतें, लड़के और लड़कियाँ लगे हों।

जेन्डर–संवेदनशीलता

जेन्डर के बारे में संवेदनशील स्टाफ सदस्य या कार्यक्रम जेन्डर–अंतरों को ध्यान में रखता है और उनसे इस तरह मुखातिब होता है जिससे जेन्डर न्याय–निष्पक्षता को आगे बढ़ाया जा सके।

लिंग

इसका अर्थ है नर और मादा की जैविक और शारीरिक संरचना सम्बन्धी विशेषताएँ। उनके बीच का अन्तर मूलतः नर और मादा प्रजनन–तंत्रों का अन्तर होता है। ये सर्वव्यापी हैं और कमोवेश स्थिर है।

संदर्भ सामग्री सत्र 3 : पहचान कौन (छवियां व मूल्य)

छवियां, मूल्य, सामाजिक मान्यताएं व हमारा संवाद

छवियां हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। व्यक्ति की शक्ल उसकी वेशभूषा, उसकी भावभगिमांए हमें छवियों के मार्फत याद रहती है। सामाजिक स्थितियां या सामाजिक छवियां हमारे मानस पटल पर इस प्रकार अंकित रहती है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को एक व्यापक छवि के साथ देखते हैं। हम सामाजिक छवियों में व्यक्तियों को इतना तय (FIX) करके देखते है कि चित्र मात्र देखकर, व्यक्तित्व के साथ कई प्रकार की बाते बोल पाते हैं। ये बातें सामाजिक संदर्भो को उकेरने वाली होती हैं। दरअसल छवियों के साथ–साथ हम प्रत्येक व्यक्ति और स्थिति के बारे में एक पूर्वानुमान और फिर एक धारणा बना लेते हैं। धारणाओं की पुष्टि छवियों से करते हैं। ये छवियां ही हमारी भूमिकाओं को तय करती है। हमारे बीच विभेद लाती हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है जैसी मान्यताएं लाती है। लड़की और लड़के के लिए फर्क व्यवस्था बनाती है। मान्यताएं हमारे जीवन में मूल्यों को पोषित करती है। अच्छे और बुरे की अवधारणा को फैलाती है। हमें बहुत बार मान्यताएं हमारे अपने विश्वास को पनपने की जगह कम करते हुए हमें एक तय फ्रेम में देखने की ओर लेकर जाती है। औरतों और आदमियों के बारे में हमारी मान्यताएं हमें एक खास तरह से सोचने की तरफ बढ़ाती है।

छवियां निर्मित होने पर उनका असर आपसी संवादो पर भी पड रहा होता है। प्रायः हम व्यक्ति की अपेक्षा उसकी छवि से संवाद कर रहे होते है। यह छवियां सामाजिक मान्यताओं और व्यवहारो से बनी होती है। सामाजिक मान्यताओं की पंहुच आमजन के भीतर इस कदर पैठ जमाए होती है कि हम सब छवियों के निर्माण मे अथवा उन्हे बनाये रखने में मददगार होते है। छवियो के असर को हम इसी प्रकार परख सकतें है कि एक चित्र को हम सब (अलग अलग सहभागी होते हुए भी) देखकर या तो एक ही प्रकार की बात बोलतें है या अनकही बातों को तुरन्त सहमति दे देते है। यह छवियों का ही असर है कि हम खुले बाल, मुस्कारती, काजल लगी हुई महिला को प्रेम भाव में दिखते ही उसे यौनकर्मी की भूमिका से जोड लेते है। और एक सहभागी के बोलने पर तुरन्त सहमति दे देते है।

जब भी हम लोगों के साथ इन छवियों के आधार पर बात करते है तो हम भेदभाव कर रहे होते है क्योकि हम व्यक्ति के साथ अपने आप को नही जोडते जबकि छवियों के साथ व्यवहार करतें है। यही कारण है कि जब हम क्लैकटर या बडे अधिकारी के साथ बात करते है तो हमारा व्यवहार अलग होता है और एक नौकर के साथ बात करते है तो हमारा व्यवहार अलग हो जाता है। *विशाखा प्रकाशन 'विचार और विमर्श से साभार*

नोटः साथ ही इन छवियों के कारण ही अधिकतर सहभागी ड्राइवर, जिसने मारा और दफतर से आकर चाय पीने वाले व्यक्ति में पुरुष का तथा कामकाज करने वाली, सुनने वाली जगहों पर महिलाओं का नाम बता पाते है। यह छवियों, औरतों और आदमियों में भेद करती है। कार्य विभाजन में भेद होता है। इसे समाजीकरण के सत्रों और सामग्री में विस्तार से लिया जाता है।

सत्र 3 : पहचान कौन (छवियां व मूल्य)

उद्देश्य :

सत्र के अन्त तक सहभागी समझ पायेंगें कि :

- हम सब प्रत्येक व्यक्ति को एक छवि विशेष के साथ देखते हैं।
- महिला पुरुषों के लिए हमारी छवियां फर्क– फर्क है।
- हम भूमिकाओं को छवियों के साथ जोड़कर देखते है।

सामग्रीः एक टोकरी, 1 से 5 तक कार्डशीट के 5 सेट, छवियों से जुड़ी तस्वीरे।

समयः 90 मिनिट

कार्यविधिः

गतिविधि 1:

- सहजकर्ता सबके साथ आंखो से सम्पर्क (eye contact) बनाते हुए बातचीत प्रारम्भ करेंगे।
- सभी सहभागियों को कहेंगे कि "मैं कुछ शब्द बोल रहा हूं आपके दिमाग में इस पर जो भी विचार या चित्र उभरे उन्हें आपको तुरन्त बताना है। आपके पास सोचने का समय नही होगा।" जो विचार आएं उन्हे तुरन्त लिखते जाए।
- कुछ शब्द इस प्रकार हैं– देहरादून, लंदन, जयपुर, गांव का दवाखना, आंगनबाड़ी केन्द्र आदि
- अब सबके साथ बातचीत करें कि कितने सहभागी हैं जो इन जगहों पर जाकर आएं हैं या इन जगहों को देखा है? कुछ सहभागी ऐसे भी होंगे जो कभी नहीं गए, कभी नहीं मिले फिर भी वे उन जगहों व्यक्तियों, संस्थाओं के बारे में जानते है?
- बात करें कि वे इन्हें कैसे जान पाए, बिना मिले, बिना देखे। हमारे दिमाग में ये तस्वीर कहां से बनी?
- इस तस्वीर बनने में किन–किन बातों, व्यक्तियों, साधनों अथवा उदाहरणों की भूमिका रही है?

सहजकर्ता के लिए नोटः

- सहभागियों को शब्दों पर सोचने का समय न दिया जाए वे अपना पहला ख्याल बता पाए, इसकी कोशिश करनी है।
- सबकी बातें, तेजी से लेकर आनी होगी। खेल में देरी सहभागियों को संभलने का मौका देगी। कार्ड शीट 1–5 की तालिका को पूरा भरने के बाद ही बात को आगे बढाए। और सहजकर्ता पहले से उत्तर जानते है यह इशारा न करें।
- सहजकर्ता तालिका को पहले से बड़े चार्ट पर बनाकर रख लेंगे

गतिविधि 2:

- दूसरी गतिविधि में सहजकर्ता के पास एक टोकरी होगी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए मुड़ी हुई कागज की एक पर्ची (कार्ड शीट) होगी।
- प्रत्येक कार्ड शीट (नीचे दी गई कार्डशीट 1–5 की मदद लें) पर एक विवरण लिखा होगा। सहभागियों को उस विवरण को पढ़ कर पहचानना होगा कि वह विवरण किसके बारे में है?

कार्डशीट –1

कल शाम राजू ने स्टेशन के बाहर एक काले रंग की कार को खड़े हुए देखा। कार के ड्राईवर ने अपनी वर्दी पहन रखी थी। ड्राईवर का कद लम्बा था। आपके हिसाब से ड्राईवर का नाम क्या है या कौन हैं?

कार्डशीट –2

दो दोस्त थे। वे दोनों कल बाहर घूमने गए। रात में अनजान लोगों ने उनको छेड़ा। ऐसा करने पर एक दोस्त को बहुत गुस्सा आया। उसने छेड़ने वाले को बहुत मारा।
आपके हिसाब से जिसने मारा उसका नाम क्या था?

कार्डशीट –3

अ और ब साथ–साथ रहते थे। ब घर का और अ बाहर का काम करता। अ सामान लाता और ब खाना बनाता। अ पैसे कमाता तो ब पैसों को बचाकर घर चलाता । अ समाज की मीटिंगों में जाता ब को मन मार कर रहना पडता।
बताईए– अ का नाम.. ब का नाम...

कार्डशीट –4

एक व्यक्ति दफ्तर से घर आकर चाय पीने लगा। उसे चाय खराब लगी। उसने खराब चाय बनाने के लिए डांटा। डांटते डांटते कहां– जल्दी तैयार हो जाओ पिक्चर देखने चलना है।
दफ्तर से आकर चाय पीने वाला व्यक्ति कौन है? व्यक्ति का नाम.....

कार्डशीट –5

पिताजी घर पर दोपहर का खाना बना रहे थे तभी उनको ध्यान आया कि वे आज बैंक में पैसा जमा करवाना भूल गए। उनके घर कोई नौकर चाकर तो थे नहीं, उन्होने जोर से आवाज देकर द को बुलाया और पैसा जमा कराने के लिए कहा । द कौन है?

सभी सहभागी जब लिख लेंगे तो सहजकर्ता सब की मदद से निम्न तालिका को भरेंगे।

क.स	स्थिति विवरण	सहभागिया के जबाव					
		1	2	3	4	5	6
1	ड्राइवर का नाम						
2	जिसने मारा उसका नाम						
3.1	अ का नाम						
3.2	ब का नाम						
4	दफ्तर से आकर चाय पीने वाले का नाम						
5	द का नाम						

- उपरोक्त तालिका के आधार पर बातचीत करें कि आपने कैसे पहचाना।
- प्रत्येक प्रश्न पर 6 सहभागियों के जवाब आए है। उनके जवाबों में अगर कोई अन्तर है, तो उस पर बात करें। पहचाने के लिए क्या मापदण्ड काम में लिये, पर बात करें।
- एक ही सवाल पर एक जैसे जबाव कैसे आए? क्या हम सब भूमिकाओं के बारें में एक ही तरह से सोचतें है?
- कैसे तय किया कि घर का कार्य महिलाएं ही करेंगी और बाहर/बाजार का कार्य पुरुष करेंगे।
- क्या ये ही माप दण्ड हमारी छवि को बनाते –बिगाड़ते है, पर चर्चा करें।
- छवियों के उदाहरण एकत्र करें। छवियां कौन बनाता है। पर चर्चा करें।

तालिका और बातचीत को यह कह कर समेकित करें कि–

हम अपने और दूसरों के बारे में एक तस्वीर अपने दिमाग में रखतें है। जैसे कप कहते ही हमारे दिमाग में कप का चित्र आता है। उसी तरह से जब हम ड्राईवर कहते हैं। तब भी हमारे दिमाग में एक चित्र आता है। यह चित्र हमारी जानकारी के आधार पर आस–पास में ड्राईवरी का कार्य किन लोगो पर बनता है। जानकारी आस–पास के लोगो द्वारा अलग–अलग तरह की सूचनाएं देकर (जैसे ड्राईवरी का काम आदमी करते है, ड्राईवर शराब पीते है, ड्राईवर गाड़ी का ध्यान नही रखते) बनाई जाती है। इन सूचनाओं के आधार पर हमने जिन व्यक्तियों को देखा है उनके आधार पर हम सबकी छवि बनाते है। छवियों में आदमी की छवि और औरतों की छवि भी बनाई जाती हैं।

हमारा पूरा संवाद छवियों के साथ चलता है। हम प्रत्येक भूमिका को छवि के भीतर रखतें हैं। ड्राइवर की भूमिका को लेकर हमारे मन में पुरुष की छवि है इसलिए हम ड्राइवर किशोरी या महिला हो सकती है, ऐसा नहीं सोचतें। छवियां महिलाओं और पुरुषों की भूमिका को तय कर देती है और जो इन भूमिकाओं के दायरे से बाहर निकलता है, उन्हे ठीक नहीं माना जाता। यह प्रक्रिया महिलाओं और पुरुषों की सम्भावना को रोक लेती है। एक लड़की ड्राइवर नही बन सकती और एक लड़का देखभाल करने में बेहतर नही हो सकता, यह बात दोनों की सम्भावना को कम करती है। उन्हे एक ही तरह से जीवन जीने की ओर लेकर जाती है।

संदर्भ सामग्री सत्र 4 : जेण्डर (सामाजिक लिंग) व सेक्स (लिंग)

जेण्डर (सामाजिक लिंग) व सेक्स (लिंग) में अन्तर

जेण्डर अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है जिसका प्रयोग हिन्दी में जस का तस किया जाता है। 80 के दशक से आए इस शब्द का उपयोग सामाजिक संदर्भो में किया जाता है। जेण्डर का अर्थ महिला व पुरुषों से सामाज द्वारा अपेक्षित भूमिका व्यवहार, मूल्य, संस्कृति जैसे पहनावा, रहन सहन, खान पान आदि से है। जेण्डर का उपयोग महिला व पुरुषो के बीच अर्न्तसम्बन्धो को समझने के लिए किया जाता है।

जेण्डर	सेक्स
जेण्डर सामाजिक परिभाषा व पहचान है।	सेक्स जैविक या शारीरिक है।
जेण्डर सामाजिक, सांस्कृतिक है और इसे मनुष्य ने बनाया है।	सेक्स प्राकृतिक है, इसे मनुष्य ने नहीं बनाया है।
जेण्डर समाज द्वारा बनाया गया है इसलिए यह परिवर्तनशील है। विभिन्न संस्कृतियों या एक परिवार से दूसरे में भी इसका रूप बदल सकता है।	विश्व में हर जगह महिला व पुरूष के शारीरिक अंग एक जैसे ही होते हैं।
जेण्डर को बदला जा सकता है।	सेक्स को बदला नहीं जा सकता। (सामान्य स्थितियों में)

संदर्भ सामग्री : लिंग व जेण्डर की असमान विशेषताओं के उदाहरण : सहजकर्ता के लिए चर्चा के बिन्दू

- जेण्डर समाज द्वारा बनाई गई एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था है, जिसकी वजह से सामान्यतः पुरुष को श्रेष्ठ व स्त्री को समाज में कमतर माना जाता है। जेण्डर रचना के आधार पर स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है।
- स्त्री व पुरुष जैविक रूप से दो भिन्न लिंग हैं (हम यहां तीसरे लिंग, Trans Gender, LGBT आदि मुद्दों की बात प्राथमिक समझ बनाने में के चलते उपयोग में नहीं ला रहे है) परन्तु जेण्डर संदर्भ में प्रायः पुरुष स्त्रियों से श्रेष्ठ समझे जाते हैं। पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक ताकतवर, बहादुर और संसाधनों की व्यवस्था करने वालों के रूप में देखा जाता है।
- स्त्रियों को अपेक्षाकृत कमजोर, कोमल तथा घरेलू कार्य करने वाली गृहणियाँ समझा जाता है।
- लिंग संरचना की दृष्टि से स्त्री एवं पुरुष की जैविकीय संरचना में केवल तीन फर्क हैं।

  क. स्त्रियों में मासिक धर्म होता है।

  ख. वे गर्भधारण करने में सक्षम होती हैं।

  ग. स्तनपान कराने की क्षमता रखती हैं।
- माँ बनना पुरुष के लिए संभव नहीं है परन्तु वह माँ की भूमिका अर्थात बच्चों की सार–संभाल अच्छे से कर सकता है।
- किशोरावस्था में लड़कों की आवाज फट जाती है (यह लिंग आधारित है क्योंकि किशोरावस्था में हार्मोनजनित बदलाव के कारण लड़कों की आवाज बदलने लगती है।)
- विश्व के सभी भागों में स्त्रियों व पुरुषों की जैविक आकृति स्थिर रही है। लिंग परिवर्तन केवल सर्जरी द्वारा संभव है। कुछ लैंगिक पहचान हैं जो न स्त्री की श्रेणी में आती हैं और न पुरुष की। कभी–कभी शरीर किसी भी लिंग का हो, किन्तु भावनात्मक और खुद को किस लिंग में देख रहे है, का अन्तर हो सकता है।

- जेण्डर लगातार बदलता रहता है। उदाहरण के लिए समय एवं स्थान के साथ–साथ पहनावे के मापदण्ड भी बदल जाते हैं। कुछ स्थानों पर पुरुष सलवार–कुर्ता पहनते हैं तो कुछ स्थानों पर स्त्रियाँ, कहीं पुरुष कान छिदवाते हैं तो कहीं स्त्रियाँ कान छिदवाती हैं। किसी जगह स्त्रियाँ लम्बे बाल रखती हैं तो कहीं पुरुष भी लंबे बाल रखते हैं।

  समय के साथ उक्त मापदण्ड बदलते रहते हैं स्त्रियाँ अब जीन्स पेन्ट पहनने लगी हैं जो बीस साल पहले नहीं पहनती थीं।
- जेण्डर व्यवस्था परख होता है। एक विशिष्ट संस्कृति के संदर्भ में जेडर के मापदण्ड सभी स्त्रियों एवं पुरुषों के लिए एक जैसे नहीं रहे हैं। स्त्रियों एवं पुरुषों के भेद को विभिन्न व्यवस्थाओं जैसे धर्म, कानून, क्षेत्र आदि के स्तर पर वर्गीकृत कर दिया जाता है।

  भारतीय कानूनी व्यवसथा में पहले महिलाओं को लेकर घरेलू हिंसा, यौन शोषण, दहेज आदि से सम्बन्धित कोई कानून नहीं थे। इन्हें बाद में बनाया गया। यह सब व्यवस्था (System) से सम्बद्ध है।

  जेण्डर का सीधा संबंध जाति, वर्ग, धर्म, वैवाहिक स्तर, यौनिक पहचान, शिक्षा आदि से जुड़ा होता है।
- जेण्डर निर्माण की प्रक्रिया बच्चे के पैदा होने के पहले से ही शुरू हो जाती है। जैसे पुत्र की कामना और पुत्री को बोझ मानने की मानसिकता के कारण कन्या–भ्रूण हत्या इत्यादि। जेण्डर निर्माण की प्रक्रिया को स्थापित व मजबूत करने के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है।
- जेण्डर निर्माण की विचारधारा पितृसत्ता की व्यवस्था पर आधारित है।

सत्र 4 : जेण्डर व लिंग

उद्देश्य :

- सहभागी जेण्डर, जेण्डर व सेक्स के बारे में समझ बना पाएगें।
- जेण्डर के कारण महिला एवं पुरुषों पर पड़ने वाले फर्क को समझ पाएगें।

सामग्रीः जेण्डर सम्बन्धित वाक्यो की सूची, जेण्डर व लिंग की तख्ती, फिल्म Girl and Boy

समयः 60 मिनिट

कार्यविधि :

सभी सहभागियों से पूछें कि क्या कभी उन्होने जेण्डर शब्द के बारे में सुना है, कभी स्कूल फॉर्म, बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेल्वे आरक्षण, राशन कार्ड, आदि पर लिंग का कॉलम देखा है?

कभी किसी को कहते हुए सुना है कि यह मर्द है और वह औरत, यह लड़की है वह लड़का।

- क्या आप बता सकते हैं कि जेण्डर और लिंग एक ही बात है या कुछ फर्क है?
- सभी की राय को बोर्ड या चार्ट पर लिख लें।
- फिर पूर्व मे दी हुई संदर्भ सामग्री की मदद से जेण्डर व लिंग या सेक्स में अन्तर को स्पष्ट करें
- बातचीत करें और बताएं कि जेण्डर समय, काल, संस्कृति और समाज के अनुसार बदलता रहता है।
- सहभागियों को स्पष्ट करने के लिए दोनों कोने वाला खेल खिलायें।
- दो व्यक्ति कमरे के दोनों कोने पर **जेण्डर** (सामाजिक लिंग) व **लिंग** का कार्ड चिपका देंगे।
- सहजकर्ता नीचे दिए गये शब्द या वाक्य बोलेंगे, जो जेण्डर या लिंग सम्बन्धित शब्द/ वाक्य होगा, सहभागी भागकर उस कोने पर जायेंगे जो जेण्डर एवं लिंग की श्रेणी को लेकर अस्पष्ट है वह बीच में रहेंगे। गलत चयन होने पर आपस में बातचीत करेंगे।

सहजकर्ता के लिए नोटः

- ➢ वाक्य को सहभागी ने किस आधार पर जेण्डर अथवा लिंग में रखा, इसे अवश्य समझे।
- ➢ कोई जबाव न समझ आये तो उसे प्राकृतिक, बहुत प्रारम्भिक समय (आदिकाल के) और सभी जीव मात्र के आधार पर समझने की कोशिश करें।
- ➢ सम्भव हो तो इन मिथकों को लेकर मानव विकास का इतिहास जैसी किताबे पढें।

खेल में पूछे जा सकने वाले जेण्डर सम्बन्धित वाक्यों की सूची

1.	पुरुष ही सैनिक बनने के लायक होते हैं।
2.	स्त्रियों के बाल लम्बे होते हैं।
3.	स्त्रियाँ भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं।
4.	स्त्री बच्चों को अपना दूध पिलाती है।
5.	स्त्रियाँ बच्चों की देखभाल में पुरुषों से अधिक कुशल होती हैं।
6.	किशोरावस्था में लड़कों की आवाज फट जाती है।
7.	स्त्रियों को माहवारी होती है।
8.	यौनिक रूप से पुरुष अधिक आक्रामक होते हैं।
9.	स्त्रियों की अधिकतर बीमारियाँ मानसिक होती हैं।
10.	महिलाओं में ममत्व का गुण प्रकृति की देन है।
11.	प्रकृति ने ही औरत को कमजोर व पुरुष को ताकतवर बनाया है।
12.	छोटे बालो वाली महिला सामाजिक नहीं होती।
13.	घर की इज्जत महिलाओं के हाथ में ही होती है।
14.	पुरुष भवनात्मक नही होते।
उत्तरः **लिंगः** 4,6,7	
जेण्डरः 1,2,4,5,8,9,10,11,12,13,14	

मुख्य प्रश्न

- महिला पुरुष भेद को भावनाओं और व्यवहारों के आधार पर कैसे भेद करके देखते हैं ?
- क्या महिलाओं वाली भावनाएं पुरुषों में और पुरुषों वाली भावनाएं महिलाओं में नहीं होती।
- कौनसी सामाजिक भूमिकाएं हैं जो सिर्फ महिला को या सिर्फ पुरुष को निभानी पड़ती है ?
- कौनसे उदाहरण हैं जहां एक जगह पर जो भूमिकाएं हैं दूसरे जगह पर उनसे फर्क भूमिकाएं हैं। (वेशभूषा, खानपान, रीति–रिवाज, दैनिक व्यवहार, मान्यता)

जेण्डर को समझने के लिए फिल्म “Girl and Boy” दिखाकर भी चर्चा कर सकते है।

संदर्भ सामग्री सत्र 5 : हमारा समाजीकरण

संदर्भ सामग्री : समाजीकरण

हर समाज व्यक्ति को अपने हिसाब से नियंत्रित करने का प्रयास करता है। यह नियंत्रण कभी दिखाई देने वाला होता है तो कभी ऐसा जो दिखाई नहीं देता। समाज, खुद न दिखने वाला किन्तु बहुत तेजी और दबाव के साथ महसूस किये जाने वाला समूह है। प्रत्येक समाज अपने लिए कुछ नियम, कायदे बना लेता है जिनको उस समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वीकारता है। समाज में हर व्यक्ति अपने को छोड़कर दूसरे पर नजर रखता है और समाज के नियमों के अनुरूप कार्य न होने पर दबाव भी डालता है। सामाजिक व्यवस्थाएं इस प्रकार विकसित होती रही है कि बिना किसी आर्थिक मूल्यों को दिये, यह नियत्रंण बना रहता है। यह समाज की ताकत है।

क्या आपने सोचा कि यह सब कैसे हो पाता है ? क्यों हर व्यक्ति समाज के अनुरूप अपने आपको ढाल लेता है। एक और स्थिति को देखने का प्रयास करते हैं –

सीमा रामपुर की रहने वाली है। वह स्कूल की 7 वीं कक्षा में पढ़ती है। सीमा खेल–कूद और पढ़ाई में बहुत होशियार है। वह किसी से नहीं दबती। 8 वीं कक्षा पास करने के बाद उसके मां–बाप उसे घर बैठा लेते हैं। वह उनका विरोध नहीं करती, न ही उसे आगे पढ़ना है, न इसकी बातचीत वह अपने मां–बाप के साथ करती है।

इस स्थिति पर विचार करे। ऐसा क्या हुआ कि एक होशियार और दबंग लड़की पढ़ाई की निरन्तरता न होने पर कोई भी विरोध नहीं करती। क्यों ऐसा होता है कि किसी लड़की के साथ रास्ते में छेड़छाड़ हो जाए तो वह पुरुष के बारे में किसी को भी बताए बिना चुपचाप घर आ जाती है और घटना को भूलने का प्रयास करती रहती है। दोनों स्थितियां सामाजीकरण का परिचय है। जहां यह सर्वमान्य है कि स्कूल न जाना ही लड़की के लिए उपयुक्त है। या छेड़छाड़ होती है तो लड़कियों को चुप रहना चाहिए।

सामाजीकरण वह प्रक्रिया है जो समाज में रहने वाले व्यक्तियों को समाज के लिए, समाज के द्वारा बनाए गए तरीकों से जीने के लिए प्रेरित/बाध्य करती है। सामाजीकरण बचपन से लेकर हमारे जिन्दा रहने तक, हमारे सोच और व्यवहार का हिस्सा बनकर रहता है।

सामाजीकरण को समझने के लिए इसकी प्रक्रियाओं और सामाजीकरण की संस्थाओं को समझना आवश्यक होगा।

दरअसल अमूर्त दिखने वाला समाज बहुत व्यवस्थित ढंग से समाज के व्यवहारों को निर्धारित करता चला जाता है।

सामाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक है हमारा पालन पोषण। बच्चा अपने पालन पोषण में ही खानपान में फर्क करने जैसी मोटी बातों के साथ–साथ व्यवहार व सोच में अन्तर को महसूस करने लगता है। समाज, सामाजीकरण को नियमित बनाए रखने के लिए परिवार, विद्यालय, धर्म और नैतिकता का सहारा लेता है। पालन–पोषण के दौरान बच्चे अपने मां–बाप के बीच की गैरबराबरी, नियंत्रण के तरीके और उन्हे छलने की कला सीख लेते हैं।

लड़कों को समझ आ जाता है कि उनको महिलाओं के साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा उसके पिता और पड़ौसी पुरुष अपने घर में कर रहे हैं। लड़कियां सीख जाती है कि उन्हे कैसे सवालों को चुप रहकर सुनना, पुरुषों के आगे दबना और घर के काम को जिन्दगी का मूल उद्देश्य निर्धारित करना है। लगातार छलपूर्ण संदेश (लड़कियों को अपने पति को परमेश्वर समझना चाहिए) जानकारी तक पहुंच पर रोक और प्रत्येक भूमिका के लिए एक छवि निर्माण महत्वपूर्ण है। ये छवियां सामाजीकरण के कार्य को आसान कर देती है। *विशाखा प्रकाशन 'विचार और विमर्श से साभार*

सत्र 5 : हमारा समाजीकरण

उद्देश्य :

सत्र के अन्त तक सहभागी समझ पायेंगें कि:

- समाजीकरण एक प्रक्रिया है।
- परिवार, समाज, धर्म, जाति, बाजार व्यवस्था सभी समाजीकरण के स्रोत है।
- छवियां और भूमिकाएं, महिलाओं व पुरुषों में फर्क करती है।
- यह फर्क पालन पोषण के तरीकों द्वारा हम तक आता है।

सामग्रीः समाजीकरण चित्र सेट, फिल्म "Impossible dream" और फिल्म दिखाने की व्यवस्था

समयः 2 घण्टा

कार्यविधिः

- सहभागियों के साथ 'नेता–नेता चाल बदल' वाला खेल खेलेगें।
- इस खेल में सभी सहभागी गोले में रहेगें और एक व्यक्ति को बाहर भेज देगें। सभी अपना नेता चुनेगें और नेता के इशारों या आवाज के अनुसार पूरा समूह कार्य करेगा। बाहर गया व्यक्ति अन्दर आकर पता लगाएगा कि नेता कौन है। 3 बार पता न लगाने पर वह फिर बाहर जाएगा।
- नेता 2–3 बार बदल–बदल कर खेला जा सकता है। महिलाओं को नेता बनने का मौका मिले इसे पक्का कर लें।
- खेल के बाद सभी को कुछ तस्वीरें दिखाई जाएगी।

सहजकर्ता के लिए नोटः

- ➢ प्रत्येक सहभागी की बात और उसके तर्कों को तसल्ली से उभर कर आने दें।
- ➢ अपने तर्कों को खुले सवालों की तरह रखें, बंद जबाव की तरह नहीं।
- ➢ हम किसी भी जाति विशेष और सम्प्रदाय के समर्थन अथवा विरोध में नहीं है।
- ➢ नाटको को स्थानीय बोली में करना बेहतर होगा।

- सभी व्यक्तियों को तस्वीर देखते ही मन में आने वाले ख्याल को एक शब्द में बताना है।
- सभी शब्दों को बोर्ड पर लिखते चले।
- आने वाले शब्दों के आधार पर बात करें।–
    - ➢ ये विचार कैसे आए?
    - ➢ हमने चित्र देखते ही ऐसा क्या कहा?
    - ➢ महिलाओं व पुरुषों के चित्रों में आए शब्द कैसे फर्क है?
    - ➢ एक चित्र पर दूसरे ने जो कहा वह हमें तुंरत समझ में कैसे आ गया?
    - ➢ एक ही बात जो अलग–अलग जगहों पर घट रही है, उसको हम सब एक ही तरह से कैसे समझते है?

मुख्य प्रश्न

- ▪ मेरा व्यहार कौन तय करता है?
- ▪ जाति, परिवार, धर्म मेरे लिए किस प्रकार के नियम तय करते हैं।
- ▪ मैं लड़की हूं तो मुझे क्या पहनना है यह कैसे तय हुआ।
- ▪ समाज द्वारा दबाव डालने के तरीके क्या हैं ?
- ▪ अलग–अलग नियमों का फायदा किस को अधिक मिलता है? कैसे?

इन पर बात चलाते हुये दूसरी गतिविधि करें –

किन्ही भी दो व्यक्तियों को दो सहेलियों की भूमिका दे। उनसे नाटक करने को कहें। वे घर में आपस में बातचीत कर रही है तभी एक सहेली की मां आती है। बातचीत के बाद मां चली जाती है। इस बाद उसके पिता आते है। वे भी बातचीत करके चले जाते है। सहेलियां फिर से अपनी बात में लग जाती है।

चर्चा करे–

इन नाटक में मां के आने पर, पिता के आने पर और आपस में सहेलियो के साथ बातचीत करने पर किस तरह का फर्क आया।

- ➢ यह फर्क क्यों आया?
- ➢ नाटक देखते समय किसी को भी विवरण नही बताया गया था फिर यही दृश्य, यही फर्क क्यों दिखाए गए ?
- ➢ यही समाजीकरण की प्रक्रिया है, इसको समझे।

तीसरी गतिविधि

फिर से नाटक करने को कहें, इस बार पांच समूह पांच स्थितियों पर नाटक दिखायें

1. स्कूल में लड़के–लड़कियो के साथ होने वाला फर्क
2. मंदिर में पूजा–परिक्रमा आदि स्थितियों में महिला पुरूष की स्थिति
3. बाजार में किसी साप्ताहिक द्वार का दृश्य
4. जाति पंचायत में पति द्वारा पत्नी के साथ मारपीट के केस पर बातचीत का दृश्य
5. किसी महिला व पुरुष द्वारा सड़क पर खड़े होकर बातचीत के बाद पड़ौसियो की बातचीत

नाटको पर बातचीत करें कि

- समाज में बने नियम–कायदे कैसे नियन्त्रित और निरन्तर होते रहते है?
- कौन–कौन से संस्थान इनको आगे बढ़ाते है?
- इनको हमारे जीवन में कहां–कहा देख सकते है।

व्यक्तिगत अनुभवों की बात करें। समाजीकरण के असर को अपनी जिंदगी से जोड़े। मुद्दे पर अधिक स्पष्टता लाने के लिए दैनिक कार्य विभाजन, निर्णय कौन लेता है, निर्णय में महिलाओं की भागदारी आदि बिन्दूओं पर चर्चा करें। चर्चा में मदद के लिए तालिका 1, 2 व 3 की मदद लें। समय को ध्यान में रखते हुए चर्चा को तीन समूहों में चलाएं। प्रत्येक समूह एक तालिका को केन्द्र में रखकर बातचीत कर सकते हैं। **तालिका**

तालिका 1 : दैनिक कार्य विभाजन

क्र. स.	दैनिक कार्य घर और बाहर	कौन करता है		काम का समय
		महिला / लड़कियां	पुरुष / लड़के	

- दूसरे अभ्यास में घर और दैनिक जीवन में किस प्रकार के निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और कौन निर्णय लेता है, को नीचे दी गई तालिकाओं में एकत्र किया जाएगा।

तालिका 2 : निर्णय कौन लेता है

परिवार, घर में लिए जाने वाले निर्णय के प्रकार	पुरुष/लड़के	महिला/लड़कियां

तालिका 3 :निर्णय में महिलाओं की भागीदारी

निर्णय	महिलाओं की भागीदारी निर्णय में		
	जानकारी दी जाती है	राय ली जाती है	पूर्ण सहमति

चर्चा को समेकित करे कि –

- ❖ समाज में हमें क्या करना है, कैसा करना है, इसका प्रशिक्षण ही समाजीकरण है।
- ❖ समाजीकरण की प्रक्रिया को परिवार, समाज, धर्म, जाति सभी आगे बढ़ा रहे होते है।
- ❖ समाजीकरण की प्रक्रिया मर्दो और औरतों में फर्क करती है।

संदर्भ सामग्री सत्र 6 समाज, सामाजिक व्यवस्था और मानव विकास की यात्रा

संदर्भ सामग्री : मानव विकास की यात्रा

मानव विकास की यात्रा और विशेष तौर के स्त्री के संदर्भ में उत्पादक और उसके वस्तु बनने की यात्रा पर अलग–अलग तरह के विचार है। ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि से इन को गहराई से समझने के लिए विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता होगी। एक प्रशिक्षण में इसी मुद्दे पर चल रही चर्चा को यहां संदर्भ सामग्री के रूप में दिया गया है। यह सामग्री एक क्रम, विचारों में खलबली, सवालों की तीव्रता और कल्पना की दृष्टि से तीखी विवेचना को लेकर आती है।

प्रशिक्षक : ऐसे समय की बात करते हैं जब 10–15 लोग थे। समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे बने ? औरत और आदमी क्या करते होंगे, जानवरों की तरह से रहते होंगे ...।

पहले खोज करते थे क्या खाना है क्या नहीं। इतनी समझ तो थी। व्यवस्थित रूप से नहीं जानते थे इसका क्या मतलब है।

जब तो सब आदमी नंगे थे तो कपड़े पहनने की क्या जरूरत ?

पुरूष सहभागी : मानसिक स्थिति बदली।

प्रशिक्षक : कैसे बदल गई ?

पुरूष सहभागी : प्रकृति का खेल है। जैसे पत्ता चिपक गया होगा और सोचा होगा कि सर्दी को रोकने के लिए कपड़ा पहनना चाहिए।

प्रशिक्षक : अकेले रहते थे या एक साथ रहते थे ?

महिला सहभागी : आदमी अकेले भी साथ साथ भी। जरूरत पड़ी होगी शिकार करने के लिए भोजन की व्यवस्था अकेले शिकार नहीं कर सकता।

प्रशिक्षक : पहले समूह में कोई नहीं रहता था। सब अपना अपना शिकार करते थे अकेले रहते थे। आपको क्या लगता है कि अलग अलग रहते थे तो आदमी औरत के सम्बन्ध तो बनते होंगे।

सहभागी : हां

प्रशिक्षक : आपको क्या लगता है लोग एक ही व्यक्ति से सम्बन्ध बनाते थे या अलग–अलग।

सहभागी : अलग अलग लोगों के साथ।

प्रशिक्षक : यानी एक आदमी कई औरतों के साथ और औरत कई आदमियों के साथ।

फिर क्या हुआ होगा। पालन पोषण का सवाल ? बच्चा किसका होगा।

प्रशिक्षक : पालन पोषण का सवाल तभी से था। बच्चा पैदा करने में 9 माह लगते हैं। क्या आदमी औरत इतने समय साथ रहते थे। यदि नहीं रहते थे तो बच्चा पालने का सवाल कैसे आया। बच्चा जिसके पास है वही पालेगा।

कौन पालेगा बच्चा ये बात तब थी।

बच्चा कौन पाल रहा था, किसका बच्चा या वो ही पालेगा। गाये के बच्चो को क्या कहते हैं गाय का बच्चा उसके बाप को ढूढ़ने जाते हैं क्या ?

इसलिए बच्चा किसका था औरत का।

उस समय सब अलग–अलग रह रहे थे तो जेण्डर जैसी स्थिति नहीं थी।

प्रशिक्षक : प्रत्येक व्यक्ति कोशिश करता है जिन्दा रहने की।

प्रशिक्षक : बच्चे के एक चुटकी काटी, दर्द हुआ, दर्द एक संवेदना है संवेदना जेण्डर नहीं है यह स्वभाविक है परन्तु संवेदना को हम विशेष भावना के साथ जोड़ते है वो जेण्डर है।

प्रशिक्षक : जब महिला गर्भवती होती है तो हम उसको महत्वपूर्ण मानना शुरू कर देते हैं। उम्मीद होती है लड़का ही होगा, वो जेण्डर को बनाता है।

अन्जान जीवन से जुड़ाव कम होता है जब बच्चा सामने होता है तो जुड़ाव अधिक होता जाता है।

मम्मी या मां शब्द हमारी अवधारणा, हमारी भावनाएं से जुडा है। हम इनको पवित्रता के साथ जोड़कर देखते है।

क्या पुराने जमाने में ऐसा भी हुआ होगा कि मां बेटे से सम्बन्ध बने होंगे ?

प्रशिक्षक : शिकार कौन करता था मां या बाप।

व्यक्ति अपना शिकार खुद करता था। कोई भी किसी के साथ सम्बन्ध बनाता था। बहन भाई सम्बन्ध बनाते थे कयोंकि उनको पता ही नहीं होता की बहिन भाई है।

महिलाएं भी स्वतंत्र थी पुरूष भी स्वतंत्र थे।

औरत आदमी एक जगह रहते थे या घूमते रहते थे। सभी जंगल में घूमते रहते थे। एक दूसरे की जगह पर जहां खाना मिला खाया अपना शिकार करना।

धीरे–धीरे शायद ऐसा हुआ होगा कि शिकार करने में मुश्किल हुई होगी। शायद उन्होंने अलग–अलग भोजन ढूंढने की आवश्यकता होगी। शिकार के लिए कुछ चीजे बनी होगी। पत्थर नुकीला करना, जंगलों में पेड़ आपस से टकराने से आग लगी। आग में जो शिकार मिला तब लगा कि पका हुआ खाना ज्यादा

स्वादिष्ट था। शिकार करना मुश्किल हुआ तब इकट्टा शिकार करने की बात शुरू हुई। 10–20 के समूह में एक साथ रहना शुरू हो गया। भोजन बनाना शुरू किया। पहिये का आविष्कार हुआ। कुछ लोग एकत्र होकर रहने लगे तब कुत्ते व आदमी की दोस्ती होना शुरू हो गई।

एकत्र होकर रहने लगे तब कुछ लोग रूकते बाकी आगे चले गये होगे। तब लोगों के सम्बन्ध बने होंगे। बच्चे हुए होंगे तो वो भी वहीं रहने लगे। पहले तो फिर भी गुजाईश थी कि मां बेटों के बीच सम्बन्ध बने होंगे तब अन्य समूह में मिल जाये।

जो लोग रह रहे होंगे उनमें आपस में सम्बन्ध बने होंगें। वो समूह बड़ा हो गया। जनसंख्या ज्यादा बढ़ी तो रहने की समस्या शुरू हुई।

कुछ लोग शिकार में ज्यादा होशियार हुए व कुछ लोग कम। छोटे बच्चों को प्रशिक्षित करे तो स्कूल की बात शुरू हुई होगी। पहली बार दूसरों को सीखने की बात शुरू हुई होगी। कभी कभी एक समूह दूसरे पर हमला करता होगा। दूसरों को मारने काटने की बात शुरू हुई। बड़ा परिवर्तन शुरू हुआ। हमला करो सामान लेकर आ जाओ। कौन जीतता था।

पुरूष सहभागी : जिसकी संख्या ज्यादा थी वो जीतता था।

प्रशिक्षक : सोचा होगा कि बच्चे ज्यादा पैदा करेगे तब संख्या बढ़ेगी। क्यों ना जो बच्चे पैदा हुए उनकी देखभाल की जाये ताकि वो जीवित रह सके। धीरे और आगे बढ़ी तो ये समझ में आने लगा कि ज्यादा महिलाऐ होगी तो बच्चे ज्यादा पैदा होंगे। दूसरे समूह में ज्यादा महिलाओं को उठाकर ले आते व कोशिश करते कि वो महिला उनके कबीले के बाहर ना जा सके। एक महिला के 9–10 बच्चे भी होने लगे। ये बच्चे पैदा करेगी तब कबीले की संख्या बढेगी। हम भोजन लेकर आयेगे। महिलाओं के सम्बन्ध भी ज्यादा पुरूषों से बने होंगे। कौन तय करता कि किसका सम्बन्ध किससे बने।

महिलाओं को पूरी छूट थी कि महिला किसके साथ सम्बन्ध बनायेगी। महिलाओं को जबरदस्ती उठाकर लाते व कोशिश की जाती कि वे बच्चे पैदा करे। धीरे–धीरे महिलाओं का शिकार करना कम होने लगा। जैसे–जैसे शिकार कम होने लगा तब उनकी शक्ति भी कम होने लगी। उनसे पहले महिलाए सभी मुख्य काम करती थी जो पुरूष करते थे। सामान के बदले सामान। सामान नहीं तो औरत लेकर जाये। तो औरत को सामान की तरह देखना शुरू हुआ। उसको बेचा जाने लगा। जब औरत का बेचना शुरू हुआ तब नियंत्रण और बढ़ा। औरत को सामान की तरह भी देखना शुरू किया गया। दिक्कत शुरू हुई तभी नियम कायदा कानून बनाने की बात शुरू हई।

नियम बना कौन किसके साथ सम्बन्ध बनाये ?

कबीले में जिम्मेदारियां तय होने लगी कि क्या करेंगे। बच्चों को सीखाना कि शिकार कैसे करना है। कुछ ने बोलो पढ़ाई करवाओ महिला की देखरेख। शिकार करने का काम।

यहां पर जाति बनने की बात शुरू हुई। योग्यता के आधार पर ये काम शुरू हुआ। ब्राह्मण का बेटा जरूरी नहीं कि वेदपुराण जानता हो। धीरे–धीरे बात यहां तक आई कि देखरेख करने वाले लोगों के नाम क्या होंगे। धीरे–धीरे जातियां बननी शुरू हुई।

एक साथ सारी जातियां नहीं बनी। धीरे–धीरे कबीले में लेन देन हुआ। जिम्मेदारियां ढंग से चल सकें उसके लिए नियम कायदे बनने की बात। नियम बनाने वाले कौन ? कायदा कानून बनाने में महिला की भूमिका कब रही। लाठी का मलतब आदमी। जितनी लाठी होगी उतनी ताकत। औरतों को समान की दृष्टि से देखा जाए तथा औरतों की कीमत बढ़ने लगी। लेने देन बढ़ा तब औरतों की स्थिति और कमजोर हुई।

ऐसी जगह पर महिलाओं ने डेरा डाला जहां पानी, सारी सुविधाएं हो। नियम बनाया तो नियम टूटा भी होगा।

महिलाएं बराबरी में होते हुए भी नीचे चली गई। यही से शुरूआत हुई पितृसत्ता की। बच्चों की पहचान।

पहले नियन्त्रण मानव। धीरे–धीरे सारी सत्ता पुरूषों के पास चली गई।

पितृसत्ता माने नाम और काम का जिम्मा पुरूषों के नाम से होने लगा। निर्णय पुरूषों की नजर से होगा।

मूल बात यह है कि हम भूल जाते हैं कि ये हमने बनाया है। जो हम ने बनाया है उसमें सुधार कर सकते हैं। इनमें कोई भी खामी दिक्कत है तो उसमें सुधार किया जा सकता है। पूरी प्रक्रिया में महिलाओं का इस्तेमाल किया गया। पाप पुण्य भी समाज की देन है। अपनी बातों को मनवाने का तरीका है।

प्रकृति किसी में फर्क नहीं करती।

सत्र : 6 समाज, सामाजिक व्यवस्था और मानव विकास की यात्रा

उद्देश्य :

सत्र के अन्त तक सहभागी :

- समाज बनने की प्रक्रियाओं को समझन पायेंगे।
- सामाजिक व्यवस्थाएं कैसे निर्मित हुई, उनको समझेंगे।

मानव विकास की यात्रा में जेण्डर भेद की उत्पत्ति को समझ पायेंगे।

सामग्री : मानव विकास की यात्रा पर लेख, चार्ट, मार्कर आदि

समयः 90 मिनिट

कार्यविधि :

- सभी सहभागियों के साथ रेलगाड़ी का खेल खेले।
- इस खेल में सहभागी एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो जाएंगे और घुटने मोड़कर आधे झुकते हुए चलेंगे।
- कमरे के अलग–अलग हिस्सों को रेल्वे स्टेशन बनाया जाएगा।
- हर स्टेशन पर कुछ निर्देश होगे उन्हें पूरा करना होगा।

सहजकर्ता के लिए नोटः

- खेल की अवधारणा को मानव विकास के साथ जोड़ने की कोशिश करें।
- कल्पना और तार्किक शक्ति की मदद से हर नई स्थिति को समझे।
- हर स्थिति व नियम को किसने बनाया और उससे किसको फायदा पहुंच रहा होगा पर चर्चा को अवश्य लावें।
- समाज की व्यवस्था और मानव विकास के बीच सम्बन्ध को पकड़ने की कोशिश करें।

स्टेशन	निर्देश
उदयपुर	यहां बहुत सारा खाना मिला है इसीलिए सब सीधे होकर चलेंगे।
जयपुर	डबल डेकर रेल बन गई है इसलिए इस रेल को डबल डेकर ट्रेन में बदलें।
दिल्ली	ट्रेन में खाने का सामान मिलेगा, केन्टिन शुरू करे, डिब्बों में खाने का सामान रखें। कुछ डिब्बे कटकर केन्टिन वाले बनेंगे।
देहरादून	यात्रियों का सामान चोरी, कुछ डिब्बे कटकर चोर बनेंगे।
गैटसेज	ट्रेन में पुलिस भी होगी और सामान का ध्यान रखेगी। कुछ डिब्बे कटकर पुलिस बनेंगे।
उत्तरकाशी	ट्रेन में इन्टरनेट लग गया है और सब यात्री उसका इस्तेमाल करेंगे। सब नेट से क्या देखना चाहते है इसको मन में तय कर लें।

खेल पर बातचीत करें। कैसा लगा और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर नई–नई स्थितियों का क्या फर्क पड़ा ?

उदाहरण के लिए :–

- नई सुविधाऐं आई।
- ट्रेन छोटी हो गई।
- असुरक्षा बढ़ी तो।
- सुविधा का इस्तेमाल अलग–अलग मंशाओं के साथ हुआ।

मुख्य प्रश्न

- क्या हमारा समाज हमेशा से एक जैसा रहा है या किसी प्रकार के परिवर्तन आए है।
- शिक्षा, स्कूल, कबीले, समाज, शादी, कायदे–कानून, सम्प्रदाय कैसे निर्मित हुए ?
- मानव शक्ति और प्रजनन नियंत्रण की भूमिका, समाज निर्माण में किस प्रकार रही होगी ?
- मैं जिस समाज को मानता हूँ उसकी क्या बातें अच्छी लगती है ? क्यों ?
- मेरे समाज की क्या बातें खराब लगती हैं क्यों ?

➢ खेल के बाद इसी तरह मानव के विकास की यात्रा को समझने की बात करें।

➢ सबसे पहले मानव कैसे रहते होंगे से आज तक की स्थिति पर आएं।

➢ कल्पना करते हुए एक–एक परिवर्तन को उभारे और उन पर चर्चा करें।

➢ खासतौर से अकेले रहने से समूह में रहने, शिक्षा, महिला को वस्तु की तरह देखना, जाति, समाज, शादी, यौनिकता आदि मुद्दों को इसमें लेकर आएं।

➢ संदर्भ सामग्री की मद्द ले।

आवश्यकता लगे तो समूहों में चर्चा कर, बड़े समूह में आएं। अधिकतर बार ऐसी चर्चाएं बड़े समूह में भी अच्छी चल पाती है। चर्चाओं से निकली बातों को व्यवस्थित करते हुए समेकित करें कि :–

- आदिकाल से औरत और आदमी में कोई फर्क नहीं था।
- धीरे–धीरे ताकत और नियंत्रण के लिए औरतों पर अधिकार की बात आई।
- एक समय विशेष में औरतों को वस्तु की तरह देखना शुरू किया और वह रोज के काम–काज से बाहर हो गई।
- औरत और आदमी की भूमिका अलग–अलग तय हुई। इसे बहुत बाध्यता की तरह रखा गया।
- धीरे–धीरे जो व्यक्ति (अधिकतर पुरूष) प्रभावशाली थे उनकी समझ और फायदे के अनुसार समाज के लिए नियम कायदे बनने लगे।

- धीरे–धीरे कबीले, समूह, समाज, शादी और परिवार जैसी अवधारणाएं बनीं।
- सभ्यता के साथ–साथ जटिलताएं भी बढ़ी और आज भी स्थिति इसी का परिणाम है।

सत्र के अन्त में चाहे तो संदर्भ सामग्री को सबको पढ़कर सुना सकते है। 'मानव विकास की यात्रा' नामक किताब के कुछ हिस्से भी पढ़ कर सुना सकते है।

संदर्भ सामग्री सत्र 7 : पितृसत्ता क्या है ?

प्रश्न : पितृसत्ता से हमारा क्या मतलब है ?

उत्तर : पितृसत्ता का शाब्दिक अर्थ है पिता या कुलपति (परिवार का बुजुर्ग पुरुष) की सत्ता या शासन। आरंभ में इस शब्द का इस्तेमाल एक खास तरह के 'पुरुष प्रधान परिवार' के लिए किया जाता था। यह एक बड़ा संयुक्त परिवार होता था, जिसका सर्वेसर्वा एक बुजुर्ग पुरुष होता था। इस परिवार में इस कुलपति के नीचे औरते, छोटे मर्द, बच्चे, दास, घरेलू नौकर सभी होते थे। आजकल इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर पुरुष सत्ता दर्शाने या उन शक्ति संबंधों को बताने के लिए, जिनमें मर्द औरतों को दबाते हैं या उस व्यवस्था के लिए किया जाता है जो अनेक तरीकों से औरतों को निचले दर्जे पर रखती है। दक्षिण एशिया में हिन्दी भाषा में इसे पितृसत्ता कहते हैं। उर्दू में इसे पिद्रशाही और बंगला में पितृतौन्त्रों कहा जाता है।

हम किसी भी वर्ग की औरतें क्यों न हों हमारी रोजमर्रा की जिन्दगी में हम अनेक तरीकों से अपने गिरे हुए दर्जे को महसूस करती हैं। परिवार, काम की जगह और समाज में हमारे साथ होने वाला भेदभाव, बेकद्री, अपमान, नियंत्रण, शोषण, जुल्म और हिंसा उसके अनेक रूप हैं। इनका छोटा मोटा ब्यौरा हर उदाहरण में भिन्न हो सकता है लेकिन मुख्य कहानी वहीं होती है।

प्रश्न : पितृसत्ता किस तरह से हमारे सामने आती है ? क्या हम उसे अपने जीवन में पहचान सकती हैं ?

उत्तर : जिसने जीवन में जरा भी ऊंच–नीच, पूर्वाग्रह या अस्वीकृति सिर्फ इसलिए पाई है कि वह लड़की या औरत है तो वह इसे पहचान सकती है चाहे यह कितनी ही दबी–ढकी क्यों न हो या वो इस अनुभव को कोई नाम न दे पाए। कार्यशालाओं और प्रशिक्षणों के दौरान जब भी औरतों ने औरत होने के अनुभव बतलाए हैं, वह वास्तव में पितृसत्तात्मक नियंत्रणों के ही विभिन्न रूपों की चर्चा ही होती है। इस बात से मेरी क्या मंशा है यह कुछ मिसालों के जरिए समझा जा सकता है। हर उदाहरण एक खास किस्म के भेदभाव और पितृसत्ता का एक रूप है।

- मैंने सुना है मेरे जन्म पर परिवार वाले बहुत दुखी हुए थे। वे लड़का चाहते थे। **(बेटे को महत्व)**
- मेरे भाइयों को खाना मांगने का हक है। वे जो चाहते थे हाथ बढ़ा कर उठा लेते थे। हमें कहा जाता था जब तक दिया न जाए, इन्तजार करे। हम बहनें और मां बचे–खुचे से काम चला लेती थी। **(भोजन के बंटवारे में लड़कियों पर घरेलू काम का बोझ)**
- स्कूल जा पाना भी एक बड़ी लड़ाई थी। मेरे पिता का ख्याल था कि हम लड़कियों के लिए पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। **(लड़कियों के लिए पढ़ाई के अवसरों का अभाव)**
- मैं सहेलियों से मिलने या खेलने बाहर नहीं जा सकती थी।
- मेरे भाई कितने भी बजे घर आ सकते हैं लेकिन मुझे अंधेरा पड़ने से पहले लौटना पड़ता है। **(लड़कियों के लिए आजादी और आने जाने की छूट का अभाव)**
- मेरे पिता मेरी मां को कई बार मारते थे। **(पत्नी प्रताड़ना)**
- मेरे भाई तो पिता से भी गए गुजरे हैं। वो नहीं चाहते कि मैं किसी भी लड़के से बात करूं। **(औरतों व लड़कियों पर पुरुष नियंत्रण)**
- मैं अपने अफसर की मांग पूरी करने के लिए तैयार नहीं थी सो नौकरी से निकाल दी गई। **(काम के स्थान पर यौन उत्पीड़न)**
- मेरे पिता की सम्पत्ति में मेरा हिस्सा नहीं है। मेरे पति की सम्पत्ति भी मेरी नहीं है। असल में ऐसा कोई घर नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। **(औरतों के लिए उत्तराधिकार या सम्पत्ति अधिकार का अभाव)**
- जब भी मेरा पति चाहता है मुझे अपना जिस्म उसे देना पड़ता है। मेरी कोई राय नहीं है। मुझे इस संबंध से डर लगता है, जरा भी अच्छा नहीं लगता। **(औरतों के शरीर और उसकी यौनिकता पर पुरुष नियंत्रण)**
- मैं तो चाहती हूं मेरा पति गर्भ निरोधक इस्तेमाल करे लेकिन उसने मना कर दिया। उसे मुझे भी ऑपरेशन कराने की इजाजत नहीं दी। **(जनन क्षमता पर नियंत्रण या प्रजनन अधिकारों का अभाव)**

जैसे ही हम टुकड़ों में बंटे हुए इन अलग–अलग अनुभवों पर सोच विचार करते हैं तो एक साझी तस्वीर बनती नजर आती है। हमें यह पता चलता है कि हममें से हर एक को किसी न किसी रूप में इस भेदभाव का सामना करना पड़ा है। लड़कों और मर्दो के मुकाबले में लगातार छोटा और गिरा हुआ बताए जाने का अनुभव और अहसास, आत्म–सम्मान, आत्म–महत्व और आत्म–विश्वास को खत्म कर देता है तथा हमारी इच्छाओं, आकांक्षाओं और सपनों के पर काट देता है। अपनी अहमियत जतलाने के लिए उठाए गए हर मजबूत कदम को नारीत्व के खिलाफ मान कर थू–थू की जाती है। ज्यों ही हम पूर्व निश्चित हदों और भूमिकाओं से बाहर निकल कर कुछ नया करना चाहती हैं हमें 'बेशर्म और बेपर्दा' कहा जाता है। ऐसे रिवाज और कायदे जो हमें मर्द से नीचा मानते हैं सभी जगह मौजूद हैं जैसे हमारे परिवारों, सामाजिक संबंधों, धर्म, कानून, पाठशालाओं, स्कूली किताबों, जन–संचार माध्यमों, कारखानों और दफ्तरों में।

जब हम एक दूसरे के अनुभवों को सुनती हैं तो यह समझ में आता है कि यह भेदभाव हमारे साथ इसलिए नहीं हुआ कि हमारी किस्मत खराब थी या ऐसे 'दुष्ट' मर्दो से पाला पड़ा जो औरतों का शोषण और दमन करते हैं। जो व्यवहार किसी न किसी रूप में हर औरत के साथ हो रहा हो वह न तो बदकिस्मती का नतीजा हो सकता है और न ही इक्का–दुक्का दुष्ट मर्दो की कार्रवाई।

हमें यह बात भी समझ में आने लगती है कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा हैं वह एक 'व्यवस्था' के तहत है। यह व्यवस्था है पुरुष प्रधानता, पुरुष उच्चता और पुरुष नियंत्रण की, इसमें औरत का दर्जा गिरा हुआ, कमजोर और अधिकार हीनता का है।

प्रश्न : क्या पितृसत्ता का स्वरूप हर जगह एक जैसा है ?

उत्तर : नहीं, यह हर जगह एक जैसा नहीं होता है। इतिहास के अलग–अलग कालों में, विभिन्न समाजों या उसी समाज के विभिन्न वर्गो में इसका रूप भिन्न हो सकता है व अक्सर होता है। हालांकि मोटी–मोटी विशेषताएं वही रहती हैं। पुरुषों का नियंत्रण तो रहता है परन्तु नियंत्रण का ढंग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए हमारी दादी–नानी के और हमारे पितृसत्ता के अनुभव एक जैसे नहीं है। आदिवासी औरतों व उच्च जाति की हिन्दू औरतों के अनुभव फर्क होते हैं। अमरीका में रहने वाली औरतों व भारत में रहने वाली औरतों के अनुभवों में अन्तर हो सकता है। हर सामाजिक व्यवस्था और ऐतिहासिक युग पितृसत्ता का एक नया रूप सामने लाता है जिसके तहत सामाजिक सांस्कृतिक रिवाजों में फर्क हो सकता है लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि उसके बुनियादी सिद्धान्त वही रहते हैं औरत का दमन, शोषण और नियंत्रण। इस पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे परन्तु इन अन्तरों को पहचानना जरुरी है ताकि हम अपने हालात का बेहतर ढंग से विश्लेषण कर सकें और उनसे निपटने की उचित रणनीति तैयार कर सकें।

प्रश्न : पितृसत्तात्मक व्यवस्था के तहत किन–किन चीजों पर मर्दो का नियंत्रण होता है ?

उत्तर : आमतौर पर औरतों की जिन्दगी के निम्नांकित क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक नियंत्रण सबसे ज्यादा दिखलाई पड़ता है –

1. **औरतों की उत्पादन या श्रम शक्ति (Productive of Labour power)**

   मर्द, घर के भीतर औरत द्वारा की जाने वाली मेहनत और घर के बाहर कमाई के लिए की जानी वाली मजदूरी दोनों पर नियंत्रण रखते हैं।

   घर के भीतर औरतें परिवार के बच्चों, पतियों तथा अन्य सदस्यों के लिए जीवन भर मेहनत करती रहती हैं। **सिल्विया वैल्बी** इसे 'उत्पादन की पितृसत्तात्मक प्रणाली' का नाम देती हैं। इस के तहत पति तथा परिवार के अन्य सदस्य औरत की मेहनत का फायदा उठाते हैं। वह कहती हैं कि घरेलू औरतें उत्पादन करने वाला वर्ग है और पति फायदा उठाने वाला वर्ग। औरत का चौबीसों घण्टे चलने वाला, उबाऊ काम और कमरतोड़ मेहनत को काम समझा ही नहीं जाता और उसे फिर भी पति पर निर्भर व्यक्ति के रूप में देखा जाता है।

   औरत घर से बाहर जाकर जो नौकरी या मजदूरी करती है उस पर भी मर्द कई ढंग से अपना नियंत्रण रखते हैं। पति अपनी पत्नी को बाहर जाकर कमाने या काम न करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वे चाहें तो थोड़े–थोड़े समय के लिए काम करने दें और उसकी कमाई भी हथिया लें। औरतों को अच्छे वेतन वाली ऊंची नौकरियों से दूर रखा जाता है। आमतौर पर उन्हें अपनी मेहनत का कम मुआवजा मिलता है या ऐसे धन्धे अपनाने पड़ते हैं 'जो घर पर बैठ कर' किए जा सकते हैं। काम का यह ढंग औरत के फायदे का बताया जाता है पर वास्तव में औरत की मेहनत का सबसे ज्यादा शोषण करने वाला ढंग है।

   औरत की मेहनत का शोषण और उस पर पुरुषों के नियंत्रण का अर्थ है कि **पितृसत्ता से पुरुषों को भौतिक फायदा होता है। औरतों के गिरे हुए दर्जे से पुरुष वर्ग ठोस आर्थिक लाभ उठाता है। यानि हम यह कह सकते हैं कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था भौतिक फायदे की नींव पर स्थित है।**

2. **औरतों की प्रजनन शक्ति (Reproductive Power)**

   औरतों की प्रजनन शक्ति पर भी पुरुष अपना नियंत्रण रखते हैं। अनेक समाजों में बच्चों की संख्या, उनके जन्म का समय, गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल जैसे औरत से ताल्लुक रखने वाले बुनियादी मुद्दों का फैसला भी खुद उनके हाथ में नहीं होता। व्यक्तिगत रूप से तो मर्द अपने परिवार की औरतों पर काबू रखते ही हैं, धार्मिक संस्थाएं और सरकार (धर्म और राजनीति) भी औरतों की प्रजनन शक्ति से जुड़े कायदे–कानून बनाती हैं। मिसाल के लिए स्त्रियों व पुरुषों को गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, कौन से गर्भ निरोधक तरीकों की इजाजत दी जा सकती है, औरतें अनचाहे गर्भ को रखें या गिराएं जैसे विषयों का फैसला कैथोलिक चर्च के पुरुष अधिकारियों के हाथ में है। **यह नियंत्रण संस्थागत रूप है।** औरतें कब और कितने बच्चे पैदा करें या बिल्कुल न करे इसका फैसला खुद कर पाने की आजादी के लिए लगभग सारी दुनिया की औरतें लगातार संघर्ष कर रही हैं। इसी बात से साबित हो जाता है कि सरकार और धर्म तथा पुरुषों का यह नियंत्रण कितना कठोर है और ये सभी लोग इस नियंत्रण को छोड़ने को जरा भी तैयार नहीं हैं। ऐसा क्यों है इसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे।

   आज के आधुनिक समय में **पितृसत्तात्मक सरकारें** परिवार नियोजन कार्यक्रम के जरिये औरतों के प्रजनन पर अपना नियंत्रण रखने की कोशिश करती हैं। देश की अधिकतम जनसंख्या कितनी हो इसका फैसला सरकार करती है और उसी हिसाब से औरतों को या तो बच्चे ज्यादा पैदा करने के लिए उत्साहित किया जाता है या बच्चे पैदा करने से रोका जाता है। भारत में परिवार छोटा करने के लिए बहुत आक्रामक तरीके से गर्भ निरोधक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मलेशिया में देश की औद्योगिक पैदावार की खपत बढ़ाने के लिए औरतों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए उकसाया जा रहा है।

   यूरोप में जन्म–दर बहुत नीची होने के कारण वहां ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए औरतों को तरह–तरह के लालच दिये जा रहे हैं। पूरे खर्चे और वेतन के साथ वहां औरतों को लम्बी प्रसूति छुट्टी दी जाती है, आधे दिन की नौकरियों के अवसर पैदा किए हैं, बच्चों की देखरेख की सुविधाएं दी जा रही हैं। कई देशों में तो पुरुषों को भी बच्चे के जन्म के समय 'पुरुष प्रसूति छुट्टी' देते हैं। देशों की इस संबंध में सोच और नीतियां भी अर्थ–व्यवस्था द्वारा श्रमिकों की मांग के हिसाब से बदलती रहती हैं। मिसाल के लिए दूसरे महायुद्ध के बाद जब हारे हुए जर्मनी में देश निर्माण के लिए श्रम शक्ति की जरूरत थी तो औरतों से कहा गया कि वे घर से बाहर निकल कर नौकरियां करें।

घर के भीतर औरतें परिवार के बच्चों, पतियों तथा अन्य सदस्यों के लिए जीवन भर मेहनत करती रहती हैं। **सिल्विया वैल्बी** इसे 'उत्पादन की पितृसत्तात्मक प्रणाली' का नाम देती हैं। इस के तहत पति तथा परिवार के अन्य सदस्य औरत की मेहनत का फायदा उठाते हैं। वह कहती हैं कि घरेलू औरतें उत्पादन करने वाला वर्ग है और पति फायदा उठाने वाला वर्ग। औरत का चौबीसों घण्टे चलने वाला, उबाऊ काम और कमरतोड़ मेहनत को काम समझा ही नहीं जाता और उसे फिर भी पति पर निर्भर व्यक्ति के रूप में देखा जाता है।

औरत घर से बाहर जाकर जो नौकरी या मजदूरी करती है उस पर भी मर्द कई ढंग से अपना नियंत्रण रखते हैं। पति अपनी पत्नी को बाहर जाकर कमाने या काम न करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वे चाहें तो थोड़े–थोड़े समय के लिए काम करने दें और उसकी कमाई भी हथिया लें। औरतों को अच्छे वेतन वाली ऊंची नौकरियों से दूर रखा जाता है। आमतौर पर उन्हें अपनी मेहनत का कम मुआवजा मिलता है या ऐसे धन्धे अपनाने पड़ते हैं 'जो घर पर बैठ कर' किए जा सकते हैं। काम का यह ढंग औरत के फायदे का बताया जाता है पर वास्तव में औरत की मेहनत का सबसे ज्यादा शोषण करने वाला ढंग है।

औरत की मेहनत का शोषण और उस पर पुरुषों के नियंत्रण का अर्थ है कि **पितृसत्ता से पुरुषों को भौतिक फायदा होता है। औरतों के गिरे हुए दर्जे से पुरुष वर्ग ठोस आर्थिक लाभ उठाता है। यानि हम यह कह सकते हैं कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था भौतिक फायदे की नींव पर स्थित है।**

3. **औरतों की प्रजनन शक्ति (Reproductive Power)**

औरतों की प्रजनन शक्ति पर भी पुरुष अपना नियंत्रण रखते हैं। अनेक समाजों में बच्चों की संख्या, उनके जन्म का समय, गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल जैसे औरत से ताल्लुक रखने वाले बुनियादी मुद्दों का फैसला भी खुद उनके हाथ में नहीं होता। व्यक्तिगत रूप से तो मर्द अपने परिवार की औरतों पर काबू रखते ही हैं, धार्मिक संस्थाएं और सरकार (धर्म और राजनीति) भी औरतों की प्रजनन शक्ति से जुड़े कायदे–कानून बनाती हैं। मिसाल के लिए स्त्रियों व पुरुषों को गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, कौन से गर्भ निरोधक तरीकों की इजाजत दी जा सकती है, औरतें अनचाहे गर्भ को रखें या गिराएं जैसे विषयों का फैसला कैथोलिक चर्च के पुरुष अधिकारियों के हाथ में है। **यह नियंत्रण संस्थागत रूप है।** औरतें कब और कितने बच्चे पैदा करें या बिल्कुल न करे इसका फैसला खुद कर पाने की आजादी के लिए लगभग सारी दुनिया की औरतें लगातार संघर्ष कर रही हैं। इसी बात से साबित हो जाता है कि सरकार और धर्म तथा पुरुषों का यह नियंत्रण कितना कठोर है और ये सभी लोग इस नियंत्रण को छोड़ने को जरा भी तैयार नहीं हैं। ऐसा क्यों है इसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे।

आज के आधुनिक समय में **पितृसत्तात्मक सरकारें** परिवार नियोजन कार्यक्रम के जरिये औरतों के प्रजनन पर अपना नियंत्रण रखने की कोशिश करती हैं। देश की अधिकतम जनसंख्या कितनी हो इसका फैसला सरकार करती है और उसी हिसाब से औरतों को या तो बच्चे ज्यादा पैदा करने के लिए उत्साहित किया जाता है या बच्चे पैदा करने से रोका जाता है। भारत में परिवार छोटा करने के लिए बहुत आक्रामक तरीके से गर्भ निरोधक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मलेशिया में देश की औद्योगिक पैदावार की खपत बढ़ाने के लिए औरतों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए उकसाया जा रहा है।

यूरोप में जन्म–दर बहुत नीची होने के कारण वहां ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए औरतों को तरह–तरह के लालच दिये जा रहे हैं। पूरे खर्चे और वेतन के साथ वहां औरतों को लम्बी प्रसूति छुट्टी दी जाती है, आधे दिन की नौकरियों के अवसर पैदा किए हैं, बच्चों की देखरेख की सुविधाएं दी जा रही हैं। कई देशों में तो पुरुषों को भी बच्चे के जन्म के समय 'पुरुष प्रसूति छुट्टी' देते हैं। देशों की इस संबंध में सोच और नीतियां भी अर्थ–व्यवस्था द्वारा श्रमिकों की मांग के हिसाब से बदलती रहती हैं। मिसाल के लिए दूसरे महायुद्ध के बाद जब हारे हुए जर्मनी में देश निर्माण के लिए श्रम शक्ति की जरूरत थी तो औरतों से कहा गया कि वे घर से बाहर निकल कर नौकरियां करें।

4. **औरतों की गतिशीलता (Mobility)**

औरत की यौनिकता उसके उत्पादन और प्रजनन पर नियंत्रण रखने के लिए जरूरी हैं कि मर्द, औरतों के आने जाने पर नियंत्रण रखें। इसके लिए कई तरीके अपनाए गए हैं। औरतों के लिए पर्दा, घरेलु क्षेत्र तक उनके दायरे की सीमा, उस सीमा को छोड़ने पर रोक, पारिवारिक और

सार्वजनिक दायरों के बीच बड़ा साफ फर्क, स्त्रियों और पुरुषों के बीच कम से कम सम्पर्क आदि सभी बातें अपने ढंग से औरत की आजादी और गतिशीलता पर नियंत्रण करती हैं। इनकी खासियत यही है कि ये एक जेण्डर पर लागू होती हैं दूसरे पर नहीं। ये सभी रोक–टोक नियम कायदे औरतों के लिए हैं मर्दो के लिए नहीं।

5. **सम्पत्ति तथा अन्य आर्थिक संसाधन (Property and Other Economic Resource)**

ज्यादातर सम्पत्ति तथा अन्य आर्थिक संसाधनों पर मर्दो का नियंत्रण है और आमतौर पर ये एक मर्द से दूसरे मर्द यानि पिता से पुत्र के हाथों में जाते हैं। जहां कहीं औरतों को उत्तराधिकार का कानूनी हक मिला हुआ भी है वहां भी सामाजिक रिवाज, भावनात्मक दबाव, रिश्तों की राजनीति से लेकर साफ–साफ जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल करके उन्हें अपने हक वास्तव में पाने से रोका जाता है। कुछ अन्य उदाहरणों में व्यक्तिगत कानून लागू होने से उनके हकों में बढ़त होने के बजाए और कटौती हो जाती है। नतीजा यह है कि लगभग सभी मामलों में औरतें नुकसान में रहती हैं। यह बात संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी आंकड़ों से बहुत स्पष्ट हो जाती है।

''औरतें सारी दुनिया में किए गए काम के घण्टों में 60 % से अधिक का योगदान देती हैं जबकि उन्हें दुनिया की कुल आय का सिर्फ 10 प्रतिशत मिलता है और वे केवल 1 % सम्पत्ति की मालिक हैं।

''साभार : कमला भसीन की किताब 'पितृसत्ता क्या है'

सत्र 7 : पितृसत्ता

उद्देश्य :

- पितृसत्ता के बारे में समझ विकसित करना।

समय : 60 मिनट

सामग्री : पितृसत्ता पर लिखे नोट की प्रतिलिपि

कार्यविधि :

- सभी सहभागियों के साथ खेल खेलें।
- खेल में एक लीडर सबको छोटे–छोटे निर्देश देगा। जिस भी निर्देश कि आगे '**पापा कहते है**' आयेगा, उसे करना है और जिसके आगे नहीं आयेगा उसे नहीं करना है। उदाहरण के लिए पापा कहते है कूदो तो कूदना है, पापा कहते है हंसो तो हंसना है लेकिन भागों कहने पर भागना नहीं है क्योंकि यह पापा नहीं कहते।

खेल के बाद एक छोटा अभ्यास करेंगे। जिनमें कुछ सवालों के जवाब देने है :–
(जवाब में पिता, बेटा या माता में से सही जवाब देना है)

1. घर का मुखिया कौन ?
2. घर का वारिस कौन ?
3. बच्वें किसके ?
4. शादी के बाद जाति किसकी लगेगी ?
5. समाज में पहचान किससे ?
6. परिवार किसका ?
7. अर्थी को कंधा कौन देगा ?
8. कन्यादान कौन करेगा ?
9. वंश कौन बढ़ायेगा ?
10. मालिक कौन और दासी कौन ?
11. सत्ता किसके पास ?

सहजकर्ता के लिए नोट

★ किसी भी उदाहरण पर सबकी अलग राय हो सकती है अतः एक ही राय को पक्का और आखिरी न मानें।
★ ध्यान रखें कि किसी की भावनाओं को चोट न पहुंचे। अगर कोई भी ऐसा महसूस करे, तो उससे माफी मांगना उचित है।
★ हमारा मकसद समझ निर्माण करना है किसकी खिलाफत करना नहीं।

इन जवाबों के आधार पर बात करें कि अधिकतर जवाब में किसका नाम आया और क्यों ? इसमें जो पिता की स्थिति है क्या वह किसी प्रकार की सत्ता को दिखाती है ? और ऐसी सत्ता को जिसके लिए वारिस या पिता होना ही पर्याप्त है ?

बातचीत को बढ़ाते हुए सत्ता की विशेषता और पिता के पास की सत्ता की विशेषता में तुलना करें।

थोड़ी बातचीत के बाद पितृसत्ता पर दी गई संदर्भ सामग्री सभी सहभागियों के साथ पढ़े। संदर्भ सामग्री के आधार पर सवाल–जवाब करें।

सत्र को यह कहते हुए समेकित करें कि –

आज के समय में पितृसत्ता एक मानसिकता है जो हमारी सोच, हमारे काम–काज के तरीकों में दिखाई देती है। इसी मानसिकता के चलते हम हक़ और अधिकारों के बावजूद भी पुरूष वर्ग को अधिक महत्वपूर्ण मानते है। उसकी अनकही सत्ता को स्वीकार करते है। इसी मानसिकता से बाहर आने पर ही हम समता आधारित, न्यायपूर्ण, हिंसायुक्त समाज की बात सोच सकते है।

सत्र के बाद ऐसे उदाहरणों को ढूढ़े जिनको करते पुरूष है लेकिन जिम्मेदारी और सवाल लड़कियों या महिलाओं पर आते है जैसे – छेड़खानी, बलात्कार, प्रेम आदि।

संदर्भ सामग्री सत्र 8 : जेण्डर भेदभाव का हमारे दैनिक जीवन पर असर

जेण्डर स्थितियों के कारण

- बच्चों के पालन पोषण में फर्क
- लड़कियों और महिलाओं के अवसरों में फर्क
- लड़कियों और महिलाओं की पहुंच कम
- औरतों और लड़कियों की आवाजाही पर फर्क
- घर और बाहर महिलाओं के नियंत्रण कम
- महिलाओं और लडकियों की निर्णयों में भूमिका नगण्य
- महिलाओं के काम की कीमत कम
- किशोरों व पुरुषों पर असर

पहुंच में फर्क

- अच्छे स्कूल
- राज्य से राष्टीय स्तर के खेल
- नौकरियां (पात्रता)
- दवाखाना
- प्रजनन जानकारी केन्द्रों तक

बच्चों के पालन पोषण में फर्क

- जन्म होने पर जुड़े रीति–रिवाज
- लड़कियों की मां का खान–पान पर ध्यान में कमी
- लड़कियों की सेहत, बीमारी, खाना–पीना और देखभाल में कमी
- लड़कियों को बड़ों का ध्यान और समय कम

अवसरों में फर्क

- पढ़ाई का अवसर कम
- लड़कियों को खेलने के अवसर कम
- बाहरी वातावरण के कम अवसर

नियंत्रण

- घर में खाना
- बाजार में सामान
- बच्चों की फरमाईश पूरा कर पाना
- घर में उपलब्ध संसाधनो पर

आवाजाही

- घर से स्कूल
- घर से काम की जगह
- अपने मन पसन्द की जगह पर अपनी मर्जी से जा पाना

महिलाओं का सम्मान

- महिलाओ की इच्छा व प्रतिभा को कम महत्व
- समान काम का असमान वेतन
- काम का मूल्य नहीं
- घरेलू कार्य बिना पैसे का

किशोरो व पुरुषों पर असर

- भावनाओं की अभिव्यक्ति मे सहज नही हो पाना
- कमाई का दबाव
- नियन्त्रक बने रहने की भूमिका को निरन्तर करना
- सहयोगी की भूमिका मे नही आना।

सत्र 8 : जेण्डर भेद व उसका दैनिक जीवन पर असर

उद्देश्य :

इस सत्र की समाप्ति तक सहभागी समझ पायेंगे कि जेण्डर भेद है और उसका असर महिला और पुरूषों के विकास की सम्भावना पर पड़ता है।

संदर्भ सामग्री – जेण्डर भेद का हमारे जीवन पर असर पर प्रस्तुतीकरण

समयः 60 मिनिट

कार्यविधि :

- सभी सहभागी दो टीमों मे बंट जांएगे।
- एक टीम महिलाओं की होगी और दूसरी टीम पुरूषों की।
- दोनो टीमों को एक सीढी(जमीन पर बनी हुई) को पार करना होगा।
- प्रत्येक कदम(सीढी) पर एक कार्ड मिलेगा जिसके आधार पर अगली सीढी में जाया जा सकेगा। किशोर और किशोरियों के लिए एक ही सवाल होगा।
- एक साथी आउट हो जाने पर टीम का दूसरा साथी उसकी जगह ले सकेगा। पूरी सीढ़ी जो 10 सवालों की होगी, को पार करने पर 10 अंक टीम को मिल जायेंगे

सहजकर्ता के लिए नोटः

- ➢ जेण्डर भेद के असर पर, जहां तक संभव हो स्थानीय उदाहरणों को लायें।
- ➢ पहले से कुछ उदाहरण एकत्र करके रखना बेहतर होगा।
- ➢ टीम अवश्य बनायें किन्तु खेल एक साथ खेलना बेहतर होगा
- ➢ अंक का मिलना या न मिलना हार जीत से नहीं जुड़ा हुआ।
- ➢ यह अवश्य देखना है कि कौनसी टीम अधिक अंक ले पाई और क्यों?

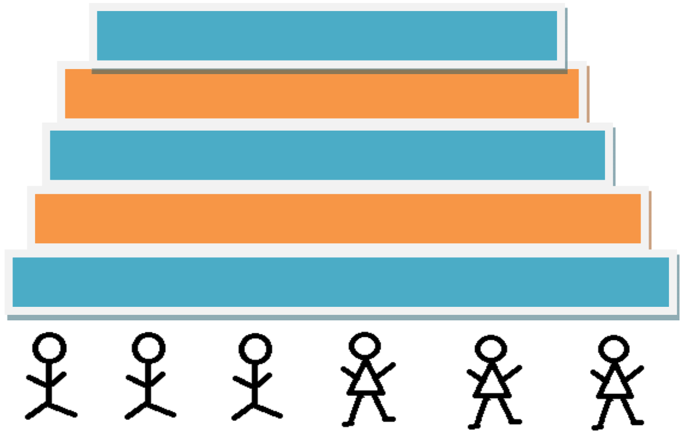

कार्डशीट पर लिखे निर्देश

- अगर तुमको स्कूटर या मोटर साईकिल चलाना आता है, तो अगली सीढी पर जाओं।
- अगर तुम अपना काम किसी ओर से करवा सकते हो तो अगली सीढी पर जाओं।
- जिनके खुद के नाम से बैंक खाता है, तो वे अगली सीढी पर जा सकतें है।
- जिन्होने कक्षा 9 अथवा 12 में अपनी मर्जी से विषय लियें हो वे अगली सीढी पर जाएं।
- जिन्होने जिला मुख्यालय देखा है, वे अगली सीढी पर जाएं।
- जो पढाई के साथ घर का काम नही करते, वे अगली सीढी पर जाएं।
- जिन्होने सिनेमा हॉल में फिल्म देखी है वे अगली सीढी पर जाएं।
- जो सबके सामने रो सकतें है वे अगली सीढी पर जाएं।
- जो बिना सिर झुकाए बाजार में चल सकते हैं, वे अगली सीढी पर जाएं।
- जो अपनी पसन्द के कपड़े पहन सकतें है, वे अगली सीढी पर जाएं।
- जो अपनी पसन्द से शादी कर सकतें है वे अगली सीढी पर जाएं।
- अगर दोस्तो/सहेलियों पर जाने का कार्यक्रम बनेगा तो जिनको अनुमति मिलेगी वे अगली सीढी पर जाएं।

बात चीत करें–

- ♦ सबसे ज्यादा सीढियां कौनसा समूह पार कर पाया?
- ♦ सबसे ज्यादा आउट किस समूह के साथी हुए?
- ♦ क्या महिला या पुरूष होने से सीढियां तय करने पर कोई फर्क पड़ा।
- ♦ यह फर्क क्यों आया?

  इस फर्क का कारण जेण्डर भेद है। संदर्भ सामग्रीः जेण्डर भेद का दैनिक जीवन पर असर पर बातचीत करें सम्भव हो तो पावर प्वाइंट प्रस्तुति दिखाते हुए सत्र को समेकित करे।

5 हिंसा की समझ व रोकथाम

हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती है, जब हम चाहते है, कि दूसरा व्यक्ति हमारे अनुसार कार्य करे। जो बातें, जो व्यवहार हमें अच्छे नही लग रहे उन व्यवहारों को वह न करे, यह चाहत खाने—पीने, उठने बैठने, बोलने, चालने, कपड़े पहनने, किसी से बात करने न करने जैसी रोज की स्थितियों के बारे में होती हैं। हम चाहते है कि घर के बच्चे बाहर खेलने न जाए और वह जाना चाहता है। कोई मुझसे चाहता है कि मैं मोबाइल पर बात न करूं लेकिन मैं करना चाहती हूं। बहुत बार हम अपनी चाहतों को रोक पाते हैं, बदल पाते हैं, समझ पाते हैं लेकिन कभी—कभी हमे लगता है कि हम जो चाहते हैं, वह करके ही रहेंगे। करवा कर ही रहेंगे। यही वह पल है जब हम दूसरे को नियत्रित करने की कोशिश करते हैं दूसरे पर अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं। हां यह जरूर है कि यह नियंत्रण कभी हम अपनी चाहतों से करते हैं तो कभी यह नियंत्रण हमारे मूल्यों, समाज के तौर तरीकों की पालना में करते है। कभी यह नियंत्रण कानुन की पालना में करते हैं। तो कभी बदले की भावना में और कभी अपना वर्चस्व बनाने की होड़ में। कभी मर्यादा के नाम से, कभी सम्प्रदाय के नाम पर, कभी संस्थाओं के नाम पर और कभी राजनीति के नाम पर।

कारण जो भी हो जब हम दूसरे को विचार, ताकत, पैसा या किसी भी तरह से नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तो हिंसा की शुरूआत करते हैं। हम इसे कभी देख पाते हैं और कभी नहीं। इसे थोड़ा और आगे बढ़ाए तो समझ पाते है कि हम हमेशा अपने से कमजोर (ताकत, पैसे, पद, सामाजिक स्थिति, पहचान) व्यक्ति को नियंत्रित करने की ओर आसानी से बढ़ जाते हैं। थोड़ा और सोचें, आस—पास देखने की कोशिश करे, मन में सोचें कि घर परिवार में सबसे कमजोर स्थिति में कौन है? घर के पुरूष या घर की महिलाएं? महिलाओं और पुरूषों में भी कौन जो उम्र में छोटे हैं, सामाजिक स्थिति में छोटे हैं नई बहु या घर की भाभियां? यहां इन सब स्थितियों को लाने का मतलब यह समझना है कि हिंसा औरतों और आदमियों, किशोरियों और किशोरो दोनो पर हो रही है। लेकिन महिलाओं और किशोरियों पर हिंसा की घटनाएं अधिक है। किशोरियों के ऊपर रोक—टोक, पाबन्दियां, नियम—कायदे— कानून सब अधिक हैं। जिसके चलते नियंत्रण भी उन पर अधिक हो जाता है। और नियंत्रण हिंसा को जन्म देता है।

पुरूषों और किशोरों के साथ कई तरह की हिंसा हमें दिखाई देती है। मार—पीट, रास्ते में लूट— खसौट, स्कुलों में रेंगिंग, शारीरिक दण्ड झगड़े आदि। आजकल किशोरों और पुरूषों के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रहीं हैं। इन सब हिंसाओं को देखेंगे तो हमें यह भी समझ आएगा कि ये सब स्थितियां ऐसी है जो सिर्फ पुरूषो के साथ नहीं होती हैं महिलाओं और किशोरियों के साथ भी हो रही हैं। महिलाओं और किशोरियो

के साथ होने वाली घटनाओं को देखें तो पुरुषों के साथ होने वाली घटनाओं के साथ–साथ छेड.–छाड़ बलात्कार, तेजाब फैंकना, कपड़े उतार देना, कपडे फाड़ देना, उनके अंगों को लेकर मजाक उड़ाना ऐसी स्थितियां है जो उनके साथ सिर्फ इसीलिए हो रही है क्याकि वे महिलाएं और किशोरियां हैं।

यह बात खास तौर पर समझने की है कि कई बार हिंसा सिर्फ इसलिए हो पाती है कि वे महिलाएं या किशोरियां हैं। कई बार नियंत्रण और हिंसा के तरीके इसीलिए तय हो पाते हैं कि वे महिलाएं/किशोरियां हैं।

ऐसी हिंसा जिसका स्वरूप, जिसका घटना लिंग और जेंडर पर आधारित है उनको हम जेण्डर आधारित हिंसा की तरह देखते हैं। थोड़ा सोचिए क्या जेण्डर आधारित हिंसा के कुछ उदाहरण आपको याद आते हैं?.......... जी हां बाल विवाह, बलात्कार, डायन, डाकन, दहेज, छेड़–छाड़, शील भंग, यौन उत्पीड़न सब ऐसे उहारण हैं जो जेण्डर आधारित हिंसा में आते है। हमारा झगड़ा किसी पुरूष से होता है और सबक सिखाने के लिए हम उस घर परिवार की किसी महिला को छेड़ते है। पेरशान करते हैं और कभी–कभी उसके साथ बलात्कार की घटनाएं होती है। यह जेण्डर भेद हिंसा का खास नमूना है जहां महिलाओं को पुरूषों पर नियंत्रण करने के लिए औजार बनाया जाता है। आप सब सोचेगें, बात करेंगे, अपने घर–परिवार समाज में देखेगें तो आप को ऐसी कई बाते समझ आयेगी इस अध्याय में हम घर और घर से बाहर होने वाली हिंसाओं को समझने का प्रयास करेंगे।

तो आइए शुरू करते हैं। अगला अध्याय और आप भी तैयारी कर ले कि बतौर सहजकर्ता आप कैसे इस चर्चा को आगे ले जायेंगे।

संदर्भ सामग्री सत्र 9 : हिंसा की समझ

हिंसा माने क्या?

हिंसा क्या और कैसे होती है इसको शुरुआत के परिचय में विस्तार से लिखा गया है।

किसी भी व्यक्ति पर विचार अथवा किया के जरिये अतिकमण, नियंत्रण करने के लिए अपनाएं गए तरीके हिंसा है।

हम हिंसा को शारीरिक हिंसा की तरह से अधिक देखते है किन्तु इसके बारीक उदाहरणों के पकड़ने का प्रयास नही करते।

CEDAW के तहत UN द्वारा स्वीकार्य महिला हिंसा की परिभाषा इस प्रकार है।

'निजी अथवा सार्वजनिक रुप से किया गया ऐसा कोई भी जेण्डर भेदभाव आधारित कृत्य (कार्य) जो शारीरीक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक रुप से महिलाओं को नुकसान पहचाता है या जिससे नुकसान पंहुचने की सम्भावना होती है या जिससे महिलाएं परेशानी महसूस करती है जैसे धमकी, ताना, बलात्कार, मनमाना व्यवहार, आजादी पर चोट आदि।'

हिंसा एक दो तरफा हथियार है। कभी हम हिंसा करते है और कभी हिंसा को सहन करते है। हिंसा हमारे व्यवहार, हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गई है। हिंसा का प्रांरभिक स्वरूप जीवन रक्षा के लिए था, जो आज नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिंसा के प्रकार बारीक से बारीक होते जा रहे है। फोन, एसएमएस, बोली, हाव–भाव, अतरंग रिश्तों में नियंत्रण कुछ ऐसे उदाहरण है जहां इनकी गहराई में देखा जा सकता है।

हिंसा प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है, किन्तु बहुत जगहों पर यह सत्ता, व्यवस्था और समूह विशेष का अधिकार बन जाती है। कहीं पर हम नियमों की रक्षा के लिए हिंसा करते है तो कहीं पर नए नियम बनाने के लिए, कहीं पर महिलाओं को नियंत्रित करने के लिए, तो कहीं पर मर्दानगी दिखाने के लिए। ताकत का इस्तेमाल महिलाए भी करती है और पुरूष भी। मां का अपने बच्चों को पीटना क्या हिंसा उदाहरण नही हैं।

बस फर्क इतना है कि कुछ लोग हिंसा बेबसी में करते है, और कुछ सचेतता और समझ के साथ।

महिला हिंसा से जुड़े मिथक व तथ्य

मिथक	तथ्य
महिला हिंसा कभी कभार ही होती है।	महिलाओं के खिलाफ हिंसा सामान्यतः रोज होने वाली स्थिति है।
घरेलू हिंसा केवल उन्ही तबको मे होती है जो आर्थिक रूप से निम्न कम शिक्षित, अल्पसख्यक समुदाय है।	आंकड़े बताते है कि महिला हिंसा सभी तरह के आर्थिक, सामाजिक स्तर व सभी परिवारों मे घटती है।
घरेलू हिंसा आम तौर पर अकेले में होने वाली घटना है।	हिंसा, कुछ रिश्तेदारियों में घटने वाली हिंसा व्यवहार का एक पैटर्न/तरीका, जो कि समय के साथ और क्रूर और अधिक तीव्रता में होती जाती है।
जो लोग दूसरों के साथ हिंसा करते उनको मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कई बीमारियां होती है	बहुत कम प्रतिशत ही ऐसे लोगों का है जिनको मानसिक बीमारियां होती है और वे हिंसा करते है अधिकतर हिंसाकर्ता बहुत चतुर तार्किक व आकर्षक होते है। व्यक्तिगत ताकत का उपयोग दूसरों को नियंत्रित करने के लिए एक व्यवहारिक चुनाव है।
महिलाएं पुरुषो पर हिंसा करी और वे उनसे परेशान रहते है।	90% घरेलू हिंसा में पुरूष ही हिंसाकर्ता होता है। पुरूषों को बात असहज कर सकती है परन्तु यह सच्चाई है।
महिला हिंसा की स्थितियों में इसलिए रहती है क्योकि उनको इस बात से कोई फर्क नही पड़ता कि उनके साथ हिंसा हो रही है।	महिलाए हिंसा की स्थितियों में कई वजहों से बनी रहती है। जैसे आर्थिक निर्भरता दूसरे पर होना, रिश्तों को सामाजिक नियमों के अनुसार निभाना, बच्चों के कारण और यह सोचना कि कभी तो ठीक होगा।

संदर्भ सामग्री सत्र 9 : हिंसा की समझ

यौन उत्पीड़न से जुड़े मिथक व तथ्य

मिथक : महिलाएं /लड़कियां 'छेड़खानी' या यौन उत्पीड़न को पसन्द करती है।

तथ्य : महिलाओं के लिए छेड़खानी/यौन उत्पीड़न एक अमानवीय, दुखदायी व खतरनाक अनुभव होता है।

मिथक : छेड़खानी से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। महिलाओं को इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए।

तथ्य : कोई भी ऐसा व्यवहार जो अवांछनीय है वह व्यवहार मजाक या नुकसान रहित नहीं हो सकता।

यौन उत्पीड़न, महिला पर इससे होने वाले असर से परिभाषित होता है न कि यौन उत्पीड़न करने वाले की मंशा से।

मिथक : यौन उत्पीड़न केवल उन महिलाओं /लड़कियों के साथ होता है जिन्होने भड़काऊ कपड़े पहन रखे हो। साधारण रूप से रहने वाली महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं नहीं होती।

तथ्य : यह एक गलत धारणा है तथा गलत इरादों के इल्जाम को शोषण करने वाले की बजाय पीड़िता पर लगा दिया जाता है। प्रत्येक महिला को उसकी इच्छा से कपड़े पहनने, व्यवहार करने तथा बिना किसी धमकी के स्वतंत्रता से घूमने व रहने का अधिकार है।

मिथक : महिलाओं की 'ना' में 'हां' है।

तथ्य : यह एक आम धारणा है जो लैंगिक व्यवहार को न्यासंगत साबित करने के लिए पुरूषों द्वारा इस्तेमाल की जाती है।

मिथक : यौन उत्पीड़न वास्तविकता में कोई मुद्दा नहीं है व इससे किसी को भी नुकसान (चोट) नहीं पहुंचता।

तथ्य : जिस व्यक्ति के साथ यौन उत्पीड़न होता है वह शारिरिक व मानसिक समस्या के विस्तृत अनुभवों से गुजरता है। इसके परिणामस्वरुप पीड़ित महिला जहां काम करती है, उसे व उसकी संस्था को खराब आर्थिक परिणामों से भी गुजरना पड़ता है।

मिथक : 'यौन उत्पीड़न' पुरूषों द्वारा किया गया केवल प्राकृतिक व्यवहार है।

तथ्य : पुरूष जन्म से ही यौन उत्पीड़न करता नहीं सीख जाते है। यह लैंगिक वातावरण के संदर्भ में सीखा गया व्यवहार है।

मिथक : महिलाएं ऐसी घटनाओं को इसलिए छोड़ देती है क्योंकि वे इसे पसन्द करती है।

तथ्य : महिलाएं यौन उत्पीड़न की घटना से जुड़े सामाजिक कलंक से बचने के लिए इसे अनदेखा कर देती है। महिलाओं को डर रहता है कि सारा इल्जाम उन्हीं पर न आ जाए। उन्हें पीड़ित बनने, झूठी कहलाने, लोगों के लिए बातचीत का मुद्दा बनने और अपने परिवार में असम्मान से डर लगता है।

मिथक : ऐसी जगह जहां महिलाओं के आने जाने को ठीक नहीं कहा जाता, यदि वहां महिलाएं जाती है तो उन्हें यौन उत्पीड़न होने की सम्भावना को मानना चाहिए।

तथ्य : भेदभावपूर्ण व्यवहार और शोषण दोनों ही गैर कानूनी है। महिलाओं द्वारा कामों की सभी जगहों पर पहुंच का बराबरी का अधिकार है।

देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के आंकड़े

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रकार	घटनाओं की संख्यां		
	2009	2010	2011
बलात्कार (धारा 376 IPC)	21397	22172	24206
अपहरण व बहला फुसला कर या धमका कर ले जाना (धारा 363,369,371,373 of IPC)	25471	29795	35565
दहेज हत्या (304 B of IPC)	8383	8391	8618
पति व उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (498 A)	89546	94041	99135
लज्जा भंग करना (354)	38711	40613	42968
यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ (509)	11009	9961	8570
लड़कियों का आयात करना(366B)	48	36	80
अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का उल्लंघन	2474	2499	2435
महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व की रोकथाम अधिनियम 1986 का उल्लंघन	845	895	453
दहेज निषेध अधिनियम 1961 का उल्लंघन	5650	5182	6619
कुल	203804	213585	228650
			Source: NCRB

सत्र 9 : हिंसा की समझ

<table>
<tr>
<td>

उद्देश्य :

प्रशिक्षण के अन्त तक सहभागी समझ पाएगें कि

- हिंसा किसे कहते है?
- हिंसा के कई स्तर है?

</td>
<td rowspan="3">

कार्यविधिः

- सभी सहभागियों को चार समूहों में बांटे एक समूह में 7 से 8 व्यक्ति हो सकते है।
- प्रत्येक समूह मे से दो व्यक्तियों का चयन लीडर के रुप में कर लें।
- चारों समूहों के आठों लीडर को कमरे से बाहर भेज दें। बाहर जाकर प्रत्येक समूह लीडर को एक–एक पर्ची (नीचे बॉक्स में लिखी है) दें। और पर्ची के अनुसार अपने समूह से कार्य करवाने को कहें। प्रत्येक समूह कार्य के लिए 15 मिनिट का समय है।

1. अपने समूह के सभी लोगों को आंख बन्द करके 10 मिनिट तक कमरे के भीतर घूमना है
2. अपने समूह के साथियों से प्रशिक्षण कक्ष की सफाई और साज सज्जा करवानी है, किसी को भी 1 मिनट भी खाली नही रहने देना है।
3. अपने समूह के सभी साथियों को जीन्स व टी शर्ट पहनने के लिए तैयार करना, तैयार होने पर अगले दिन से प्रशिक्षण में यही ड्रेस अनिवार्य होगी, की बात करना।
4. अपने समूह के साथियों को प्रशिक्षण स्थल व आस पास की जगह की सैर करवाना किन्तु किसी भी साथी को उसकी मर्जी से चलने–फिरने, देखने और बात न करने देना।

- कमरे में चारो समूहों को कहे कि लीडर जो भी कहे वो करना या न करना आपकी मर्जी है आप कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
- 15 मिनिट बाद बड़े समूह में बातचीत करें।

बातचीत के लिए सवालः लीडर्स क्या कर रहें है? सहभागी की मर्जी या सहमति का कितना ध्यान रख रहें थे? सहभागियों को अपनी इच्छा के खिलाफ काम करने में क्या महसूस हो रहा था?

प्राथमिक चर्चा के बाद समूह को नीचे लिखी 5 केस स्टडी दें।

</td>
</tr>
<tr>
<td>

सामग्री : चाटै, मार्कर, केस स्टडी की प्रतिलिपि

</td>
</tr>
<tr>
<td>

समयः 1:30 मिनिट

</td>
</tr>
</table>

केस स्टडी–1

मुकेश 13 साल का लड़का है। वह पांच भाई बहनों में सबसे बड़ा है। उसके पिता बेरोजगार है इसलिए उसकी मां को जीविका चलानी पडती है। उसके पिता को मां से जलन होती है क्योंकि मां काम करती है और घर पर नही रह पाती। वह उसको पीटता है यह कह कर कि वह एक अच्छी पत्नी नहीं है। मुकेश अपनी मां की जिम्मदारियां सभालता है जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना ओर अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना। मां–बाप दोनों अपना गुस्सा मुकेश पर निकालते हें और बिना किसी स्पष्ट वजह से उसको सजा देते रहते है।

चूंकि हिंसा मुकेश के जीवन का सामान्य हिस्सा है, इसलिए वह खुद को कभी नही बचाता। स्कूल में उसके सहपाठी अध्यापक के सामने उसे मारतें हैं, तो अध्यापक भी उसका बचाव नहीं करते।

केस स्टडी–2

बॉबी घर का सबसे बड़ा बेटा है। बहुत मेहनती, घर बाहर का सारा काम करता है। एक दिन उसे लगा कि वह अब दफतर का काम नही करना चाहता। उसने तय किया और सबको बताया कि वह काम नही करेगा। उसके पिताजी ने कहा– "तो तु अब औरत की कमाई पर पलेगा। मर्द होकर घर में रहेगा।" यह नही चल सकता, वह परेशान होकर रोने लगा। रोता देखकर उसकी मां बोली 'क्यों रो रहा है। लड़का होकर भी रोता है। तुझे काम करने के लिए ही तो कह रहे है। कोई चौका बर्तन करने के लिए थोडी ही कह रहे है।' बॉबी बहुत दुखी हो गया । उसकी भावनाओं पर लगातर चोट हो रही थी। वह कुछ भी नही कर पा रहा था। वह बाहर का काम नहीं करे घर का काम करना चाहता था उसके माता–पिता उसे समझ नही रहे थे और हर बार उसको ताने और सलाह दे रहे थे।

केस स्टडी–3

रानी अपने परिवार के साथ उत्तरकाशी में रहती है। रानी का पति दिल्ली में काम करता है। वह साल में दो बार एक–एक माह के लिए घर आता है। वह जब भी घर आता है रानी पहले दिन बहुत खुश दिखाई देती मगर 2–3 दिन बाद ही रानी का चेहरा मुरझाने लगता। उसकी सहेली मीरा ने जब कई बार रानी से पूछा तो रानी ने बताया कि उसका पति उसे रातभर साने नहीं देता। उसके साथ कई घण्टों तक शारीरिक सम्बन्ध बनाता है। रानी परेशान हो जाती है। उसे दिन भर भी जगना पड़ता है और रात को वह सो नहीं पाती। मना करने पर कहता है कि छः महिने में एक महिने के लिए आता हूँ यह तो करूंगा ही। रानी बहुत परेशान है।

केस स्टडी–4

सीमा का जेठ उसे आए दिन कुछ–न–कुछ बोलता रहता है। रोज घर के काम पर, सीमा के बाहर आने–जाने पर, उसके कपड़े पहनने पर, साज–श्रृंगार करने पर टीका–टिप्पणी करता। कभी अकेले में तो कभी सबके सामने। सीमा कुछ न कह पाती। सिर्फ सुनती और रोती। जेठ के कहने का उसके असर शरीर और मन दोनों पर पड़ता। इसके चलते वह कभी–कभी बीमार भी हो जाती।

केस स्टडी : 5

अंजू अपने पति व बच्चों के साथ जयपुर में रहती है। घर का सारा खर्च अंजू के पति ही चलाते है। अंजू घर का काम, बच्चों की देखभाल और कम पैसो में घर चलाने की नियमित कोशिश करती है। पिछले महिने अंजू के पति ने उसे घर खर्च के लिए पैसा देना बंद कर दिया । अंजू जब भी पैसा मांगती वह कहता 'आज नही है कल दे दूंगा' कल कभी न आता। अंजू बहुत परेशान रहती। पैसों के बिना घर का गुजारा कैसे चले। मन ही मन सोचती, 10 दिन पहले तो तनख्वाह मिली है फिर पैसे क्यों नहीं मिल रहें है। उसे समझ आया कि पति से झगड़ा करने का यह परिणाम निकल रहा है। वह अपनी बात मनवाने के लिए पैसे से अंजू को नियन्त्रित कर रहा है। अंजू इस प्रकार की हिंसा पहली बार देख रही थी।

–केस स्टडी में कौन किसके साथ, क्या कर रहा है, माने क्या हो रहा हैं?

–जिसके साथ हो रहा है, उसके क्या महसूस हो रहा होगा?

इन प्रश्नों पर चर्चा चलाते हुए विश्लेषण करे कि सभी केस स्टडी में हिंसा के उदाहरण निकल कर आ रहे है। हिंसा किसे कहते है, इसे कितने प्रकारों में देखा जा सकता है, (शारीरिक, यौनिक, मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक आदि प्रकार की हिंसा को देख सकते है।), पर चर्चा करें।

विश्लेषण में इन शब्दों की मदद ले सकते है

जबरदस्ती, अपनी बात मनवाना, मानदण्ड के खिलाफ जाना हिंसा है हिंसा के कई प्रकार–शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक यौनिक, दुख, हताशा, निराश, गुस्सा, तनाव, सामाजिक, सामाजिक मान्यताएं सहना, स्वीकार करना, मना नही कर पाना, सहायता उपलब्ध नही आदि।

इस विश्लेषण को करते हुए सबकी बातचीतों को समेटते हुए सार इस प्रकार निकाल सकता है।

- अपनी बात मनवाने, और हर तरह के अतिक्रमण के कारण हिंसा होती हैं।
- हिंसा में ताकत का प्रयोग। ताकत के जरिये शरीर, मन भावना, अथवा यौनिकता को नुकसान पहुचाना है।
- हिंसा में हम व्यक्ति के अवसर, संभावना, खुशी, शरीर, सम्मान जैसी स्थितियों को नष्ट करने का प्रयास करते है।
- हिंसा के असर से कई व्यक्ति तनाव जैसी परिस्थितियों में आ जाते है और कभी–कभी खुद को मार लेते है।
- हम अक्सर शारीरिक हिंसा को देखते है किन्तु हिंसा मन, भावना के तल पर भी हो रही है, उसे देख नही पाते है।
- हिंसा की घटना अलग– अलग होती है, किन्तु उसका प्रभाव हिंसा सहने वाले सभी व्यक्तियों पर गहरा पड़ता है।
- हिंसा की घटनाओं को समझने की दृष्टि से श्रेणियों में देखा जा सकता है। मौटे–तौर पर कई समूह इसे शारीरिक, मानसिक, यौनिक एवं आर्थिक हिंसा की श्रेणियों में देखते है।

सत्र 10 : हिंसा का फैलाव और असर

उद्देश्य :

सत्र के आखिर तक सहभागी बात पाएंगे कि :–

- हिंसा की घटनाओं का फैलाव बहुत अधिक है।
- हिंसा का असर व्यक्ति की सम्भावनाओं व खुशियों पर पड़ता है।
- अपने व्यक्तिगत जीवन में हिंसा की घटनाओं को याद करते हुए हिंसा के असर को पहचान पाएंगे।

समयः 2 घण्टे

सामग्रीः एक खुशी का गीत, संभव हो तो से मोबाईल अथवा सी.डी. पर लेकर रख सकतें है। यह गीत स्थानीय स्तर पर गाया जाने वाला होगा, तो बेहतर रहेगा।

कार्यविधिः

सहजकर्ता के लिए नोटः

- सहभागियों के साथ बराबरी और अपनेपन का रिश्ता बनाएं रखें।
- हिंसा के अनुभवों का बांटना मुश्किल कार्य है। इसका सम्मान करें।
- अनुभवों को बाहरी व्यक्तियों के साथ आप या समूह का कोई भी व्यक्ति न बांटे, उसका ध्यान रखें। निजता सबसे महत्वपूर्ण है, उसे बनाएं रखें।

गतिविधि

- सहभागियों को गोले में बैठने के लिए कहें।
- पिछले सत्र में हिंसा की बातचीत को दोहराएं।
- आज हिंसा के फैलाव पर बातचीत करेंगे।
- बातचीत की तैयारी के लिए एक खेल खिलावें।
- खेल में सभी सहभागी दूसरे सहभागी का हाथ पकड़ लेंगे। इससे एक मानव श्रृंख्ला बन जायेगी।

  किसी एक सहभागी से खेल प्रारम्भ करेंगे। वह अपने अगले साथी का हाथ दबायेगा (जैसे बच्चे चलना सीखते समय बड़ों की अंगुली को दबाते है) यह दबाव 2–5 सैकण्ड तक रहेगा। दबाने के बाद अगले सहभागी को संदेश देगा कि 'मुझे आप पर पूरा भरोसा है।'

  यह क्रम तब तक चलेगा जब तक पूरे गोले के सभी साथी अपने अगले सहभागी को संदेश न बता दे।
- सहजकर्ता बातचीत को चलाने के लिए हिंसा की बात को शुरू करेगें। हिंसा की घटनाएं याद करते हुए। पूछेगें कि हिंसा की घटनाए दिन, जगहों और स्थितियों में होती है।
- पांच–सात उदाहरणों के बाद 5 समूहों में सबको बाटेंगे और निम्न स्थितियों अथवा जगहों में हिंसा की घटनाओं एवं स्थितियों को पहचानेगें :–

समूह 1	समूह 2	समूह 3	समूह 4	समूह 5
परिवार में	रिश्तों में	काम की जगहों पर	सार्वजनिक जगहों पर	समुदाय स्तर पर

सभी समूह इन बिन्दूओ पर विश्लेषण करेंगे कि :–

- हिंसा कौन कर रहा है?
- हिंसा किस पर हो रही है?
- क्या हिंसा के उदाहरणें में कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है ?

विश्लेषण से हम यह समझ पाएगे कि इसमे क्या पैटर्न है ?

विश्लेषण में इन शब्दो की मदद ले सकते है।

हिंसा, घटनाए, फैलाव, अलग–अलग होते हुए भी एक जैसे, हिंसा का असर, सहने वाला, करने वाला, कौन कर रहा है, किस पर कर रहा है, जीवन में कैसा होता है, हिंसा घटने के बाद भावनाओं का असर

चर्चा को पहली बार इस तरह समेटे–

हिंसा की स्थितियां घर परिवार से लेकर समुदाय और काम की जगहों तक फैली हुई है। हम कभी हिंसा सहने वाले की भूमिका में होते है तो कभी करने वालों की भूमिका में। उदाहरणो को देखें तो महिलाओं पर हिंसा किशोरों और पुरूषों की तुलना में अधिक है तथा हिंसा का असर किशोरियों और महिलाओं पर अलग–अलग तरह से पड़ रहा है। किशोरियों और महिलाओं पर हिंसा उनकी भावी संभावनाओं और रास्तों को बंद करती है। दूसरी ओर हिंसा का असर प्रत्येक व्यक्ति पर एक जैसा पड़ता है। माने वह कमजोर, निराश, अकेला, हताश, तनाव में और इसी प्रकार की भावनाओं में जाता है। यह असर औरतों और आदमियों पर एक जैसा पड़ता है।

अब चर्चा को बढ़ाते हुए पूरी बातचीत को स्वयं पर लेकर आए। अपने–अपने अनुभवों पर लेकर आए। उनसे कहे कि वे अपने–अपने जीवन में घटने वाली हिंसा की किन्ही दो घटनाओं को याद करें। एक ऐसी घटना जहां हिंसा सही और दूसरी जहां हिंसा करी हो।

इन घटनाओं को तीन छोटे समूह बनाकर आपस में बांटे।

- सभी सहभागियों को थोड़ा समय देकर आंख बंद करने का कहें।
- उनसे कहे कि वे अपने–अपने जीवन में घरेलू व यौन हिंसा की घटनाओं को याद करने का प्रयास करें।
- अगर किसी को अपने जीवन की ऐसी घटनाएं याद ना आए तो वह किसी

बांटने में हिंसा के असर को उभारें। कैसा लगा, क्या महसूस हुआ, असर क्या हुआ, व्यवहार में काम में क्या फर्क पडा, निर्णय आदि की बात करे।

असर को शब्द (दुख, ग्लानि, हताशा, निराशा,) हुए पक्का करे कि यह हम सब पर पड रहा है।

अन्य के जीवन की घटनाओं को याद कर सकते है किन्तु ऐसा तभी करे जब स्वयं की जीवन में ऐसे कई उदाहरण ना हो।

- सहभागी चाहे तो इन घटनाओं को बांट सकते हैं (यह तभी करें जब समूह इस बात का जिम्मा लेगा कि वह इन घटनाओं को समूह स्थल से बाहर नही ले जाएगा)
- हिंसा का असर महिलाओं और पुरूषों पर किस प्रकार पड़ता है, पर बातचीत करें।
- बांटे या न बांटे, इस पर बातचीत करे कि ये घटनाऐं होते समय या होने के बाद हमारे मन में किस तरह की भावनाऐं आई है जैसे दुख, अकेलापन, ग्लानि, हताशा, निराशा आदि।
- बातचीत के बाद हम सब एक दूसरे के साथ है। एक दूसरे को हिम्मत दे। बातचीत करते हुए 3–4 मिनट के लिए विश्राम की अवस्था में बैठ या लेट जाए।
- थोड़ी देर अपनी श्वास को देखें और कुछ लम्बी और गहरी श्वासें ले।
- 3–4 मिनट बाद सब उठे, एक खुशी का गीत गाते हुए सामूहिक नृत्य से सत्र को समाप्त करें।

संदर्भ सामग्री सत्र 11 – हिंसा की रोकथाम

किसी भी व्यक्ति पर विचार अथवा क्रिया के जरिये अतिक्रमण, नियंत्रण करने के लिए अपनाएं गए तरीके हिंसा है।

हम हिंसा को शारीरिक हिंसा की तरह से अधिक देखते है किन्तु इसके बारीक उदाहरणों के पकड़ने का प्रयास नही करते ।

CEDAW के तहत UN द्वारा स्वीकार्य महिला हिंसा की परिभाषा इस प्रकार है।

'निजी अथवा सार्वजनिक रुप से किया गया ऐसा कोई भी जेण्डर भेदभाव आधारित कृत्य (कार्य) जो शारीरीक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक रुप से महिलाओं को नुकसान पहचाता है या जिससे नुकसान पंहुचने की सम्भावना होती है या जिससे महिलाएं परेशानी महसूस करती है जैसे धमकी, ताना, बलात्कार, मनमाना व्यवहार, आजादी पर चोट आदि।'

हिंसा एक दो तरफा हथियार है। कभी हम हिंसा करते है और कभी हिंसा को सहन करते है। हिंसा हमारे व्यवहार, हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गई है। हिंसा का प्रांरभिक स्वरूप जीवन रक्षा के लिए था जो आज नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिंसा के प्रकार बारीक से बारीक होते जा रहे है। फोन, एसएमएस, बोली, हाव–भाव, अतरंग रिश्तों में नियंत्रण कुछ ऐसे उदाहरण है जहॉ इनकी गहराई में देखा जा सकता है।

हिंसा प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है, किन्तु बहुत जगहों पर यह सता, व्यवस्था और समूह विशेष का अधिकार बन जाती है। कहीं पर हम नियमों की रक्षा के लिए हिंसा करते है तो कहीं पर नए नियम बनाने के लिए, कहीं पर महिलाओं को नियंत्रित करने के लिए तो कहीं पर मर्दानगी दिखाने के लिए। ताकत का इस्तेमाल महिलाए भी करती है और पुरूष भी। मां का अपने बच्चों को पीटना क्या हिंसा उदाहरण नही हैं।

बस फर्क इतना है कि कुछ लोग हिंसा बेबसी में करते है और कुछ सचेतता और समझ के साथ।

हिंसा की रोकथाम की बात करें तो शायद हम सब इसकी पहल इस प्रकार कर सकते है–

1. **खुद को तैयार करना**

   पहली जरूरत है खुद का तैयार करना। खुद के स्तर पर हिंसा को रोकना। समझ के साथ रोकना। यूं कहे कि समझ इतनी पैनी हो कि व्यवहार खुद बदल जाए। खुद को हिंसा न करने और हिंसा न सहने के लिए तैयार करना। खुद का आत्मविश्वास बढ़ाना/खुद की कमजोरियों को पहचान कर

उन्हें दूर करना। खुद को सशक्त करना। इसके लिए हम सब अलग–अलग तरीके अपना सकते है। कोई एक तरीका सबके लिए कारगार भी नही होता।

2. हिंसा पर बातचीत करना

हिंसा की घटनाएं कायम है क्योंकि हिंसा से डराया जा सकता है। हिंसा को छुपाया जा सकता है। हिंसा की घटनाओं पर खुद के साथ–साथ अपने करीबी दोस्तों, परिवारजनों या जिन पर भरोसा है, उनके साथ बांटना बहुत जरूरी है। यह बांटना डर को कम करता है। असुरक्षा को कम करता है। हम एक दुसरे को समझ पाते है, साथ को निर्मित कर पाते है। डर कम होगा तो हिंसा कम होगी।

3. हिंसा की घटनाओं का विरोध

हिंसा की समझ हमे हिंसा की घटनाओं को देखने और विश्लेषित कर पाने में मदद करती है। और यहीं से शुरू होता है, इनका विरोध। हिंसा करने का विरोधण हिंसा हिंसा की घटनाओं का विरोध। यह मुझे नही चाहिए की बात के साथ–साथ समझ निर्माण का कार्य भी जारी रहता है। यह विरोध व्यक्ति के प्रांरम्भ होता है। छोटे–छोटे स्तर पर अहिंसक तरीके से विरोध।

4. हिंसा रोकथाम के लिए मददगार की पहचान

हिंसा की घटना में व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। हिंसा का असर दुख, ग्लानि, पीड़ा, हताशा, निराशा, आत्मविश्वास में कमी, तनाव, बीमारी और चोट के रूप में दिखाई देता है। ऐसे में व्यक्ति को मददगार व्यक्तियों की जरूरत होती है, जो मजबूती दे सके । भावनाओं को समझने में सहयोग कर सके। जीवन की स्थितियों में साथ निभा सके।

ये मददगार हमरे दोस्त, परिवारजन या कोई व्यक्ति हो सकते है।

काउन्सलिग केन्द्र, हेल्पलाइन भी मददगार की भूमिका मे है।

5. हिंसा रोकथाम के लिए सहायक ढ़ाचे की पहचान–

हिंसा रोकथाम के लिए कई तरह की मदद की जरूरत होती है। जो लोगों को मिलकर करनी पड़ती है। इसीलिए हिंसा रोकथाम के लिए सहायक ढ़ांचा होना बहुत जरूरी है। ऐसी व्यवस्था जो गांव–गांव से लेकर शहर–शहर तक फैली हुई हों। फिर चाहे वे महिला संगठनों के नेटवर्क हो, सामाजिक मुददों पर काम करने वाली संस्थाएं हो या छोटे–छोटे महिला व युवा समूह। यह सहायक ढांचा हिंसा की घटनाओं का सार्वजनक स्तर पर विरोध ओर नीति–निर्माण के लिए आवश्यक पैरवी कर सकता है।

6. **हिंसा रोकथाम के लिए कानूनों की समझ–**

हिंसा किसी के भी साथ न हो, इसके लिए संविधान और कानून हमें अधिकार देते है। कानून की पालना का जिम्मा पुलिस का है। जिसके चलते पुलिस हमारी सहयोगी है। हिंसा की रोकथाम के लिए समझ और कानून को हिंसा रोकथाम के लिए उपयोग करना बहुत जरूरी है। महिलाओं से जुड़े कानून और संवैधानिक अधिकारों की सूचनी अलग से है।

7. **हिंसा के असर से बाहर निकालने की तैयारी खुद–**

बहुत बार हिंसा घटने के लम्बे समय बाद भी हम उसके असर के बाहर निकल पाते। हिंसा के निशान शरीर पर मिट जाते है मगर मन पर, हमारे व्यवहार पर असर समाप्त नही होता। इस असर को समाप्त करने के लिए हमें खुद के साथ व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर कार्य करना होगा। स्वयं को स्वस्थ करने पर ध्यान देना होगा। ध्यान, योगा, प्रणायाम व विभिन्न थैरेपी के माध्यम से स्वयं की हीलिंग करनी होगी।

8. **जो समझते है वे माहौल निर्माण/समझ निर्माण/मीडिया/फिल्म/संस्कृति के माध्यम से बात उठाए–**

जो व्यक्ति हिंसा की समझ रखते है, हिंसा की रोकथाम के लिए सक्रिय है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे समूहों मे, समाज में, संस्थाओं में, सरकार में, मीडिया में, फिल्मों में, हिंसा विरोधी माहोल बनाएं। हमारी संस्कृति को बेहतर कर हिंसा मुक्त बनाने की तरफ बढ़ पाए।

सत्र 11 : हिंसा की रोकथाम व सामुदायिक कार्यवाही

उद्देश्य :

- सभी सहभागी हिंसा के फैलाव को समझते हुए हिंसा रोकथाम के लिए आवश्यक उपायों को समझ पायेंगे।

सामग्री : चार्ट, मार्कर

तालिका को चार्ट पर तैयार कर लें।

समयः 150 मिनिट

कार्यविधिः

सहजकर्ता के लिए नोटः :

- ➢ हिंसा सहन करने और हिंसा का विरोध करने के उदाहरण, समझ निर्णय में मदद करेंगे।
- ➢ समझ निर्णय में उद्देशात्मक वाक्यों और बातों का उपयोग कम से कम करना ही बेहतर होगा।

- 7–8 सहभागियों के 4 समूह बनाएं।
- प्रत्येक समूह अपने गांव या आस पास के इलाके में महिलाओं के साथ घटी घटनाओं का ब्यौरा देंगे। सहभागी चाहे तो खुद के साथ बीती हिंसा को भी बांट सकते है।
- सुनकर सभी घटनाओं को इस तालिका की मदद से बांधे

1	2	3	4	5	6
क्र.स.	तारीख / महिना	गांव	घटना क्या थी	हिंसा किस प्रकार की थी	यह हिंसा महिला के साथ क्यों हो पाई? महिला ने इसे सहन क्यों किया?

तलिका के 1 से 5 तक के कॉलम भर लें । कॉलम 6 बड़े समूह के साथ भरा जाना है।

अब सभी सहभागी अपनी अपनी तालिका को एक साथ लगाकर कॉलम 6 भरेंगे। महिलाएं हिंसा को सहन क्यों करती इसकी साझी सूची बनाएंगे। इस सूची पर सामूहिक कार्य करते हुए महिला हिंसा रोकथाम के उपायों को ढूंढेगे। इस तालिका की भी मदद ले सकते है।

क्र. स.	महिलाएं हिंसा क्यों सहन करती है?	रोकथाम के उपाय	हमारी समझ बनी

सभी सुझावों को समेटें, संदर्भ सामग्री का उपयोग करते हुए सत्र को समेकित करें कि

- हिंसा रोकथाम की शुरुआत खुद से करनी होगी।
- हिंसा की रोकथाम अकेले व्यक्ति से शुरु होकर सामूहिक ढांचागत प्रयासों पर जाना जरुरी है।
- माहौल और संवेदनशीलता बदलेगी तो कानून, अधिकार और मार्गदर्शक बिन्दूओं की मदद से हिंसा रुक पायेगी।

सत्र 12 : महिला हिंसा रोकथाम में पंचायती राज सदस्यों की भूमिका

उद्देश्य :

इस सत्र के अन्त तक सहभागी समझ पायेंगे कि–

- हिंसा की रोकथाम में पचांयम की भूमिका है।
- हिंसा की रोकथाम के लिए पंचायते अपनी पहल कर सकती है।
- हिंसा रोकथाम के लिए ग्राम पचांयत के पास अधिकार भी है

सामग्री : तीन केस स्टडी की एक–एक प्रति, पंचायती राज अधिनियम को जरूरत के लिए अपने पास रखें।

समयः1घण्टा 30 मिनिट

सहजकर्ता के लिए नोटः :

यह संवेदनशील मसला है क्योंकि यहां सहभागी सीधे सवाल के घेरे में हो सकते है। धैर्य बनाकर रखें। कोई सहभागी कम जिम्मेदारी अथवा भूमिका लेना चाहे तो उसका भी स्वागत करें। सब बराबरी से जिम्मा नहीं ले पाएंगे। इन बिन्दुओं पर पहले हो चुकी बातों को संदर्भ की तरह से काम में लें।

कार्यविधिः

- सभी सहभागी खेल खलेंगे।
- आधे साथी हाथ से हाथ पकड़ कर एक गोला बनायेंग।
- बाकी आधे गोले के अन्दर खडे होगें। अन्दर खड़े साथियों में से किसी एक को गोले के बाहर जाना होगा।
- गोले बाहर वाला सहभागी गोला तोड़कर अन्दर के सहभागियों को बाहर लाने की कोशिश करेगा। गोले के रूप में खड़े सहभागी उसको रोकेंगे। अगर किसी भी तरह से बाहर वाला व्यक्ति सहभागियों को अन्दर से बाहर ले आता है तो वे भी अन्य साथियों को गोले से बाहर लाने का कार्य करेंगे।
- 10 मिनिट के खेल के बाद सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जायेगे। खेल पर थोड़ी देर बातचीत करेंगे।
    - o खेल कैसा लगा?
    - o बाहर वाली महिला गोला तोड़ने के लिए क्या कर रही थी?
    - o दीवार बनी महिलाएं उसे अन्दर आने से रोकने के लिए क्या कर रही थी?
    - o अन्दर वाली महिला एक गोले में ज्यादा सुरक्षित थी या दो गोले के समय और क्यो?

चर्चा को आगे बढ़ाते हुए समझेंगे कि

हमारे समाज और आस–पास की स्थितियों हिंसा करने वाले भी है और मदद करने वाले भी। मदद का घेरा जितना मजबूत होगाा उतना हिंसा करना मुश्किल होता जाएगा।

इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए 10–10 व्यक्तियों के तीन समूह बनायेंगे।

तीनो समूहों का एक–एक केस स्टडी देंगे–

केस स्टडी 1 : राधा को उसके पति ने पीटा। राधा के घर और आस–पड़ौस में कोई नही था। राधा का पति उसे कई बार पीट चुका था। राधा तंग आ गई। उसे कुछ सूझ नही रहा था। कोई मदद दिखाई नही दे रही थी । तभी उसे लगा कि वह अपनी वार्ड पंच सदस्यों से मिले। वह जैसे तैसे वहां पंहुची। वार्ड पंच सदस्या ने उससे अच्छी तरह बातचीत की मगर जब आपबीती सुनाई तो उन्होने कहा कि यह तुम्हारे घर का मामला है इसमें मै कुछ नही कर सकती।

केस स्टडी 2: राधा को उसके पति ने पीटा। राधा के घर और आस–पड़ौस में कोई नही था। राधा का पति उसे कई बार पीट चुका था। राधा तंग आ गई। उसे कुछ सूझ नही रहा था। कोई मदद दिखाई नही दे रही थी। तभी उसे लगा कि वह अपनी वार्ड पंच सदस्यों से मिले। वह जैसे तैसे वहां पंहुची। वार्ड पंच सदस्या ने उससे अच्छी तरह बातचीत की। जब राधा की आपबीती सुनी तो वे परेशान हो गई। उन्होनें कहा, तुम्हारे पति को ऐसा नही करना चाहिए था। चलो चलकर बात करते हैं।

राधा का पति बात करने को तैयार नहीं हुआ। वार्ड पंच यह कह कर वापिस आ गई कि वह अब मारपीट नहीं करे। लेकिन राधा का पति समझना ही नही चाहता था।

केस स्टडी 3: राधा को उसके पति ने पीटा। राधा के घर और आस–पड़ौस में कोई नही था। राधा का पति उसे कई बार पीट चुका था। राधा तंग आ गई। उसे कुछ सूझ नही रहा था। कोई मदद दिखाई नही दे रही थी। तभी उसे लगा कि वह अपनी वार्ड पंच सदस्यों से मिले। वह जैसे तैसे वहां पंहुची। वार्ड पंच सदस्या ने उससे अच्छी तरह बातचीत की। जब राधा की आपबीती सुनी तो वे परेशान हो गई। उन्होनें कहा, तुम्हारे पति को

ऐसा नही करना चाहिए था। चलो चलकर बात करते हैं।

राधा का पति बात करने को तैयार नहीं हुआ। वार्ड पंच ने पंचायत की मीटिंग बुलाई। सभी पंचो ने कहा कि यह तो घर का मामला है इसमें पंचायत क्या करेगी। महिला वार्ड पंचो ने सबको समझाया कि घर में महिला के साथ हिंसा करना कानूनी अपराध है और इसे रोकना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। सभी पंचो ने एकता बनाकर राधा के पति को बुलाया। उससे बातचीत की, राधा के पति ने राधा से मांफी मागी।

केस स्टडी पर चर्चा करें कि

- वार्ड पंच ने जो भी किया वह सही था या गलत, कारण ढूंढें।
- क्या पंचायत महिला हिंसा रोकने के लिए जबावदेह है, कारण?
- वार्ड पंच और क्या कर सकते है ?

प्रत्येक समूह की चर्चा को बड़े समूह में बतायें। बड़े समूह में बातों को बांधते हुए इस बात पर बातचीत करें कि महिला हिंसा रोकथाम में ग्राम पंचायतों की क्या जिम्मेदारी हो सकती है। चर्चा कर पूरी बातचीत को इस प्रकार समेकित कर सकते है –

विभिन्न आंकड़े बतातें है कि के 10 में से 7 महिलाओं के साथ हिंसा घट रही है। महिलाओं के साथ हिंसा कानूनन अपराध है। ग्राम सभाओं की जिम्मेदारी है कि वे इस प्रकार अपराधों को न घटने दें। इसके लिए ग्राम सभा अपने स्तर पर पहल कर सकती है। यहां तक कि ग्राम सभा चाहे तो गांव में काउन्सलर की नियुक्ति की जा सकती हैं।

सशक्तीकरण 6

बराबरी अथवा गैर बराबरी दोनो ही अवधारणाएं ऐसी ही जो सीधे–सीधे हमारे जीवन पर असर डालती है। हमारे व्यवहार पर असर डाली है। हम किस के साथ खुद को कैसे जोड़ते है, पर असर डालती है।

इन्ही से उपजा है विभेद। भेदभाव में स्थितियां हमे भले ही बहुत मौटे वर्गो में दिखाई देती हो लेकिन जैसे ही गहराई से देखते है, तो पाते है कि यह बहुत बारीक और समाज के हर हिस्से में फैली हुई है। एक स्वर्ण जाति का पढ़ा लिखा बेटा और स्वर्ण जाति का न पढ़ा लिखा बेटा। दोनो में एक विभेद बनता है। एक स्वर्ण जाति का व्यक्ति जो किन्नर है और एक वंचित वर्ग का एक व्यक्ति जो बेरोजगार है, दोनों में एक विभेद है। कई उदाहरणों में हम देख पाते है कि ये विभेद सामाजिक अवधारणाओं, अपेक्षाओं और नियमों के क्रियान्वयन से जुड़े है। नियम भी वह जो सत्ता के पक्ष में है। ताकतवर के पक्ष में है।

हमारे आस–पास ऐसे कई उदाहरण है जहां हम विभेद को देख पाते है। और कई जहां हम उन्हे देख भी नही पाते । जेण्डर आधारित भेद ऐसे ही बारीक भेद है अथवा स्वीकृत भेद है जिनको हम देख नही पाते ।

इन्ही भेदों को, भेदों से पार पाने की कला को समझने का प्रयास किया गया है इस अध्याय में एक बहुत प्रचलित खेल पॉवर वाक के मार्फत हम भेद की स्थितियों को जाति, आर्थिक सम्पन्नता, पहचान और लिंग के आधारों पर देख पायेंगे।

यह कभी दुख पहुचाने वाली यात्रा हो सकती है मगर इसे समझ जाऐंगे व इससे बाहर निकल पायेंगे तो यही यात्रा सशक्तीकरण की यात्रा भी बन सकती है।

सत्र 13 : ताकत और गैर बराबरी

उद्देश्य :

सत्र के अन्त में सभी सहभागी समझ पाएगें कि

- ताकत और उससे जुड़े स्त्रोत क्या है?
- ताकत के स्वरुप और इनका इस्तेमाल हमारी रोज की जिन्दगी में कैसे असर डालता है?
- ताकत और जेण्डर स्थितियों को कैसे देखे?
- गैर बारबरी, समानता व समता को समझना।

सामग्री : तालिका को चार्ट पर बनाकर तैयार रखे।

रस्सा (जिसे समूह रस्साकसी के लिए काम में ले सके)

समयः समयः 1 घंटा 45 मिनट

कार्यविधिः

सभी सहभागी 'रस्सा खींच' खेल खेलेंगे।

- पहले राउन्ड में बराबर की संख्यां के आधार पर दो समूह बनायेंगे।
- दूसरे राउन्ड में ताकतवर और कम ताकतवर को बराबर बांटकर और
- तीसरे राउन्ड में ताकतवर एक तरफ और कम ताकतवर दूसरी तरफ।

तीनो राउन्ड खेल खेलने के बाद बातचीत करेंगे कि तीनो राउन्ड के खेल में में क्या परिणाम आया। और यह परिणाम एक जैसा या फर्क क्यों था ? अपनी तरह से बातचीत को चलाते हुए आगे बढने के लिए दो अभ्यास करेंगे।

सहजकर्ता के लिए नोटः :

- ताकतवर व्यक्ति, अलग–अलग स्थितियों में बदलते रहते हैं, इसे पक्का करें।
- सिर्फ पुरूष ताकतवर की भूमिका में हो ऐसा जरूरी नहीं।
- गैरबराबरी एक ही समूह और एक ही जाति के बीच भी कार्य करती है तो औरत और आदमी के बीच भी।
- पुरूष घर में ताकतवर होकर दण्डता में कमजोर हो सकता है।
- सवाल–जवाबों में विनम्रता बनाए रखें।

पहला– ऐसे उदाहरण बताएं जिसमे आपने अपने जीवन में खुद को ताकतवर या सबसे कमजोर महूसस किया हो। प्राथमिक बातचीत में ऐसा महसूस करके कैसा लगा, पर थोड़ा समय लगायें। भावनाओं को शब्दों में बोर्ड के एक कोने में लिखना बेहतर होगा।

सोचने के लिए
बराबरी और ताकत के बारे में मैं क्या सोचती हूं।

अच्छा, खुश, मस्ती, घमण्ड, The best	निराश, परेशान, अकेला, कुछ न कर सकने, सिमटा हुआ, चुप, रोना, बेचारगी

दूसराः अपने आस– पास ऐसे व्यक्तियों को को ढूंढे जिन्हे हम ताकतवर मानते हैं।

नीचे दी गई तालिका को सबकी मदद से भरा जाये और उस पर बात करें–

क्षेत्र	ताकतवर कौन	क्यों हैं ताकतवर	ताकत का उपयोग कैसे	ताकत कहां से आई
परिवार				
एक ही जाति का समुदाय में				
एक स्वर्ण जाति, दलित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का मिश्रित समुदाय में				
पंचायत, ऑफिस और ग्राम सभा की जगहों पर				
आदमी, औरत, और बच्चों के एक समूह में				

दोनों अभ्यासों को मिलाकर बातचीत करें। क्या ताकत और गैर बराबरी में कोई रिश्ता दिखाई देता है? ताकत कब गैर बराबरी को लेकर आती है? बातचीत को बढाने के लिए हमको ताकत कहां से मिल रही है, को समझे, क्या समाज के नियम– कायदे, क्या कानून, क्या धर्म, क्या पद और पैसे की स्थिति, हमें ताकतवर बना रहें है या ताकत हमारें अन्दर है? अन्दर की ताकत और बाहर की ताकत को हम कैसे समझते है? का उपयोग करें? ताकत और गैर बराबारी को जब हम समझने की कोशिश करतें हैं, तो देख पाते है कि जेण्डर स्थितियों में आदमी और औरत की स्थिति फर्क–फर्क है यह स्थिति हमें ताकत का उपयोग करने और ताकत का विरोध करने, दोनों के लिए तैयार करती है। इस पर थोड़ी और बातचीत करते हुए 'पावर वॉक' का खेल भी खिलाया जा सकता है।

पूरी बातचीत को इस प्रकार समेकित करें–

ताकत का उपयोग और दुरुपयोग हम सब रोज ही करते है। ताकत का स्रोत हमारे और हमारे अन्दर और बाहर दोनों तरफ है। बाहर की ताकत है। बाहर की ताकत पैसा, पद, सम्मान, जातिगत स्थितियों, जेण्डर स्थितियो ंपर निर्भर करती है मगर अन्दर की ताकत हमारी समझ, हमारे आत्म विश्वास

और हमारे हौंसले पर निर्भर करती है। ताकत का इस्तेमाल जब हम दूसरे के उपर करतें हैं तो हम गैर बराबरी को भी बढाते है। ताकत का इस्तेमाल अगर स्वयं को बेहतर बनाने के लिए होगा तो वह गैर बराबरी को नहीं बढ़ायेगा। जैसे जैसे हमारी अवधारणाएं बदलेगी तो ताकत का इस्तेमाल भी बदलेगा। हम सामाजिक नियमों में जब भी औरतों को मजबूत और महत्वपूर्ण देखेंगें तो उनके प्रति ताकत और सशक्ता को भी महसूस कर पायेगें।

इस बातचीत को अपने–अपने अनुभवों के साथ जोंडे कैसे मैं ताकतवर, सामर्थ्यवान, सशक्त बनकर भी दूसरे व्यक्ति को कमजोर, गैर बराबर नहीं बनाता/ती, इस पर बात करें

संदर्भ सामग्री सत्र 14 : सशक्तीकरण और इसकी जरुरत

सशक्तीकरण अर्थात शक्ति के साथ होना। शक्ति माने सामर्थ्य, क्षमता, कर पाने का कौशल, सशक्तीकरण एक प्रक्रिया है जो निरन्तर आगे चलती रहती है। जैसे पहिया चलता है, जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी हम आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं चित्र छोटे मगर सभी तरफ से दिखाई देने लगते हैं। स्थितियों के विभिन्न आयाम, पहलू दिखाई देने लगते हैं।

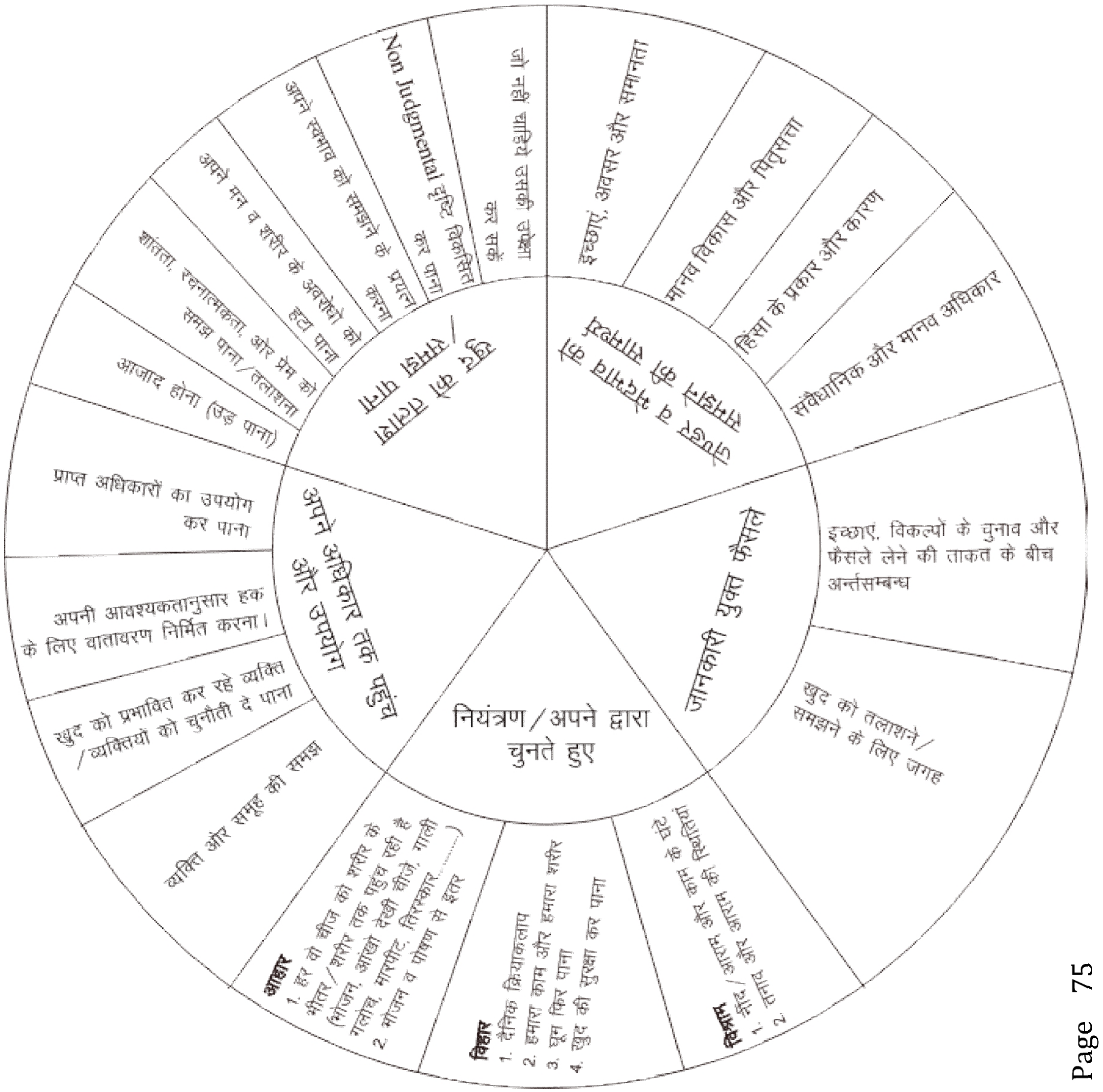

अलग–अलग व्यक्ति सशक्तीकरण को अलग–अलग तरीके से देखते हैं। सशक्तीकरण एक आन्तरिक प्रक्रिया है जो विश्वास, हिम्मत, समझ, पहल, अहिंसा और सम्मान को एक साथ मिलाने से प्रारंभ होती है। विनम्रता से शुरू होती है। समर्पण से शुरू होती है। सशक्ता ऐसी प्रक्रिया है जो दया, करूणा, बराबरी, समता और सजगता को लेकर आती है। सशक्तीकरण ऐसी स्थिति है जो अप्रभाव को लेकर आती है।

सशक्तीकरण की प्रक्रिया को समझने की दृष्टि से कुछ बिन्दुओं में देखा जा सकता है।

जेण्डर व भेदभाव को समझने की सामर्थ्य

व्यक्ति और उसका व्यक्तित्व – समाज में व्यक्ति और उसका व्यक्तित्व कैसे बनता है, समाज की इसमें क्या भूमिका होती है, अनुवांशिक गुण किस प्रकार असर डालते है जैसी बातों की समझ व्यक्तित्व को समझने की क्षमता विकसित करती है।

महिलाओं, पुरूषों में भेदभाव की स्थितियों का विश्लेषण – महिलाओं और

पुरूषों की भूमिकाएं, उनके कार्य व्यहार, उनकी आदतें, भाषा आदि कैसे विकसित होती है। किस प्रकार उनमें भेद की स्थितियां निर्मित होती है। उनके अर्न्तसम्बन्धों को खोज परख ढंग से विश्लेषण कर पाने की क्षमता सशक्तीकरण की ओर लेकर जाती है।

- **इच्छाएं, अवसर और समानताः** हमारी अपनी इच्छाएं, अपेक्षाएं, छवियां ओर व्यवहार को समझने का प्रयास करना। अवसरों को समझना, समानता, समता जैसी अवधारणाओं को समझना। महिला, पुरूषों में अवसर की उपलब्धता और फायदा किस को मिल पाता है जैसी स्थितियों को समझना।
- **मानव विकास और पितृसत्ताः** मानव सामाजिक विकास की यात्रा को समझते हुए सामाजीकरण, पितृसत्ता, ताकत और पितृसत्ता के कारणों को समझने का प्रयास करना।
- **हिंसा के प्रकार और कारण** : जीवन जीने के लिए अहिंसा एक तरीका हो सकता है, कुछ स्थितियां हमें हिंसा से रूबरू कराती है। अपने घरों में, आस–पास की स्थितियों के बारे में हिंसा की जरूरत, हिंसा के अर्थ, हिंसा के प्रकार और हिंसा से अहिंसा की ओर जैसी स्थितियों को समझना।
- **संवैधानिक और मानव अधिकार** : प्रत्येक मानव को जीवन लेने के साथ ही प्रकृति से कुछ अधिकार मिल जाते है। अधिकारों को संविधान के मार्फत एक कानूनी दर्जा भी दिया गया है। बहुत बार संविधान, मानव अधिकारों को निर्मित करने या जरूरत के अनुसार नए नियमों को जोड़ने की आवश्यकता होती है। संविधान, अधिकार, स्वयं और समाज की जरूरतों को समझने के लिए निरन्तर जरूरत रहती है।

जानकारी युक्त फैसले

फैसले लेने की जरूरत – प्रत्येक दिन फैसले लेने की जरूरत पड़ती है। हम लेते भी हैं पर क्या हम फैसले को यह हमारा चुनाव है कि दृष्टि से देख पाते हैं। जरूरत को समझने का प्रयास करना। फैसला कौन ले रहा है, फैसला किसके लिए है, उसका असर

- **इच्छाएं, विकल्पों के चुनाव और फैसले लेने की ताकत के बीच अर्न्तसम्बन्ध** :हमारी इच्छा, हमें चुनाव और विकल्पों की तरफ लेकर जाती है। जरूरतों इच्छाओं के साथ विकल्प का होना और विकल्प का न होना हमारे फैसले लेने की ताकत पर किस प्रकार असर डालता है। विकल्प को कैसे निर्मित किया जा सकता है आदि की समझ बनाना।
- **खुद को तलाशने/समझने के लिए जगहः** इच्छाओं, विकल्पों, अवसरों की स्थितियों में खुद को समझना, खुद के चुनावों को समझना और स्थितियों के प्रति खुद की जिम्मेदारी को समझना।

नियंत्रण/अपने द्वारा चुनते हुए

- **आहार** – प्रत्येक वह वस्तु, बात, व्यवहार, इशारे, संवदनाएं, भाषा, बोली, गाली, आंखों से देखी, कानों से सुनी और शरीर द्वारा महसूस की गई स्थितियां हमारा आहार है। और प्रत्येक व्यक्ति अपना आहार तय कर सकता है। इसी को समझना और इसे निर्मित करना।

- **विहार** – प्रत्येक दिन के काम काज का प्रकार, काम के घण्टे, काम की पुनरावृत्ति सभी कुछ का मकसद और किसके लिए, उस पर खुद का नियंत्रण बिना किसी को चोट पहुंचाए हुए।
- **विश्राम** – जीवन में आराम की काम से भी अधिक महत्वता है। इसी को समझते हुए नींद, आराम, तनाव की स्थितियां में राहत आदि को समझना।

अपने अधिकार तक पहुंच और उपयोग

सम्मान, व्यक्तिगत स्पेस, आजादी और अधिकार के अन्तर और सम्बन्ध को समझना – खुद की छवियों और जकड़नों से बाहर आते हुए खुद के सम्मान, अपनी जगह, स्पेश, आजादी, अधिकार और अपनी गरिमा की समझ को निर्मित करना।

- **प्राप्त अधिकारों का उपयोग कर पाना** .संविधान, कानून द्वारा प्राप्त अधिकारों का उपयोग कर पाना एक महत्वपूर्ण कारक है।
- **अपनी आवश्यकतानुसार हक के लिए वातावरण निर्मित करनाः** बहुत बार संविधान, प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत को शामिल नहीं कर पाता। प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत बहुत महत्वपूर्ण हैं अपनी जरूरतों को बिना किसी को आहत किये वैघानिकता दिलाने की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है।
- **खुद को प्रभावित कर रहे व्यक्ति/व्यक्तियों को चुनौती दे पानाः** आमतौर पर जब भी हम प्रभावित होते हैं, औचित्य को खो देते है और प्रभावित होना सहज स्वभाव है। जिन व्यक्तियों से हम प्रभावित होते हैं हम उनके जैसा होने की कोशिश करते है और अपनी मौलिकता और निजता को खो देते हैं। प्रभावित करने वाले व्यक्तियों को सवाल कर पाना कठिन मगर सशक्तीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है।
- **व्यक्ति और समूह की समझः** खुद की सुरक्षा के लिए खुद को बनाये रखने के लिए रणनीति कर पाना – जीवन जीने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है और इसके तहत अपनी सुरक्षा और अपने को मूल स्वभाव के साथ सुरक्षित रख पाने की रणनीति आवश्यक है।

खुद को तलाशना/समझ पानो

- अपने स्वभाव को समझने के प्रयत्न करना – खुद के स्वभाव को समझना, उसके लिए तहर–तरह से माहौल और स्थितियां निर्मित करना जरूरी है।
- अपने मन व शरीर के अवरोधों को हटा पाना – शरीर व मन को बीमारी और रूकावटों से दूर रखने का प्रयास कर पाना।
- जो नहीं चाहिए उसकी उपेक्षा करते हुए Non Judgmental दृष्टि विकसित कर पाना।
- शांतता, आनंद, प्रेम और करूणा को समझ पाना।
- मुक्त, आजाद, स्वनिर्भर हो कर उड़ पाना।

विशाखा प्रकाशन 'विचार और विमर्श से साभार

सत्र 14 : सशक्तीकरण और इसकी जरुरत

उद्देश्य :

सत्र के अन्त में सभी सहभागी समझ पाएगें कि

- सशक्तीकरण के अर्थ क्या है?
- सशक्तीकरण की अवधारणा, सशक्तीकरण के घटकों पर समझ
- महिला सशक्तीकरण की जरूरत क्यों है?

समयः 1 घंटा 45 मिनट

सामग्री : चार्ट, तालिका चार्ट पर तैयार

सहजकर्ता के लिए नोटः :

सशक्तीकरण एक प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है इसलिए एक अन्तिम सीढ़ी की तरह न देखें।

कार्यविधिः

- सहभागियों से पूछा जाएगा कि सशक्त व्यक्ति होने का क्या मतलब है। आए जवाबों को चार्ट पर लिख जाएगा।
- फिर इसी क्रम में नीचे दी गई सारणी के अनुसार सशक्त महिला एवं पुरुषों के उदाहरण एकत्र किए जाएंगे।

क्र. स.	सशक्त व्यक्ति के नाम	ये व्यक्ति क्यों सशक्त है	इनमें सशक्तता कैसे आई होगी
1.			
2.			
3.			

- एकत्रित उदाहरणों के आधार पर व्यक्ति क्यों सशक्त है, इस पर बातचीत की जाएगी।
- सहभागियों से अनुभव एवं कल्पना के आधार पर उन बिन्दुओं को उभारने की कोशिश की जाएगी जिससे उपरोक्त व्यक्ति सशक्त हुए।
- सशक्तीकरण की अवधारणा को सशक्तीकरण पर दी गई संदर्भ सामग्री के आधार पर समझाया जायेगा।

मुख्य प्रश्न ▪ सामर्थ्यवान होने के लिए क्या आवश्यक है? ▪ सामर्थय के स्त्रोत क्या हैं ? ▪ सशक्तीकरण की प्रक्रिया क्या है ? ▪ सशक्तीकरण निरन्तर चलता रहता है ? ▪ सशक्तीकरण, प्रत्येक व्यक्ति में अलग–अलग प्रकार से होता है ?	• सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक सशक्तीकरण का एक दूसरे से सम्बन्ध किस प्रकार है, पर चर्चा करें। सामार्थ्य एक भीतर से शुरू होने वाली प्रक्रिया है जिसमें बाहरी स्थितियां भी मद्‌दगार होती है। • सामर्थ्य और सशक्तता की बातचीत को समेकित करने के लिए सशक्तीकरण की संदर्भ सामग्री को बड़े अथवा छोटे में मिलकर पढ़े। जरूरत लगे तो आपस में चर्चा भी कर सकते है।

7 नेतृत्व व समूह निर्माण

हम सब बदलते है। बदलाव के साथ वास्तविक, जिज्ञासा, अखण्ड, विनम्र, जनून और जोश के साथ होते है वे बदलाव का नेतृत्व करते है। बदलाव प्रकृति का हिस्सा है और नेतृत्व की क्षमता हम सब में है। बदलाव अपने आप भी होगा। मगर नेतृत्व निर्धारित, सार्थक और चाही गई राह की ओर निरन्तर कदम है। नेतृत्व सब को साथ लेते हुए उन्हे अपनी तरह से विकसित होते देने की कला है।

नेतृत्व के इस कौशल को हम इस अध्याय में समझने का प्रयत्न करेंगे। बहुत बार हम नेतृत्व को बड़े–बड़े उदाहरणों में ढूढ़ने की कोशिश करते है। हमारे रोज के उदाहरणों में हम उसे नहीं ढूंढ़ते। किसी को बीमारी में दिखाना, सड़क पार करवाना, बीमार या दुर्घटनाग्रस्त जानवर को दिखाना, किसी गाली बक रहे आदमी को मना करना, घर के काम में हाथ बंटाना, काम की जिम्मेदारियां लेना, दूसरों के घर के काम करवाकर आना भी नेतृत्व के उदाहरण हो सकते है।

हम नेतृत्व को एक बंधे–बंधाऐं ढांचे में देखते है। नई पहल को हम कभी नेतृत्व तो कभी गलत राह की तरह से भी समझते है। कहने का तात्पर्य यह है कि नेतृत्व एक व्यापक अवधारणा है और उसकी व्यापकता ही हमारे कार्य व्यवहार को प्रभावित करती है।

नेतृत्व से उम्मीद होती है कि वह कई व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ेगा। बहुत व्यक्तियों को ऐसी जगह देगा, जहां उनकी अभिव्यक्ति आसान होगी। अपनी बात कह पाने से लेकर अपनी बातों को करके देखने की हिम्मत मिलेगी। यहीं समूह निर्माण की पहली सीढ़ी होगी। समूह और भीड़ का मूल अन्तर कम होगा। एक सामूहिक समझ और सामूहिक क्रिया का मेल ही समूह निर्माण को निरन्तर करेगा।

समूह एक ताकत, एक भरोसा और एक अन्तर्निर्भरता है जो हमें, हमारी अवधारणाओं को आगे बढ़ने और दूसरों को समझने का मौका देता है।

संदर्भ सामग्री : नेतृत्व (अगुवाई)

हमारे रोज के काम में हम एक मशीन की तरह अपना काम करते हैं। उठना, दैनिक कार्य, खाना, रोजगार, आराम सब एक निश्चित समय और हमारी अपनी ताल (rythem) पर चलता रहता है। इसे हम व्यवस्था का नाम भी देते हैं। जीवन में व्यवस्था के महत्व को हम लगातार महत्वपूर्ण और बहुत आवश्यक मानते रहते हैं। इन्हीं व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए बनाए जाते है नियम, कानून, कायदे, रीति रिवाज और जीवन जीने के तरीके। बड़े समूहों और समाज के सबके साथ रहने के चलते हम इन व्यवस्थाओं को अपने जीवन का अमिट हिस्सा मानने लग जाते हैं। और इन व्यवस्थाओं को न मानने वालों को हम समाज विरोधी, असामाजिक, स्वच्छन्द और न जाने कितने नामों से पुकारते हैं। एक लीक, एक रास्ता और धारा के साथ चलने वालों को अधिक इज्जत की निगाह से देखते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी क्यों इस राह से अलग चलने के बारे में सोचेगा। कोई भी क्यों पूरे समाज, देख और इतिहास को सामने रख कर सोचेगा। आसान रास्ता है देखा देखी करना। बिना सवाल नियमों का पालन करना। अधिक कठोरता से कहें तो बिना समझे नियमों को सर्वोपरि मानने से अधिक मुश्किल स्थितियां कुछ और नहीं हो सकती।

ऐसी स्थितियों में जो नियमों को समझे, सवाल करेगा वह अकेला होगा। सबका साथ कुछ समय के लिए उसके पास नहीं होगा। तो कोई भी अकेलापन क्यों चुने ? चुनना और अपने चुनाव को आदर के साथ देखना एक कठिन अभ्यास है। इस कठिन अभ्यास को कोई कर सकता है तो वह समाज से अलग होगा/होगी।

सवाल करने के लिए कुछ क्षण के लिए सवाल करने वाले को निष्पक्ष होना पड़ता है। विषय से दूर होना पड़ता है। स्थितियों से ऊपर उठकर समग्र तरीके से बात को देखना होता है।

यह दृष्टि, आवश्यक दूरी, निष्पक्षता, सवाल करने की क्षमता और अपनी समझ को सबके बीच रखने का साहस प्रत्येक व्यक्ति के भीतर होता है। कुछ लोग इसे अपने अन्दर ढूंढ पाते हैं और कुछ नहीं। जो ढूंढ़ लेते हैं वे समूह, समाज और स्थितियों के अलग दिखाई देते हैं। इन्हीं व्यक्तियों को हम अगुवाई करने वाले व्यक्ति कह सकते हैं।

अगुवाई को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं। मैं जिस नजरिए की बात कर रहा हूं वहां एक अगुवा और बाकी उसके पीछे चलने वाले नहीं हैं क्यों कि हम नेता और उसके अनुयायी की बात नहीं कर रहे हैं। मैं जिस नजरिए की बात कर रहा हूं यहां हर व्यक्ति अगुवा हो सकता है। वह अपनी दृष्टि से स्थितियों पर सवाल उठा सकता है। अपनी अर्जित समझ को सबके बीच बांटने के लिए तैयार हो सकता है। जब हमारे में से एक नेता बन जाता है तो हम सोचना, समझना अपेक्षाकृत कम कर देते हैं। नेता का काम होता है सोचना, समझना और राह दिखाना। बाकी सबका काम होता है उसके पीछे या उसकी राह पर चलना। लेकिन जीवन प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग तरह से घटता है। उसके अपने अनुभव, दूसरों से फर्क होते हैं।

सामाजीकरण की प्रक्रियाओं के चलते हम पृथक लगने वाले अनुभवों को किसी से भी नहीं बांटते। और एक जैसे अनुभवों को हिम्मत के साथ रख पाते है। सही मायने में अगुवा वहीं है जो अपने अनुभवों, अपनी समझ को सबके बीच रखे किन्तु उसे अटल सत्य या न बदले जा सकने वाले नियम की तरह नहीं रखे। इस तरह से रखे कि दूसरा व्यक्ति उसे हमने जीवन की घटनाओं से जोड़ पाएं, उन पर अपना, निजी विचार बना पाए और इस निज विचार को सबके साथ बांटने की गुजांइश निर्मित करता रहे।

यह विचार बांटना खुद के और दूसरों के संदर्भ में बराबर हो। वह ऐसे बढ़े जैसे पेड़, ऐसे उड़े जैसे पक्षी जहां किसी की जगह पर किसी का अतिक्रमण न हो। जहां पर किसी की प्रतिस्पर्धा दूसरे के साथ नहीं है। जहां दूसरे पर कितनी भी ऊंचाई तक जाने पर पाबन्दी नहीं है। अगुवा वही है जो दूसरे को विचार को पूरा सम्मान देता हो। जो दूसरे से प्रभावित हुए बिना अपनी स्थितियों को खुद के, गांव के और देश के स्तर तक देख पाता हो।

कई किताबों में अगुवा, लीडर और नेतृत्व के बारे में हमने पढ़ा या सुना होगा, मगर जरूरी है इसे अपने जीवन में घटित होते देख पाता।

एक और दृष्टि से देखे तो अगुवा वह है जो पहल ले। पहल समाज को सुधारने की या खुद के साथ काम करने की। पहल दूसरों की गलतियां बताने की या अपने आपको पूर्ण करने की यह प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर कर सकता है। पहल कई बार अपने को अलग प्रदर्शित करने के लिए भी ली जा सकती है और कई बार अपने आपको समूह का हिस्सा दिखने के लिए भी पहल होती है।

पहल के साथ जरूरी है पहल लेने की मंशा। मंशा जो व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित दोनों प्रकार के हितों से फर्क स्थितियों को निष्पक्षता से देखने को प्रेरित कर पाए। कई बार हिंसा के लिए भी पहले होती है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए भी पहले होती है और अपने को श्रेष्ठ स्थापित करने के लिए भी पहल होती है। मेरी समझ में अगुवाई करने वाले व्यक्ति को प्रसिद्धि और नियंत्रण के चक्रव्यूह को बारीकी से समझना आवश्यक है वरना समाज में चल रही नेतागिरी और अगुवाई में कोई फर्क नहीं रह जाएगा।

अगुवाई सबको अपने पीछे लेकर चलने की तकनीक नहीं है। अगुवाई खुद की तरह सबको आगे आ सकने में मदद करने की कला है। अगुवाई ऐसी स्थिति है जहां आप विरोध या सहमति की बजाय प्रत्येक व्यक्ति की समझ को विकसित करने में अधिक निवेश करते हों।

मेरी बातचीत के प्रारंभ को पुनः समझे तो अगुवाई व्यवस्थाओं पर, नियमों पर, ऐसा ही होना चाहिए तभी समाज चल सकता है जैसी अवधारणाओं पर, गैर बराबरी पर विमर्श प्रारंभ करने की स्थिति है। ऐसी स्थिति जो प्रत्येक व्यक्ति की निजता को खत्म किये बिना विश्लेषण की सामर्थ्य को बढ़ाती है। मूलतौर या मानव नई दिशाएं, नए रास्ते, नई मंजिले खोजने के लिए स्वतः प्रेरित होता है। उसके आस पास की व्यवस्थाएं उस की इस स्वप्रेरणा को ढंक देते हैं और उखाड़ देते हैं। पीछे चलने की आरामदायक प्रवृत्ति को। धीरे–धीरे हम मानने लग जाते है कि हम पीछे चलने वाले व्यक्ति है। हमें नेता की आवश्यकता है। और हमारे अन्दर जो नेतृत्व का गुण छुपा हुआ है उसे बन्द ही रहने देते हैं।कई बार लोग सवाल करते है कि सब नेता बन जाएगे तो हंगामा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है अगर नेता का अर्थ पीछे लेकर चलने वाले हजारों लोगों की भीड़ है तो निश्चित तौर पर हंगामा होगा किन्तु नेता का अर्थ, व्यक्तियों में स्वःविवेक को जगाना है, अपने ज्ञान को उकेरना है, व्यक्तिगत समझ को सम्मान देना है तो हंगामे की बजाय साझी समझ विकसित होगी। यह साझी समझ ही बदलाव की गति और दिशा को हमारे अनुकूल कर सकती है।

जरूरत है मेरे अपने भीतर छिपे उस आत्मविश्वास को खोजने की, जिससे मैं दूसरों से प्रतिस्पर्धा न महसूस करूं। दूसरे के जैसा होने की कोशिश न करूं। दूसरे के जैसा होने की कोशिश करना प्रतिस्पर्धा का ही एक पहलू है। जरूरत है खुद के ज्ञान को इतना बढ़ाने की कि वह विनम्रता से लबालब हो जाए। सरस हो जाए। घुलनशील हो जाए। तो ढूंढ़े अपने भीतर अगुवा बनने की क्षमता को और खोजें अपनी सामर्थ्य को जो समझने, सवाल करने और खुद को बदलने की संभावना को निर्मित कर पाए।

विशाखा प्रकाशन 'विचार और विमर्श से साभार

सत्र 15 : हम सब लीडर है।

उद्देश्य :

- हमारे भीतर छिपी नेतृत्व शक्ति को पहचानना
- लीडरशिप (नेतृत्व की क्षमता) पर बातचीत करने के लिए खुद को तैयार करना।

सामग्री : प्रत्येक सहभागी के लिए 4x 4 इंच के खली सफेद कागज, चार्ट पेपर पर चौखाने वाला चार्ट।

समयः समयः 90 मिनट

कार्यविधिः

- ❖ सभी सहभागियों को गोले में बैठाएं।
- ❖ सहभागियों के साथ थोड़ी देर खुद के बारे में बात करते हुए सबके सामने अपनी बात कह पाने और अवसर का उपयोग कर पाने की बातचीत की जाए।
- ❖ 3–4 मिनट की बातचीत के बाद सहभागियों के खुद के जीवन में नेतृत्व के उदाहरणों को याद करने के लिए कहा जाए। छोटे–छोटे उदाहरण भी महत्वपूर्ण है। जैसे जानवर को चोट लगने पर देखभाल, परिवार में आपात स्थिति में पहल लेकर काम करना आदि।
- ❖ प्रत्येक सहभागी याद आई घटना को चित्र या शब्दों के माध्यम से छोटे कागज पर बनाएं। इस कार्य के लिए 10 से 15 मिनट का समय पर्याप्त होगा।
- ❖ चित्र या घटना विवरण लिख लेने पर प्रत्येक सहभागी गलूस्टिक (गोंद/लेही) की मदद से चौखाने वाले चार्ट के एक खाने में तय जगह पर अपना नाम लिख कर चित्र या विवरण को चिपका देगें।

चार्ट का नमूना इस प्रकार है।

सहजकर्ता के लिए नोटः

- ➢ लीडरशिप को रोज की घटनाओं में देखने में मदद करें।
- ➢ सोचने के तरीके और जीने के तरीके में नयापन लाना लीडरशिप की निशानी है। अतः प्रत्येक नई बात पर पूरा समय दें।
- ➢ तैयार चार्ट को पूरे प्रशिक्षण समय तक प्रशिक्षण स्थल पर लगा रहनें दें।
- ➢ लीडरशिप के उदाहरणों पर सबको वाहवाही और सम्मान दें।
- ➢ हो सकता है कि किशोर और किशारों के नेतृत्व वाले उदाहरणों में कोई अन्तर अथवा पैटर्न उभर रहा हो, ऐसे में इसे जेण्डर की दृष्टि से देखने का प्रयास करें।

घटना अथवा चित्र	1	2	3	4	5	6
नाम						
घटना अथवा चित्र						
नाम						
घटना अथवा चित्र						
नाम						
घटना अथवा चित्र						
नाम						
घटना अथवा चित्र						
नाम						

सबका विवरण आ जाने के बाद हम देखते है कि सभी ने अपना कार्य किया है। सभी खाने भरे हुये है, सब के पास अनुभव है। यह अनुभव ही उनमें लीडर होने की संभावना को दर्शाता है।

इस संभावना पर थोड़ी देर बाचीत करते हुए पक्का करे कि :–

- ❖ हमारे भीतर लीडर बनने की संभावनाएं है।
- ❖ हमने कभी ना कभी लीडर जैसे कार्य किये है।
- ❖ लीडर सब के अन्दर होता है। बार–बार का अभ्यास उसे निखारता है।

बातचीत के अन्त में सहभागी में से किन्ही दो को आग्रह करे कि वे इस चार्ट को प्रशिक्षण कक्ष में दो तरफा टेप या सूतली की मदद से टांग दे।

सत्र 16 : निर्णय लेने का कौशल

उद्देश्य :

- इस सत्र के अन्त तक सहभागी निर्णय लेने की प्रक्रिया को कौशल की तरह देख पाएंगे।
- निर्णय लेने के कौशल को कैसे बढा सकते है, को समझ पाएंगे।
- महिलाओं और पुरूषों के निर्णय लेने की क्षमता पर सामाजिक स्थितियों के असर को विश्लेषित कर पाएगे।

सामग्रीः 30 पोस्टकार्ड साइज के फोटोकापी वाले कागज, सीता वाली केस स्टडी की 30 प्रतियां, तीन नाटकों की स्थितियों की एक–एक प्रति, निर्णय प्रक्रिया का चार्ट।

समयः 1 घंटा 45 मिनट

कार्यविधिः

- सभी सहभागियों के साथ एक खेल खेलें।
- सबको एक पोस्टकार्ड साइज का टुकड़ा दे।
- निर्देश दे कि इसके तीन बराबर के टुकड़े करे। इसके लिए 30 सैकण्ड का समय रखे। शर्त यही है कि एक ही कट लगाया जा सकता है।
- जिन्होने सही टुकड़े किये है वे दूसरों को करके बताएं।

बात करें कि

हम क्यों इसे कर पायें और क्यों नहीं कर पाए। कई बार साधारण सी बात को हम बहुत जटिल तरीके से सोचने लग जाते है। कभी उसका फायदा होता है कभी नहीं।

- सभी सहभागियों को एक केस स्टेडी दे

सहजकर्ता के लिए नोटः

- ➢ सत्र के दौरान लिये जा रहे निर्णयों को निर्णय प्रक्रिया के चरणों के साथ जोड़ना बेहतर होगा।
- ➢ नाटक बनाते समय सहभागियों को अपना ध्यान निर्णय के चरणों पर रखने की मदद याद दिलाते रहें।
- ➢ सहभागी अपने निर्णय के तरीको में क्या बदलाव लाना चाहतें हैं, थोड़ा समय इस पर जरुर लगायें।

> सीमा एक वार्ड पंच है। उसकी शादी हुए तीन साल हो गए। वह अपने घर में बहुत खुश है। सुबह उसे पता लगा कि आज ग्राम सभा होने वाली है। उसने कभी ग्राम सभा नहीं देखी। उसने मन में सोचा कि वह अपने पति से कहे कि उसे ग्राम सभा में ले जाए। मगर कहे कैसे ? सबके सामने कैसे बात करें ? और फिर उसके पति ने मना कर दिया तो....वैसे भी औरतो को ग्राम सभा में जाने की क्या जरुरत है? सीमा नहीं चाहती थी कि उसके पति से बात करना या पति का उसे मना करना सबको पता लगे। निर्णय नहीं ले पा रही थी। आपकी मदद की जरुरत है इस पर आप क्या निर्णय लेंगे।

- सभी सहभागी अपना अपना निर्णय लिख ले। निर्णय को इस तालिका में एकत्र करें

निर्णय	सहभागी संख्यां
	~~||||~~ ~~||||~~ |||
निर्णय–	
निर्णय–	
निर्णय–	
निर्णय–	

इस तालिका को भरने का आसान तरीका यह है कि प्रत्येक सहभागी निर्णय बताता जाय, नया निर्णय है तो उसक निर्णय वाले कॉलम में जोड़ ले और पहले आ चुका है तो सहभागी संख्यां में एक संख्यां जोड़ दे।

अलग – अलग निर्णय क्यों लिए पर चर्चा करें। कभी कभी बातचीत निर्णय के साथ साथ मान्यताओं (पति से सबके सामने बात न करना) पर भी की जा सकती है, जरुरत लगे तो उस पर भी बात कर लें।

निर्णय पर बातचीत के बाद, निर्णय की प्रक्रिया पर बात करें।

निर्णय लेने की प्रक्रिया के चरण क्या थे?

निर्णय को छोटे–छोटे हिस्सों में बांटेगे तो क्या कदम उभरेंगे?

बातचीत करते हुए अलग–अलग सहभागियों द्वारा बताए जाने वाले चरणों को लिखते चलें।

सबकी बातों को जोडते हुए निर्णय की प्रक्रिया को इस प्रकार बतायें

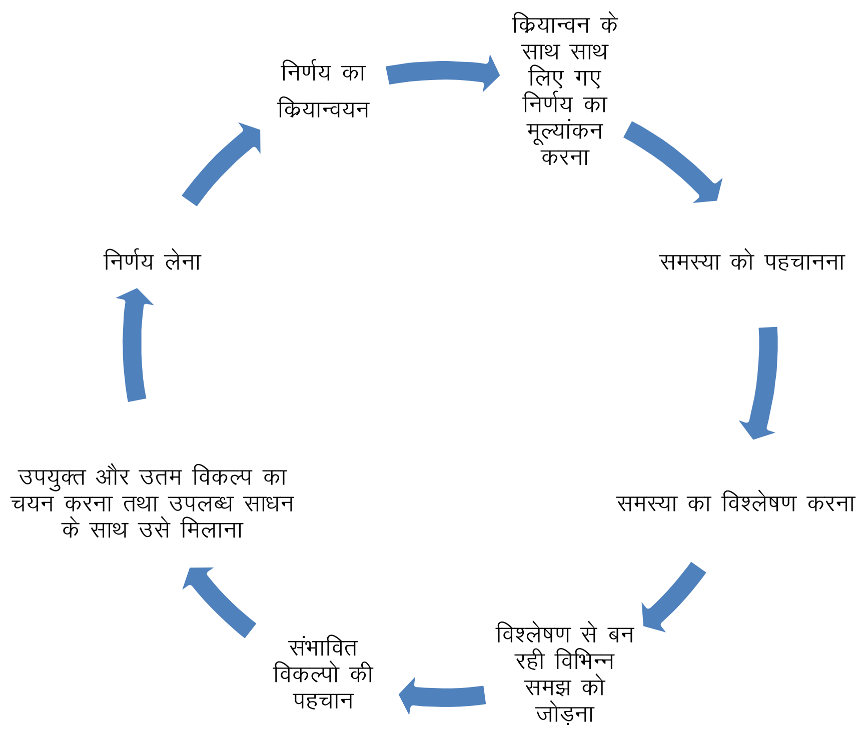

- समझ निर्णय के लिए निम्न स्थितियों के पर तीन समूह नाटक के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया को दिखायेंगे।

इस नाटक को करने और निर्णय लेने में, पहले से तय निर्णय प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना है। 10 मिनिट तैयारी कर सभी नाटक दिखाए। नाटको की प्रस्तुति पर थोड़ी चर्चा करें।

नाटक की स्थिति–1	**नाटक की स्थिति–2**	**नाटक की स्थिति–3**
जमुना काम से शहर गई थी। रात को शहर के ट्रेफिक में फंस गई। गांव आने वाली बस छूट गई। वह अब से पहले कभी भी रात घर के बाहर नही रुकी थी फिर शहर तो उसके लिए बिल्कुल नया था। जमुना क्या करे उसे नाटक में बताए।	ग्राम सभा की मीटिंग चल रही थी। राखी यहां की सरपंच है बात आई कि पंचायत बच्चों के लिए खास तौर पर लडकियों के लिए खेलने की जगह बनाए, मगर अधिकतर गांव वाले खेल के मैदान की जगह स्कूल में कक्षा कक्ष बनाने की बात करने लगे। राखी निर्णय नहीं ले पा रही थी । आप नाटक से बताईये कि क्या चुने और कैसे?	मीरा और राधेश्याम दोनों बचपन के दौस्त थे। दोनों की जातियां अलग है। बड़े हो गए और आपस में एक दूसरे को पसन्द करने लगे। लेकिन उनकी जाति बिरादरी जातियां अलग होने के कारण शादी नही कर पा रहे थे। शादी करे या नही समझ नही आ रहा था। राधेश्याम कमाता है मगर हिम्मत नही जुटा पा रहा था आप मीरा को निर्णय लेने मे मदद करें।

चर्चा को समेकित करे कि–

खुद के लिए– अपने निर्णय लेने के तरीकों में कोई एक बदलाव जो मैं लेना चाहती हूँ/को पक्का करे उस पर काम कर सकते है।

निर्णय लेना एक कौशल है। एक प्रक्रिया है, जिसे बार–बार अभ्यास करके और बेहतर किया जा सकता है। निर्णय लेने के कई पड़ाव होते है। प्रत्येक पड़ाव या क्षमता को कोशिश और अभ्यास से बढाया जा सकता है। इसके लिए अलग–अलग स्थितियों का विश्लेषण करना और बहुत तरीके के अवसर और उपायों की जानकारी रखना, बेहतर विकल्प चुनने में मदद करता है। सिर्फ चुनाव कर लेना काफी नही है। जिसमें अनुभव, जानकारियां, जोखिम उठाने की क्षमता, श्रम और साधनों का बेहतर उपयोग शामिल है।

उस निर्णय की जिम्मेदारी लेना और उसका क्रियान्वयन कैसे होगा यह भी आवश्यक है निर्णय हमारे जीवन को बेहतर बनाने और उनको गति देने के मदद करते है।निर्णय लेने में अन्य व्यक्तियों की मदद भी ली जा सकती है।

निर्णय लेने की स्थितियों से गुजरने के मौके किस को मिलते है? जानकारी और ससांधनो तक किसकी पहुंच ज्यादा होती है? इसे भी देखने का प्रयास करें।

- निर्णय लेने के लिए खुलापन, जानकारी, विश्लेषण, विकल्प अवसर, संभावना और साधन के साथ–साथ अनुभव और जोखिम लेने की जरूरत होती है।
- कोई भी निर्णय छोटा या बड़ा नही होता।
- हम जो कार्य बार–बार करते हैं, उनके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती जाती है। इसी कारण महिलाएं और पुरूष अलग–अलग प्रकार के निर्णय लेने में दक्ष हो जाते हैं।
- दोनों को समान अवसर, जानकारी, उपलब्धता और संसाधन मिले तो दोनों सभी प्रकार के निर्णय ले सकते है।

सत्र 17 : असहमति जताने का कौशल

उद्देश्य :
सत्र के अन्त तक सहभागी इस बात को पहचान पाएगे कि

- जीवन में बहुत बार असहमति जताना बहुत जरूरी है।
- असहमति जताने के लिए संवाद को माध्यम बनाया जा सकता है।
- असहमत होना गलत नही है।

सामग्री : केस स्टडी की प्रतिलिपि

समयः 90 मिनिट

कार्यविधिः

- बातचीत की शुरुआत एक खेल के साथ करेगें।
- गोले के बीच एक व्यक्ति मिटटी की तरह बैठ जाएगा।
- सहजकर्ता पहले खिलाड़ी को बतायेगे की मिट्टी से एक मूर्ति बनानी है जैसे नाविक, बांसुरीवादक, किन्तु बाकी सहभागी को इसका पता नही होगा।
- एक बार में एक व्यक्ति आएगा और एक हिस्सा पूरा करके जाएगा।
- 5–7 बार में बनी मूर्ति को पहचानना है और देखना है कि क्या वह मूर्ति जिसे पहले खिलाड़ी ने सोचा था, वही है या दूसरी

सहजकर्ता के लिए नोटः

- ➢ चाहे तो नाटक को दो–तीन अलग–अलग सहभागियों से करवा सकते है।
- ➢ समय हो तो नाटक के पात्रों पर सहभागियों की राय लें, चर्चा करें।
- ➢ असहमति जताने के उदाहरणों को एकत्र कर उन पर बात करना भी बेहतर होगा।

गतिविधि सहभागियों को निम्न केस स्टडी दे और उस पर नाटक दिखाने को कहे।

कल गावं में महिला पंचायत की मीटिंग थी। बड़ी मुश्किल से 30 महिलाएं इकठठी हुई। आपस में बातचीतें की। गांव की समस्याएं बताई। औरतों के लिए सुरक्षा की बात भी आई। पहले तो किसी ने भी अपनी बात नहीं बताई। मगर धीरे–धीरे सब खुलने लगी। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं बताने लगी जो साथ की महिलाओं को भी मालूम न थी। गांव में होने वाली छेड़छाड़ से लेकर घर में होने वाली छेड़छाड़ और कभी कभी तो जबरदस्ती की घटनाऐ भी महिलाओं ने बताई सभी महिलाओं ने आपस में एकट (एकता) बनाया। औरतो की सुरक्षा के लिए दो प्रस्ताव लिये। अगले दिन इन प्रस्तावों को लेकर महिलाओं का एक छोटा समूह ग्राम सभा में गया। ग्राम सभा में सभी लोंगों ने महिलाओं के बारे में बातचीत की और कहा कि सब ठीक है महिलाओं के कोई मुद्दे नहीं है। महिलाओं की बात विकास के मुद्दों में आ ही गई है। औरतों का समूह भी यह बात सुन रहा था मगर वह आदमियों की बात पर असहमति जताकर अपने प्रस्ताव को नहीं रख पा रहा था महिलाएं मन ही मन बेचैन हो रही थी, कहने का मन बना रही थी मगर वे इस बात से सहमत नही है, कह नही पा रही थी, सोच में पड़ी हैं क्या करें?

मुख्य प्रश्न • क्या महिलाओं को अपनी अहसमति जतानी चाहिए क्यों? • असहमति जताने के लिए कौन–कौन से तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। • महिलाओं को असहमति जताने को कोई हक नही और उनकी असहमति का कोई अर्थ नही है।	**चर्चा करें कि** • हम सब अपनी –अपनी समझ से असहमति जताते है। • हम अपनी बात स्पष्ट करने के लिए तर्क, आधार और भावनाओं की मदद लेते है। • असहमति करने पर किशोरियों की स्थिति और किशोरों की स्थिति में फर्क रहता है। • पुरूष व किशोर, महिलाओं व किशोरियों की असहमति और 'ना' को पूरी तरह से स्वीकार नही कर पाते । • महिलाएं जब असहमति का दवाब नही ले पाती तो वे चुप हो जाती है क्योकि उनके पास सहायक ढांचा नही होता। <u>सार</u> असहमति जताने को हम अच्छी आदत की तरह से नही देखते। विशेषकर महिलाओं असहमति जताए, यह हमें ठीक नही लगता। हमारी परवरिश जिस प्रकार से होती है, उसके अनुसार हम किसी भी बात पर मना करने या असहमति जताने में हिचकते है। धीरे–धीरे यह छवि बन जाती है कि औरतों की ना में भी हां है। जो असहमति के जताने, अभिव्यक्ति करने के अधिकार का हनन है। जीवन में सहमति–अहसमति दोनों साथ–साथ चलती है। असहमति को अभिव्यक्त करने के लिए संवाद एक बेहतर माध्यम है। संवाद के जरिये हम असहमति के कारणों को बता सकते है। असहमत होने का अर्थ आदर नही करना, रिश्ता समाप्त करना या बड़ों की बात न मानना नही है। असहमति खुद को सुरक्षित रखने, खराब स्थितियों से बचने का एक औजार है। अहसमति का आदर करना, स्वस्थ रिश्तों के लिए आपसी संवाद और समता के लिए आवश्यक है।

सत्र 18 : जेण्डर वास्तविकताओं के साथ समूह निर्माण की प्रक्रियाएं

उद्देश्य :

सत्र के अन्त तक सहभागी समझ पायेंगे कि–

- समूह निर्माण के लिए किस प्रकार की स्थितियां आवश्यक है।
- जेण्डर वास्तविकताओं के कारण समूह निर्माण एवं समूह प्रक्रियाएं कैसे प्रभावित होती है?

सामग्री : भीड़–समूह आदि

UNDP किताब से

समयः 1घण्टा 30 मिनिट

कार्यविधिः

सभी सहभागियों को 5 मिनट के लिए प्रशिक्षण कक्ष से बाहर जाना है। 5 मिनट बाद जब वापस आयेंगें तो अपने साथ किसी भी एक साथी या दो–तीन को चुनकर उनके साथ जोड़ें अथवा समूह बनाकर आएंगे। समूह में आकर सबको अपने समूह का नाम बताना है। अपने अपने समूह में बैठना है।

जब सभी सहभागी अपने अपने जोडे में या समूह का परिचय दे दे तो सबसे जानने की कोशिश करें कि उन्होने यह समूह कैसे बनाया। किसी साथी को चुना तो क्यों चुना, पहले से जान पहचान कारण थी अथवा दूसरी बातें।

सभी सहभागी बता रहें हो तो चर्चा को एक दिशा देने का प्रयास करें। मूल रुप से निम्न सवालों को चर्चा में लेकर आए।

- हम किन व्यक्तियों के साथ अपने आप को जोड़तें हैं?
- किसी के भी साथ मिलने पर हमारी रुचियां, रुझान या इच्छाओं की क्या भूमिका होती है?
- क्या इकठ्ठे होने को समूह कहा जा सकता है?
- समूह, सांझे मंच में कैसे विकसित हो सकता है।

सहजकर्ता के लिए नोटः :

- ➢ समूह निर्माण की प्रक्रियाओं को समझे और उसके साथ जेण्डर दृष्टि को जोड़े।
- ➢ समूह निर्माण कार्य में एक जैसी रचना (__________), एक जैसी जरूरत का महसूस होना बहुत आवश्यक है। बातचीत में गति का ध्यान रखें हो सकता है सहभागी धीरे–धीरे जवाब दें।

इसी चर्चा में महिलाओं और पुरुषों की अलग–अलग स्थिति के चलते समूह की जरुरतें कैसे बदलती है, पर बात करें। इन अन्तरों के कारण समूह का ढांचा बदल जाता है। संवाद और समझ के स्तर बदल जाते है।। समर्थन समूह की जरुरत बढ जाती है।

पूरी बातचीत को समेकित करें कि व्यक्ति से समूह में बदलना और समूह को सांझे ढाचों में बदलना एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में, साथ विश्वास पारदर्शिता और खुलापन जरुरी है। समूह के शुरुआती दौर में बहुत अलग अलग तरह की (आमदनी, शिक्षा सम्प्रदाय, महिला पुरुष, जरुरतें, समझ का स्तर, समय की उपलब्धता) महिलाऐं एक समूह में होगी तो समूह के लिए, इन सबको एक साथ लेकर चलना कठिन होगा। एक जैसे व्यक्तियों का समूह अधिक देर तक, अपनी गति और समझ बढ़ाने के लिए एक जैसे उपायों को प्राप्त करते हैं।

सवालों पर बातचीत को बढाने के लिए SHG समूह, डेयरी समूह, महिला समूह और ग्राम सभा, पंचायत बैठक , संगठन आदि की चर्चा कर सकते है

सत्र 19 : औपचारिक जानकारियों तक पंहुच और उनका इस्तेमाल

उद्देश्य :

- हमारे भीतर छिपी नेतृत्व शक्ति को पहचानना
- लीडरशिप(नेतृत्व की क्षमता) का उपयोग जानकारी तक पंहुच बढाने के लिए कर पाना

समयः डेढ घंटा

सामग्रीः सभी सहभागियों के पास लिखने के लिए कागज व पैन की उपलब्धता को पक्का करना ।

कार्यविधिः

चर्चा का माहौल बनाते हुए एक छोटी से कहानी से शुरू करें।

एक बार बारिश के दिनों में दो मेढक घर के आंगन में पहुचें, वे सीढियों से उपर जाना चाह रहे थे अचानक से वे छाछ ही बड़ी हांडी में जा गिरे।

दोनों काफी घबरा गये, क्योंकि छाछ भी बहुत थी और पर हांडी बहुत ऊँची थी। जिसके चलते वो बाहर छलांग नही लगा सकते थे। दोनों छाछ में तैरने लगे। एक मेंढक को लगा कि तैरने से कोई फायदा नही। उसने जीने की आस छोड़ दी और वह बैठ कर डूब गया। दूसरे मेंढक को दुख हुआ। पर उसने हिम्मत नही हारी। इस उम्मीद से कि कोई रास्ता निकलेगा वो हांडी में तैरता रहा। वह गोल–गोल, धीरे–धीरे तैरने लगा। उसके गोल गोल तैरने से छाछ बिलौने लगी और उसमें मक्खन बन गया। मेंढक को यह देख आश्चर्य हुआ। वो तैरता रहा और फिर धीरे से मक्खन की डली के उपर आ गया । अब वह हांडी के पास था और यहां से छलांग लगा सकता था। उसने पूरी ताकत के साथ छलांग लगाई और बाहर आ गया।

कहानी खत्म करके बताए कि कई बार जीवन में अनजान स्थितियों में भरोसा और कोशिश ही सही जानकारी तक पहुंचाती है। और नए रास्ते निकलते है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे।

सहजकर्ता के लिए नोटः

- इस सत्र की व्यवस्था और संदर्भ व्यक्तियों से बातचीत कर लेना जरुरी होगा।
- बैंक, कैरियर काउन्सलर, कानून के जानकार , इन्टरनेट सुविधा आदि को पक्का कर लें।
- अगर फील्ड विजिट संभव न हो तो सम्बन्धित विभाग अथवा अपनी संस्था के विशेषज्ञों को बुला लेवे।
- प्राप्त जानकारियों को प्रशिक्षण स्थल पर प्रदर्शित करें।

गतिविधिः

अब सभी सहभागियों को तीन समूह में बांटे।

- उन्हे कहें कि आज हम औपचारिक जानकारियों को जुटाने के कुछ प्रयोग करेंगे।
- तीनों समूह अलग–अलग तरह के तरीके को उपयोग करेगे और अपने अनुभव वापस लौटकर समूह में बतायेंगे।

- **समूह 1:** आप पास में स्थित बैक तक जायेगें। बैंक खाता कैसे खोलते है और चक्की लगाने के लिए किसी महिला को लोन लेना है तो उसे क्या प्रक्रिया अपनाने होगी। इस पूरी जानकारी को ववस्थित रूप से लिखें और लौट कर समूह में बांटे।
- **समूह 2:** आप संस्था में आये हुए एक विशेषज्ञ से मिलेगे और महिलाओं ंके लिए कानून की जानकारी के बारे में जानकारी जुटायेंगे।
- **समूह 3:** पंचायत समिति / पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में जाकर वार्ड सभा / महिला सभा की जानकारी लायेंगे।

सभी जानकारियों को समेकित करते हुए समूह को बताएं की जीवन में अनेक जगहों पर औपचारिक जानकारियों की जरूरत पडती है। जिसका सटीक व सही होना बहुत जरूरी हैं। इसलिए औपचारिक जानकारियां ढुढ़ने का तरीका हमे मदद करता है। ये औपचारिक जानकारियां जुटाने के कुछ तरीके है। अन्य तरीकों में अर्जी देकर जानकारी लेना, अखबार या पुस्तक में छपी जानकारी लेना या फिर पूरे अनुभवी व्यक्ति से मिलना भी शामिल है। औपचारिक जानकारियां जुटाने के लिए आत्मविश्वास, सही प्रश्न और जानकारी मिलने के जरिये की पहचान जरूरी है। महिला समूह, वार्ड पंच महिलाओं का समूह अपने– अपने क्षेत्र की जानकारियों को जुटाकर उन से जुडी योजनाओं, दिक्कतों, उपायों को खोजने का प्रयास कर सकती है। कौनसी महिलाएं असुरक्षित है, कहां पर लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती, छेडखनी कौन लोग करते है, गांव के स्कूल में यौन उत्पीड़न रोकथाम कमेटी है या नहीं यह सब भी जानकारियां है। इनको जानकार महिला सुरक्षा के मुद्दो पर कार्य कर पाना और अपनी सहायता के लिए महिलाओं को जोड़ पाना आसान हो जाएगा।

8 जेण्डर, विकास एवं बदलाव

बदलाव, विकास और जेण्डर स्थितियों को हम अलग–अलग करके कई बार देखते समझते हैं पर क्या कभी हमने इनको एक साथ करके समझने की कोशिश की है ? क्या बदलाव और विकास के बीच का रिश्ता जेण्डर स्थितियों पर कैसे फर्क डालता है इस पर बातचीतें की है ? हम विकास के मुद्दों में जेण्डर हकीकतों को जोड़ना अक्सर भूल जाते है। हम गांव के विकास की बात करते है। भवन, सड़क और बड़े निर्माणों की बात करते है किन्तु ये निर्माण औरतों और आदमियों की जिन्दगी पर अलग–अलग किस तरह के प्रभाव डालेगें को पक्का नहीं करते। क्यों औरतों के लिए प्राथमिकता रखने वाली सुविधाएं गांव में देर से पहुंचती है ? मनोरंजन के साधन गांव तक आते है लेकिन नियंत्रण किस वर्ग विशेष का है यह हम नहीं देखते।

निर्णय लेने वाले कौन व्यक्ति है, पालना करने वाले कौन ? जिनको फायदा मिलेगा उनकी संख्या कितनी है और जिनको नहीं या कम फायदा मिलेगा उनकी संख्या कितनी ?

उदाहरण के लिए एक परिवार में मोटर साईकिल आए या फ्रिज, पानी की बोरिंग लगे या ट्रेक्टर, गांव में अस्पताल बने या पटवार घर, जच्चा बच्चा केन्द्र बने या दुकानें ? क्या इन पर चर्चाएं हो पाती है ? क्या हम इन छोटे बदलावों और निर्णयों के साथ ग्राम सभा में बराबर की भागीदारी और विकास में महिलाओं के स्थान की बातचीत कर सकते है।

कैसे पंचायते अपनी कार्य योजनाओं में जेण्डर आधारित विकास, योजनाओं और मॉनीटरिंग को ला पाएं।

इन सब बिन्दुओं को अलग–अलग आयामों से इस अध्याय में देखने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रयास में महिला पंच, सरपंचों की भूमिका हम सब मिलकर विकसित कर पाएंगे। ऐसी भूमिकाएं जो गांव में बदलाव लाएगी और विकास को जेण्डर आधारित स्थितियों के साथ जोड़ेगी।

संदर्भ सामग्री सत्र 20 : बदलाव

अक्सर आपने सुना होगा 'हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं था' पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हर बुजुर्ग व्यक्ति पिछले जमाने और अभी के जमाने में अन्तर को देखता है और हम सबको सुनाता है।

क्या अपने कभी सोचा है कि यह अन्तर क्या है ? कहां से आया ? किसके करने से यह अन्तर आया।

पहले आदमी कपड़े नहीं पहनते थे, अब पहनते हैं। पहले बैलगाड़ी से चलते थे अब बस और रेल में। पहले जंगल में रहते थे अब घर में। पहले पर्दा नहीं करते थे अब करते है। पहले महिला और पुरुष सभी तरह का काम करते थे अब काम में बंटवारा है। पहले मनोरंजन के लिए नाचना, ढोल बजाना और गाना गाना था अब सिनेमा और रेडियो।

क्या हुआ कि यह बदलाव आया ? क्या अपने आप ? या यह बदलाव हमारे और आपके करने से आया ? हम न चाहे तो बदलाव नहीं आएगा।

समझने की बात है कि हर पल कुछ न कुछ बदल रहा है। बदलाव तो होना ही है। हम कुछ करेंगे तो भी और हम चुपचाप रहेगे तो भी। मौसम बदलेगें, वनों की स्थिति बदलेगी, हमारे आपसी रिश्ते बदलेंगे, समाज बदलेगा। बदलाव तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे दिन–रात, हर पल कुछ न कुछ बदल रहा है। बदलाव के बारे में दो बाते हमारे हाथ में है एक है बदलाव की दिशा और दूसरी है बदलाव की गति।

हम सोचते है कि हमारे घर पर बहु–बेटियां पर्दा करेगी तो पर्दा प्रथा चलती रहेगी मगर किसी दूर इलाके की बहु–बेटियों ने इसका विरोध किया। और असर हमारे ऊपर भी पड़ा। हमारे यहां भी पर्दा कम हुआ।

पहले अन्धेरा होते ही सो जाते थे, मगर बिजली ने दिन और रात के फर्क को कम कर दिया। दिन बड़े होने लगे। मुम्बई, दिल्ली जैसे शहरों के बारे में कहते है कि ये 24 घण्टे जगते है। अर्थात 24 घण्टे चहल–पहल बनी रहती है।

बदलाव तो होना ही है मगर महत्वपूर्ण है उसकी दिशा। बदलाव की दिशा हमारे हाथ में है। हम उसे तय करते हैं। पढ़ाई जरूरी लगी तो हमने तय किया सब को स्कूल जाना चाहिए।

एक समय की व्यवस्था रही होगी कि मैला ढ़ोने का कार्य आदमी करें लेकिन आज ऐसी व्यवस्थाएं है कि उनके द्वारा मैला ढ़ोने की जरूरत नहीं है तो फिर क्यों वे ढ़ोए ?

स्थिति / समस्या

↓

देखना

↓

महसूस करना

↓

स्थिति का विश्लेषण

↓

कारणों की तलाश

↓ प्रयास

खुद में बदलाव

↓ समूह

समान विचार बनाना

↓

सामूहिक चिन्तन

↓ क्रिया

स्थिति पर चोट

एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक जंगल में एक साधु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके पास एक बिल्ली थी। वे जब भी साधना करते थे बिल्ली को अपने पास बैठा लिया करते। एक दिन साधु मर गए। उनकी याद में बिल्ली भी मर गई मगर उनके शिष्य आज भी साधना करते है तो किसी न किसी बिल्ली को वहां बांध कर रखते हैं।

बिल्ली को पकड़े रहने से शिष्य ज्यादा सीख पाएगें ऐसा तो नहीं है मगर स्थितियों को बनाएं रखने के लिए हम कोशिश करते हैं। शिष्य बदल गए। सीखने का तरीका बदल गया। मगर हमने अपने आप को जकड़ रखा है।

यही बात है जो बदलाव के लिए सहायक या बाधा की तरह से काम करती है। बदलाव की दिशा तय करने में बहुत व्यक्तियों का योगदान रहता है। बदलाव की दिशा तय कर उसे गति देने वाले व्यक्तियों को हम अगुवा की तरह देखते हैं। लड़कियां पढ़ जाए, कि बात होगी तो हम सावित्री बाई फुले जैसी महिलाओं को नहीं भूल सकते। अगर किसी को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी बात कहने के तरीकों की बात होगी तो गांधी जी को हम नहीं भूल पाएंगे।

बदलाव की दिशा में हमारा योगदान क्या हो यह हमारे हाथ है। हमारे द्वारा किये गए कार्य, हमारी समझ बदलाव में सहायक होती है। हर एक व्यक्ति बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जब कई लोग मिलकर एक साथ कोशिश करते हैं तो बदलाव की गति बढ़ जाती है। जो बदलाव अपने आप 10 साल में आता वह हम हमारी कोशिशों से 3 या 5 साल में ले आते हैं। व्यवस्था, सरकार या जो लोग नियंत्रण की भूमिका में होते हैं वे भी बदलाव में बहुमूल्य योगदान देते हैं। हमारा संविधान, सरकारी योजनाएं बदलाव की दिशा को स्पष्ट करता है।

बदलाव एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। टी. वी., रेड़ियों, समाचार पत्र, अगुवा, सरकार, समूह, संगठन सब बदलाव को गति देते है। जैसे–जैसे तकनीकी अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रही है, बदलाव में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता जा रहा है। सम्प्रेषण की गति और साधनों (मोबाइल, इन्टरनेट आदि) ने दूरियां कम कर दी है। बातचीत, विमर्श, सहमति, असहमति के मंचों को बढ़ा दिया है। इससे सामूहिक action's को बल मिल पाया है। देख–रेख की प्रक्रियाओं में जन सामान्य की सहभागिता बढ़ पाई है। इस उपलब्धता ने बदलाव को सहभागिता और सामाजिक न्याय की ओर बढ़ाया है।

स्थिति में परिवर्तन होना ही है तो बेहतर होगा कि हम इस परिवर्तन को अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर पाए। बेहतरी वह जो जीवन स्तर में सुधार ला सके। बदलाव की प्रक्रिया को समझ कर ही उसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है।

बदलाव की प्रक्रिया में अपनी स्थिति को देखना, समझना, अपनी जरूरत की पहचान करना, जरूरत की पूर्ति के लिए विकल्पों/तरीकों की खोज करना, अपने लिए उपयुक्त तरीके का इस्तेमाल कर जीवन स्तर को सुधारना शामिल है।

आप अपने जीवन और आस–पास में गौर करके देखेगे तो आप को समझ आयेगा कि बहुत सी स्थितियों में हम बदलाव को तय करते हैं और उसे पाने का प्रयास करते हैं। बहुत से लोग जिनको हम जानते हैं उनकी तारीफ इसलिए करते हैं कि उन्होने अपने लिए कुछ सोचा है, उसके लिए प्रयास किये और पाया। ये वो लोग हैं जो बदलाव को अपने अनुसार बदल पाते हैं। हम सब में यह ताकत है। हम सब बदलाव का रूख बदलने में सक्षम हैं। बस तैयारी इस बात की करनी होगी कि हम

विशाखा प्रकाशन 'विचार और विमर्श से साभार

सत्र 20 : बदलाव के अर्थ व आवश्यकताएं

उद्देश्य :

सत्र के अन्त तक सहभागी समझ पायेंगे कि–

- बदलाव एक स्वभाविक प्रक्रिया है।
- बदलाव का रुख हम तय कर सकते है।
- बदलाव से हमारे जीवन पर पड़ने वाले असर किस प्रकार के है?

सामग्री : चित्रों का एक सेट

समयः 1घण्टा 30 मिनिट

कार्यविधि:

- सभी सहभागी एक खेल खेलेंगे
- इस खेल में सब मिलकर, कोई आकृति का पिरामिड बनाने की कोशिश करेंगे।
- आकृति में घर, गाड़ी , हेण्डपम्प, कुर्सी आदि को बना सकते है। एक ही शर्त है कि कोई भी आकृति अकेले नही बनानी है। दो या दो से अधिक लोग मिलकर बनायेगे।

सहजकर्ता के लिए नोटः :

- ➢ बदलाव को स्थानीय उदाहरणों से जोड़ने का प्रयत्न करें।
- ➢ ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, योजनाओं के क्रियान्वयन में बदलाव के उदाहरणों को पहले से एकत्र कर लें।
- ➢ महिलाओं की जीवनशैली और पुरूषों की जीवनशैली में आए बदलावों को निर्णय के साथ जोड़कर भी देखे।

खेल के बाद एक अभ्यास करेंगे।

सभी सहभागी प्रशिक्षण स्थल में घूमकर कोई एक सामान, स्थिति या उदाहरण ढूंढ कर लायेंगे जिनमें पिछले 20 साल में बड़ा बदलाव दिखाई देता हो। उदाहरण के लिए पहले के कपड़े, पहले के फोटो और अब के फोटो, पहले के वाहन और अब के वाहन, पहले की सोच और अब की सोच। सहभागी अपने अपने उदाहरणों को अपने पास रख ले। सबके सामने 20 चित्रों का एक सेट प्रदर्शित किया जायेगा। एक एक करके सहभागी आए और उन्हे पहले, अब के पहले भी और अब भी गोले में डाल दें।

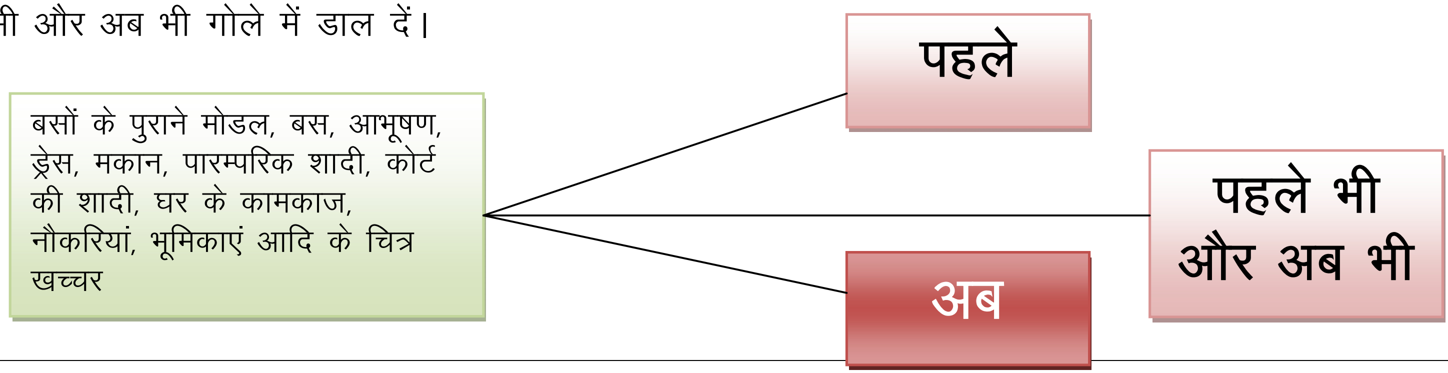

<table>
<tr>
<td>

मुख्य प्रश्न

- बदलाव माने क्या ?
- क्या हम कुछ ना करें तो बदलाव नहीं आएगा ?
- बदलाव की दिशा और गति को कम ज्यादा करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है ?
- गांव स्तर पर बदलाव की प्रक्रिया के शामिल व्यक्तियों की भूमिकाओं का विश्लेषण कैसे कर सकते हैं ?
- बदलाव और विकास में क्या सम्बन्ध है।

</td>
<td>

सभी सहभागी अपने–अपने उदाहरणों को भी पहले और अब के गोले में डाल सकते है।

इन चित्रों पर बात करें। चित्रों में बदलाव को देखने व उभारने की कोशिश करें।

इस पर बात करें :–

- चित्रों में क्या बदलाव आ रहा है?
- बदलाव अपने आप होता है या लाया जाता है?
- क्या हम कुछ न करें तो बदलाव नहीं आएगा?
- बदलाव अच्छा है या खराब कैसे तक करते है?
- गांव स्तर पर बदलाव की प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति कौन है और उनकी क्या भूमिका है ?

बातचीत को बढ़ाने के लिए अपने जीवन के अनुभवों को जोड़ सकते है। बदलाव में व्यक्तियों की, संभव हो तो औरतों और आदमियों की भूमिकाओं पर बात करें। इसे समझे कि कई लोग बदलाव नहीं लाना चाहते और वे बदलाव ना आए इसकी कोशिश करते है, कई बदलाव को लाने की कोशिश करते है। मानें बदलाव तो आ ही रहा है मगर हमारी कोशिश उसकी गति को कम या ज्यादा कर रही है और अनुभवों में हम देखते है कि बदलाव कैसा हो यह भी हम तय कर पाते है। माने बदलाव की दिशा हमारे हाथ में हैं

पूरी बात को समेकित करे कि बदलाव एक महज प्रक्रिया है। यह निरन्तर चलता रहता है। इस बदलाव में हमारी क्या भूमिका होगी। यह हमें तय करना होगा।

</td>
</tr>
</table>

सत्र 21 : बदलाव का आधार, दिशा और गति

उद्देश्य :

सत्र के अन्त में सभी सहभागी समझ पाएगें कि

- बदलाव एक निरन्तर होने वाली प्रक्रिया है।
- बदलाव की दिशा और गति को हम नियन्त्रित कर सकते है।
- बदलाव का आधार किसे बनाया जाना चाहिए और
- बदलाव में व्यक्ति एवं समूह आधारित प्रक्रियाओं को कैसे देखे।

सामग्री : भारतीय संविधान की प्रतिलिपि

समयः 1घण्टा 30 मिनिट

कार्यविधिः

सहभागी से बात करके तय करेगें कि कौन सबकों खेल खिलाया सकता है। पूरे समय में से दो सहभागियों को चुनकर 5–5 मिनट का समय दिया जाएगा। वे सब को एक–एक खेल खिलवायेगें। खेल के बाद सभी सहभागियों को पूर्व सत्र की बात का दोहरान किया जाए।

सभी सहभागियों को दो समूह में बांटकर वाद–विवाद करवाया जाए। वाद–विवाद में दो सवालों पर बात करें–

- बदलाव लाने में हमारी भूमिका क्या हो सकती है ?
- बदलाव का आधार क्या हो ?

सहजकर्ता के लिए नोटः :

- समता, न्याय, निष्पक्षता जैसे मूल्य संविधान से ही आ सकते हैं।
- इसीलिए संविधान पढ़ लेना बेहत्तर होगा।
- संविधान पर छोटी हस्त पुस्तिकाएं भी उपलब्ध होती है।

बदलाव के आधार
शिक्षा– ?धर्म– ? परिवार– ?
जाति– ? सविधान–?

सहभागियों की मदद के लिये बदलाव के उदाहरणों को बीच–बीच में चर्चा में लाते रहे। बदलाव की गति को हम कैसे कम करते या बढ़ाते है कि बातचीत करें। जैसे– बाल–विवाह, पुर्नविवाह, दहेज, दिन की शादियां, महिलाओं को नौकरी मे लाना, आरक्षण, विशेष छुट, कानूनी संशोधन या नये कानून आदि से, बदलाव में क्या फर्क आया है?

पंचायती राज अधिनियम और कोर्ट के नए फैसलों/कानूनों जैसे विशाखा गाईडलाईन, PWDVAct का जिक्र करते हुए, बात बढाए कि कैसे इन कानूनों/फैसलों ने बदलाव की प्रक्रिया को तेज किया है।

	बातचीत को समेकित करते हुए कहे कि– बदलाव मे हमारी सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है। बदलाव कैसा चाहते है यह हम खुद तय करते है। उसे लाने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ते है। बड़े स्तर पर बदलाव के तरीके अलग होगे तो व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव लाने के तरीके अलग–अलग होगें। दोनो ही प्रकार के बदलाव जरूरी और एक–दूसरे पूरक है। बदलाव का आधार संविधान ही हो सकता है क्यों कि वही हमें समता आधारित अधिकार देता है। स्वंय को समझने की कोशिश करते हुए पिछले समय में मैने मेरे अन्दर क्या बदलाव महसूस किये है को सोचे। बेहतर लगे तो सबके साथ बाटें। सत्र के आखिर में या सत्र के समय 'सविधान क्या है' की छोटी किताब को सबको पढ कर सुनाएं।

सत्र 22 : विकास का अर्थ व स्वरुप

उद्देश्य :	कार्यविधिः
सत्र के अन्त में सभी सहभागी समझ पाएगें कि • विकास अर्थ क्या है। • सही मायने में विकास किसे कहते है।	सभी सहभागियों से बात करते हुये बताएं कि इस सत्र में हम विकास के स्वरूप पर बातचीत करेगें। बातचीत की शुरूआत दो छोटी–छोटी फिल्मों से करेगें। पहली 'विकास और विनाश' दूसरी 'इमेजज ऑफ डवलपमेन्ट' फिल्म दिखाकर बातचीत चलाएं। • फिल्म में क्या–क्या देखा? • विकास के मायने क्या है, किसको विकास कहेगें? • बातचीत में स्पष्टता लाने के लिए विकास के उदाहरणों को लेकर आएं। विकास का मतलब और विकास कार्यो में हम किन को देखते है, पर बातचीत करें। सड़क, पानी, बिजली, भवन के अतिरिक्त विकास में हम क्या देखते है, की बात करें। पंचायत की मिटिंग में विकास के कौनसे मुददे आते है। विकास के नाम पर बजट में क्या आता है। बातचीत के बाद सभी सहभागियों को तीन समूह में बांटे और उन्हें नाटक के माध्यम से बताने को कहे कि
सामग्री : विकास और विनाश तथा इमेजन ऑफ डवलपमेन्ट फिल्म और फिल्म दिखाने की व्यवस्था।	
समयः 1घण्टा 30 मिनिट	

सहजकर्ता के लिए नोटः :

- प्रत्येक व्यक्ति को बोलने और खुलने का मौका दे।
- विकास के बारे में उनकी सोच और उनके अनुभवों को धीरे–धीरे चुनौती दे और जेण्डर दृष्टि को लेकर आए।

विकास में हम देखते है।

सम्पनता, भौतिक ढाचा, जीवन आयु,

सुविधाए, स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी विकास में देख सकते है। खुशहाली , रचनात्मक समता

मूल प्रश्न	
मूल प्रश्न ▪ विकास के अर्थ क्या है ? ▪ विकास किसके लिए ? विकास का फायदा किसको मिलता है। ▪ विकास में औरतों और आदमियों की दृष्टि को कैसे नियोजित किया जाता है। ▪ विकास के मानक क्या हो सकते हैं ? ▪	**अगर विकास लाने की जिम्मेदारी इस समूह की होगी तो वह क्या विकास लायेगा।** तीनों समूह 10–15 मिनट तैयारी करके 5–5 मिनट के नाटक दिखाएं। प्रस्तुतियों पर चर्चा करें। विकास के स्वरूप और हम क्या करेंगे को उभारें। एक–दूसरे के नाटकों पर सवाल जवाब करें। बातचीत को तार्किक आधार पर लाये। उदाहरणों से बातों को स्पष्ट करें। फैसिलिटेटर भी समूह का हिस्सा बने ताकि अलग–अलग View आ पाए। **इन नाटकों पर चर्चा करते हुए बातचीत को समेकित करे कि** विकास का अर्थ है आगे बढाना। खुद के स्तर पर और सामूहिक व्यवस्थाओं के स्तर पर। सुरक्षा, सम्पन्नता, खुशहाली, जीवन आयु, सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक ढांचा और जीवन स्तर बेहतर करने की तमाम कोशिशे विकास में आती है। विकास हम सब की जिम्मेदारी है किन्तु इसकी गति बनाए रखने के लिए छोटे–से बडे सभी स्तरों पर कुछ विशेष व्यक्तियों और पंचों को यह जिम्मेदारी, संविधान और प्रजातन्त्र द्वारा की गई है। इस जिम्मेदारी में वार्ड पंच, सरपंच, गावाई समितियां, महिला बैठके और ग्राम सभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन सब व्यक्तियों के पास विकास का जिम्मा है। और विकास कैसा होगा, वह विनाश लायेगा अथवा सभी समूहों में सम्पन्नता लाएगा, यह हमारे हाथ में है।

सत्र 23 : जेण्डर की दृष्टि में विकास

<table>
<tr>
<td>

उद्देश्य :

सत्र के अन्त में सभी सहभागी समझ पाएगें कि

- जेण्डर वास्तविकताए विकास की स्थितियों को प्रभावित करती है।
- विकास को जेण्डर दृष्टि से देखने पर किस प्रकार के भेद दिखाई देगे।

</td>
<td rowspan="3">

कार्यविधिः

सभी सहभागी मिलकर खट्टा, मीठा, चटपटा खेले खेलेगें।

खट्टा, मीठा, चटपटा

कमरे के तीन कोनो को खटटा, मीठा और चटपटा के नाम से चिन्हित करें। खिलाने वाला किसी भी खाने की वस्तु का नाम लेगा । सहभागी भाग कर उस ओर जाएगा जिसमें वह वस्तु आती है। जैसे बर्फी कहने पर मीठे में और नीबू कहने पर खट्टे में जाएगां जो नही जा पाएगा, आउट हो जाएगा।

5–7 मिनट खेल खिलाने के बाद सहभागियों को तीन समूह में बांटे। थोडे समय के लिये तीनो समूहों को बैठाए और कार्य का विवरण इस प्रकार बताएं

'प्रत्येक समूह के पास 25 बीघा जमीन है। इस जमीन पर एक समूह औरतों के लिए, दूसरा समूह आदमियों के लिए और तीसरा बच्चों के लिये गांव बसायेगे। इस गांव में क्या होगा इसकी योजना बनानी है।'

प्रत्येक समूह के पास 30 मिनट का समय है। पैसे की कोई कमी नही है, खर्चा प्राथमिकाताओं के आधार पर किया जाना है। प्रत्येक समूह गांव बसाने से पहले 10 पुरूष 10 महिलाओं व 10 बच्चों का सर्वे कर यह जानेगा कि कौन क्या चाहता है? उनकी जरूरते क्या है? प्रत्येक समूह सम्बन्धित 5 व्यक्तियों (महिला/बच्चे/पुरूष) का सर्वे करेगा।

प्रत्येक समूह अपना–अपना प्रस्तुतीकरण करेगे।

प्रस्तुतीकरण पर सवाल जवाब को आमंत्रित करें।

</td>
</tr>
<tr>
<td>

सामग्री : कार्य विषय की तीन प्रतिलिपि

</td>
</tr>
<tr>
<td>

समयः 1घण्टा 30 मिनिट

</td>
</tr>
</table>

आपने गांव बसाने में क्या रखा और क्या छोडा ? जो छोडा उसका आधार क्या था, क्या महिलाओं, आदमियों और बच्चों के गांव में कोई फर्क है?

बातचीत को बढाते हुए बात करे की अक्सर हम घरों में, दफ्तरों में, ग्राम सभाओं में योजनाएं बनाते है तो सबके लिए एक जैसा सोचते है। जबकि जरूरतें अलग–अलग होती है।

अगर हम तीन गांव न बनाकर एक ही गांव बनाना हो तो किस सुविधा को प्राथमिकता देगे पर बातचीत करें।

किस समूह की सुविधाए अधिक महत्वपूर्ण लगी, क्यों ?

क्या हमने पुरूषों और महिलाओं में भेद किया, क्यों ?

इन बिन्दुओं को आगे बढाते हुए बात करें कि जिनकों हम महत्वपूर्ण मानते है उनके लिए हम सुविधाए प्राथमिकता पर जुटाते है। पुरूषों और महिलाओं में हम किसे प्राथमिकता में मानते है। जिसे भी प्राथमिक मानेगें दूसरे वर्ग की प्राथमिकताओं को कम कर देगें। इसलिये विकास के मुददों को बजट व जेण्डर की दृष्टि से देखना आवश्यक है। समूह में बातचीत करे कि अगर विकास के मुददों पर जेण्डर दृष्टि से कार्य करेगें तो क्या फर्क देगा

बातचीत को इस प्रकार समेटे–

- प्राथमिकताओं में
- व्यवस्थाओं में
- गतिविधियों में
- बजट में

1 किसको फायदा मिल रहा है और किसको नुकसान?

2 किस पर कितना खर्च हो रहा है ?

3 फायदा तात्कालिक है या लम्बे समय का?

दोनों वर्गों की जरूरत और स्थितियों के अनुसार नियोजन किया है तो वह जेण्डर जरूरतों पर आधारित नियोजन होगा

निम्न खेल खिलाकर सत्र समाप्त करें

औरते, आदमी, और दोनो, यह है खेल का नाम, इसे उपर वाले खेल खटटा, मीठा चटपटे की तरह ही खेलना है। जो सवाल जिस समूह को फायदा पहुचाता होगा, सबकों उसकी तरफ जाना है। और हर बार बातचीत करनी है।

सवाल
सडका का ज्यादा फायदा
हेडपंप का ज्यादा फायदा
दवाखाने
कच्चा घर का फायदा
महिला ग्राम सभा का फायदा
डाकघर का फायदा
AW का फायदा
रोजगार का फायदा
पढाई का ज्यादा फायदा
सिलाई का फायदा
मोटर साईकिल से फायदा
सिनेमाघर से फायदा
दारू से फायदा

सत्र 24 : महिला सशक्तीकरण में पंचायतीराज प्रतिनिधियों की भूमिका

उद्देश्य :	कार्यविधि :
• महिलाएं सशक्त हो पाए इसमें पंचायती राज सदस्यों की भूमिका को समझना। • ग्राम पंचायत की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायती राज सदस्य क्या करें को समझना।	• सभी सहभागियों को एक खेल खिलायेंगे। • इस खेल में तीन महिलाओं को अलग–अलग पर्ची दी जाएगी। • पर्ची में लिखे कार्य को उसे पूरा करना है। पूरा करने के लिए वह कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकती है। **सहजकर्ता के लिए नोट :** • सहजकर्ता खेल की तैयारी में पहले से पर्ची 1 की प्रतिलिपि करवाकर प्रशिक्षण कक्ष में किसी ऐसी जगह पर छुपाए जहां कई महिलाओं की मदद से ही पहुंचा जा सकता है। **पर्ची – 1** प्रशिक्षण स्थल पर ऐसी ही एक पर्ची कहीं छिपी है, उसे ढूढ़े और अपने पास रख लें। इसमें आप 5 ऐसी महिलाओं की मदद ले सकती है जिनके पास खुद के नाम से बैंक खाता है। और वे पास बुक देखना जानती है।
सामग्री : पर्ची 1, 2 व 3 की एक–एक प्रति, प्रश्न 1 व 2 की 3–3 प्रतियां	**पर्ची – 2** व्हाइट बोर्ड के डस्टर को उतनी ऊंचाई पर छुपाएं जितनी ऊंचाई से आप खुद उसे वापस ला सकते हो। इस कार्य में आप सबसे कम उम्र की तीन महिलाओं और सबसे अधिक पढ़ी तीन महिलाओं की मदद लें। **पर्ची – 3** आप ग्राम सभा में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव की सूची बनाकर देवें। इस कार्य में आप समूह में कोई भी महिला जो सरपंच अथवा वार्ड पंच है की मदद ले सकते है। शर्त एक ही है कि मदद देने वाली महिला सबके सामने यह कहने को तैयार हो कि वे मदद कर रही है।
समय – 90 मिनट	

खेल पूरा होने पर बातचीत करें।

- ❖ प्रत्येक महिला को अपना कार्य पूरा करने के लिए क्या–क्या करना पड़ा।
- ❖ ढूढ़ना, सहयोग करना, हिम्मत, जोखिम, पहल और जानकारी की इसमें क्या भूमिका देखी।

गतिविधि – 2

सभी साथियों को 6 समूह में बांटे 3 समूह एक प्रश्न 1 पर तथा शेष 3 समूह प्रश्न 2 पर चर्चा करेंगे।

प्रश्न 1 – ग्राम सभा की मीटिंग में महिलाओं की सहभागिता नहीं होने के क्या कारण है ? और इसे कैसे बढ़ाए ?

प्रश्न 2 – वार्डपंच और सरपंच महिलाओं को बराबरी की दृष्टि से देखते हुए पंचायतों को महिला मुद्‌दों को विकास के मुद्‌दों में जोड़ने के लिए कैसे तैयार करें ?

6 समूहों को चर्चा के लिए 20 मिनट का समय दें।

सभी समूह अपनी चर्चा को बड़े समूह में प्रस्तुत करें।

3–3 समूह के बाद चर्चा केन्द्रित करें (प्रश्न 1 व 2 के अनुसार)

क्या कारण है जिससे महिलाओं की सहभागिता नहीं बढ़ रही और पंचायत सदस्य की भूमिका क्या हों ?

महिलाओं की पहुंच, जानकारी का स्तर, भागीदारी, निर्णय लेने की भूमिका घर–परिवार और समान में ताना माना और महिला मुद्‌दों पर बातचीत को खराब नहीं माना जाएगा इसके लिए विशेष प्रयत्न करने होगे।

प्रश्न 2 पर समूह प्रस्तुति सुनकर चर्चा को केन्द्रित करें कि –

ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के नियमित प्रशिक्षण, जहां विकास, जेण्डर, बराबरी, वित्तीय संसाधन, जेण्डर बजटिंग जैसे मुद्‌दों पर बातचीत हो, वार्डपंच सदस्यों के नियमित अनुभव बांटने के मंच बने और सकारात्मक पहलों को सामने ला सके।

दोनों प्रश्नों पर बातचीत को समेकित करें कि ग्राम पंचायत की महिला सशक्तीकरण में अहम् भूमिका है।

ग्राम पंचायते महिला सशक्तीकरण के लिए निम्न प्रयास कर सकती है :–

- ग्राम सभा से पहले महिलाओं की अलग बैठके।
- महिलाओं को ग्राम सभा मे लोन के लिए विशेष व्यवस्था।
- महिलाओं की ग्राम सभा में बैठने के लिए पृथक व्यवस्था संभव हो तो आगे महिलाओं को बैठाया जाए।
- ग्राम सभा की बैठक का समय तय हो ताकि इन्तजार न करना पड़े।
- प्रस्तावों में महिलाओं सम्बन्धी प्रस्तावों को अलग से पक्का किया जाए। निर्माण के कार्यों को महिला सम्बन्धी कार्य नहीं माना जाए।
- ग्राम पंचायत के बजट का कुछ हिस्सा महिलाओं के लिए ही खर्च किया जाए।

बातचीत के अन्त में सभी सदस्य उपयुक्त समझे तो पंचायती राज प्रतिनिधि अपनी–अपनी ग्राम पंचायतो में जाकर क्या करेंगे का नियोजन किया जा सकता है।